वार्षिक रिपोर्ट 2021 - 2022

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

FASTag

''आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ, बुनियादी ढांचे के निर्माण में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। निकट भविष्य में हम प्रधानमंत्री 'गति शक्ति' का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी योजना होगी और करोड़ों देशवासियों के सपनों को पूरा करेगी। 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।''

– 15 अगस्त *2021*

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति – मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	7
2	वर्ष 2021 - 22 एक नजर में	11
3	सड़क विकास	23
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	35
5	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचएआईडीसीएल)	39
6	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	45
7	वर्ष 2021 के दौरान अनुसंधान और विकास	65
8	प्रशासन और वित्त	71
9	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	81
10	नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	83
11	परिवहन अनुसंधान	85
12	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	89
13	अन्य गतिविधियां और अभियान	91
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट -1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय	93
परिशिष्ट -2	देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	95
परिशिष्ट -3	केन्द्रीय सड़क निधि के अंर्तगत आबंटन और निर्मोचन	99
परिशिष्ट –4	वर्ष 2021 के दौरान एनएचआइडीसीएल का वित्तीय व्यय	100
परिशिष्ट -5	वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गयी सीएसआर राशि का विवरण	101
परिशिष्ट- 6	अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और गैर-तकनीकी) से संबंधित सूचना	102
परिशिष्ट -7	राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्यवार संवितरण दर्शाने वाला का विवरण	103
परिशिष्ट -8	मुख्य शीर्षवार व्यय	104
परिशिष्ट -9	राजस्व प्राप्तियों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत	105
परिशिष्ट -10	पिछले तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का शीर्षवार विवरण	106
परिशिष्ट -11	लेखा के मुख्य बिंदु	107
परिशिष्ट -12	भारत में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या : 2003 से 2019	108
परिशिष्ट -13	सड़क दुर्घटनाओं और उनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या : 2005 से 2019	109
परिशिष्ट -14	कुल सड़क लंबाई और प्रत्येक सड़क श्रेणी का प्रतिशत हिस्सा (1951 से 2019)	110
परिशिष्ट -15	56 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का संयुक्त वास्तविक कार्य-निष्पादन- 2016-17, 2018-19 और 2019-20	111
परिशिष्ट -16	लंबित सीएंडएजी पैराओं (वाणिज्यिक) की स्थिति	112

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.

सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) माननीय प्रधान मंत्री को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे मे वर्णन करते हुए

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान माननीय मंत्री और राज्य मंत्री का संबोधन

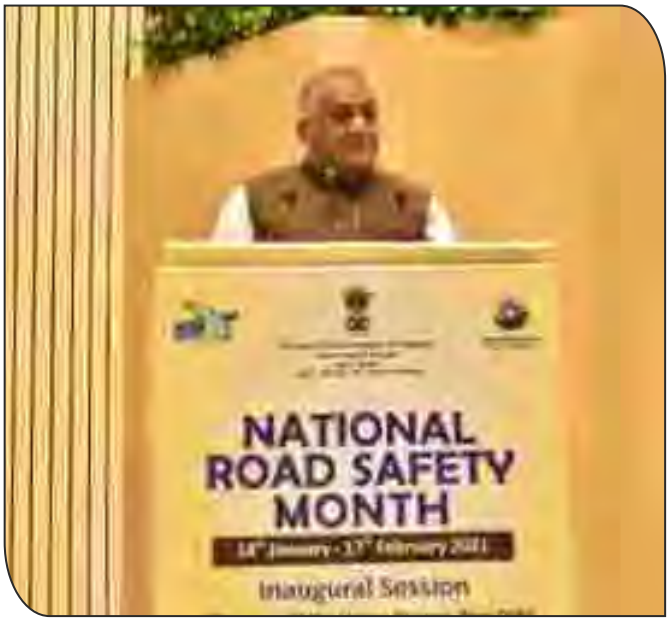

वर्धा के सिंडी (रेलवे) में ड्राईपोर्ट पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के बीच ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किये गए

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

17 दिसंबर 2021 को मुंबई में राजमार्ग, परिवहन और लॉजिस्टिक में निवेश के अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

अध्याय– I

प्रस्तावना

1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों, अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय, में विभाजित करके किया गया था।

1.2 किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियत कार्यों और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ–साथ, पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली,1989 को प्रशासित करना, और साथ ही, सड़क परिवहन और ऑटोमोटिव मानकों इत्यादि से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने का कार्य शामिल है।

1.3 यातायात (यात्री और माल) को संभालने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता को औद्योगिक विकास की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का सड़क नेटवर्क करीब 63.72 लाख किमी है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, जिनकी लंबाई इस प्रकार है:

राष्ट्रीय राजमार्ग / एक्सप्रेसवे	1,40,995 किमी
राज्यीय राजमार्ग	1,71,039 किमी
अन्य सड़कें	60,59,813 किमी
कुल	**63,71,847 किमी**

1.4 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है। तथापि, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

प्रकार्य

1.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय **परिशिष्ट–1** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

संगठन

1.6 सम्बद्ध कार्यालय

1.6.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 नामक एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। एनएचएआई इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रासंगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। एनएचएआई फरवरी, 1995 से प्रचालन में है।

1.6.2 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

मंत्रिमंडल ने दिनांक 13.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क का संवर्धन

करने के लिए, पड़ोसी देशों के साथ देश की अन्य् रूप से अंर्तराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था।

1.6.3 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आइ एच ई)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आइ एच ई) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। यह अकादमी, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है जिसका गठन वर्ष 1983 में देश में राजमार्ग अभियंताओं के प्रवेश के समय एवं सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था।

1.6.4 भारतीय सड़क कांग्रेस

सड़क, अनुरक्षण एवं विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आवधिक रूप से सड़क सम्मेलनों का आयोजन करने हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस को औपचारिक रूप से समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 24 सितंबर 1937 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। आईआरसी में 16,850 से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं, जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शोध संस्थानों, स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्र, रियायतग्राहियों, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, उपकरण विनिर्माताओं, सामग्री उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, औद्योगिक संघों, विश्व बैंक, ए डी बी, जे आई सी ए, जे आर ए, आई आर एफ इत्यादि जैसे संस्थागत संगठनों के सड़क क्षेत्र के सभी हितधारकों के अभियंता एवं पेशेवर शामिल हैं।

1.6.5 नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एन एच एल एम एल)

नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एन एच एल एम एल) एन एच ए आई की 100: स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। यह कार्गो ट्रैफिक के लिए मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एम एम एल पी) और भारतमाला परियोजना के तहत प्रथम/अंतिम मील बंदरगाह संपर्क सड़क परियोजनाओं से संबंधित विकास और अंतर–विभागीय समन्वय का नेतृत्व करने के इरादे से वर्ष 2020 में मंत्रालय द्वारा अधिनिगमित एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एस पी वी) कंपनी है। एन एच एल एम एल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अन्य संबद्ध राजमार्ग अवसंरचना जैसे कि यात्री यातायात और विकास कार्यों के लिए इंटर–मोडल स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ–साथ सुविधाओं के प्रबंधन, एन एच के साथ उपयोगिता कॉरिडोर के विकास का कार्य भी सौंपा गया है। एन एच एल एम एल विभिन्न राज्य सरकारों और सहयोगी सरकारी एजेंसियों के साथ एम एम एल पी के विकास और विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें इक्विटी हितधारकों के रूप में शामिल करने के मामले में समन्वय की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी स्थापना के बाद से, संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में, पत्तन, पोत–परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और विभिन्न बंदरगाह एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए भारतमाला परियोजना के तहत विभिन्न प्रमुख और गैर–प्रमुख बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के लिए प्रथम/अंतिम मील सीधे सड़क संपर्क पर कार्रवाई की फास्ट–ट्रैकिंग को प्राथमिकता देता है।

धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

The slowest form of transport many a times becomes obstruction to the free flow of traffic hence certain zones have been demarcated where bullock carts are not allowed to ply.

एन एच 944 का नागरकोइल–कन्याकुमारी–कवलकिनारू खंड

एनएच - 60 पर नासिक शहर में नया एलिवेटेड कॉरिडोर

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

एनएच 5 का परवाणू–सोलन खंड

कुथिरन पहाड़ियों के पास सुरंग, केरल

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

अध्याय– ।।

वर्ष 2020–21 एक नजर में

2. सड़क नेटवर्क :

2.1 सड़क क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है जो संपूर्ण रूप में देश के धमनी नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के विभिन्न चरणों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल की थी और भारतमाला परियोजना चरण-1 के छत्र कार्यक्रम और अन्य योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से यह इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। दिनांक 31.12.2021 तक भारतमाला परियोजना चरण 1 के विभिन्न घटकों और अन्य योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है

घटक / योजना	कुल लंबाई किमी में	31.03.2020 तक पूरी की गयी लंबाई	01.04.2020 से 31.12.2020 तक के दौरान पूरी की गयी लंबाई	31.12.2020 तक पूरी की गयी लंबाई
क. भारतमाला परियोजना चरण 1				
आर्थिक कॉरिडोर	9,000	1,167	390	1,557
अंतर कॉरिडोर एवं फीडर सड़कें	6,000	348	214	562
राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार	5,000	774	238	1,012
सीमावर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क	2,000	901	219	1,120
तटीय एवं पत्तन संपर्क सड़क	2,000	29	23	52
एक्सप्रेसवे	800	267	182	449
उप–योग	**24,800**	**3,486**	**1,266**	**4,752**
एनएचडीपी के अंतर्गत शेष सड़क कार्य	10,000	1,782	462	2,244
सकल योग	**34,800**	**5,268**	**1,728**	**6,996**
ख. अन्य योजनाएं				
एसएआरडीपी– पूर्वोत्तर				
(चरण क.– अरुणाचल प्रदेश)	6,418	3,828	293	4,121
एलडब्यूई	6,085	5,704	37	5,741
(विजयवाड़ा रांची मार्ग सहित)				
ईएपी				
(डबलयू बी. जेआईसीए. एडीबी)	2,855	1,280	126	1,406

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।
This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.

एनएचडीपी, जिसे भारतमाला परियोजना, चरण–1 के छत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था, के विभिन्न चरणों के पूरा होने की स्थिति इस प्रकार है : –

एनएचडीपी चरण	31.12.2020 तक पूरी की गयी लंबाई, किमी में
I+II+III+IV: स्वपर्णिम चतुर्भुज, पत्तसन संपर्क एवं 2/4/6 लेन में उन्नयन / उत्तरी – दक्षिणी एवं पूर्व – पश्चिम कॉरिडोर	38,685
V: स्वर्णिम चतुर्भुज और उच्च घनत्व कॉरिडोर को 6 लेन का बनाना	4,088
VI: एक्सप्रेसवे	219
VII: रिंग रोड, बायपास और फ्लाईओवर और अन्य संरचना	181

2.2 वर्ष 2021–22 पिछले छह वर्षों में लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों से प्रोद्भूत लाभों को समेकित करने का वर्ष था, और पिछले साल हासिल की गई सड़क विकास की अब तक की उच्चतम गति (लगभग 37 किमी / दिन) को बनाए रखने की अभिलाषा का वर्ष रहा। मंत्रालय ने कोविड–19 की दूसरी लहर के बुरे प्रभाव को दूर करने में राजमार्ग क्षेत्र को सक्षम करने हेतु कई राहत उपाय किए। चालू परियोजनाओं की निगरानी तेज कर दी गई और लंबित मुद्दों और बाधाओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण अंर्तक्षेप किए गए। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और इसे कोविड–19 महामारी के प्रभाव से बचने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय ने वर्ष 2021–22 के लिए 12,000 किलोमीटर लंबाई सड़क कार्य अधिनिर्णीत करने और 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का उच्चतम लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर 64,000 किमी से अधिक की कुल सड़क परियोजनाएं, जिनकी लागत 11 लाख करोड़ रुपये है, प्रगति पर हैं, जिनमें से 40,000 किमी से अधिक लंबाई की परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है और 24,000 किमी से अधिक की शेष लंबाई के कार्य प्रगति पर हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के पहले नौ महीनों में 5,835 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। मंत्रालय ने अपनी सभी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को कोविड–19 स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त प्रयास करने और वर्ष 2021–22 के लक्ष्यों की उपलब्धि को अधिकतम करने का सुझाव दिया है।

2.3 भारतमाला चरण–I के तहत मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों से संबंधित प्रगति :

मंत्रालय ने अंतर–मंत्रालयी परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से अक्तूबर, 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले एमएमएलपी के लिए आदर्श रियायतग्राही समझौते (एमसीए) को अंतिम रूप दिया। यह दस्तावेज परियोजना के तहत अलग – अलग एमएमएलपी परियोजनाओं के लिए डेवलपर समझौते – रियायतग्राही समझौते के रूप में काम करेगा। एमसीए के अलावा, मंत्रालय ने नवंबर, 2021 में एमएमएलपी के विकास हेतु रियायतग्राही के चयन के आदर्श आरएफपी दस्तावेज को भी अंतिम रूप दिया और अनुमोदित किया। मंत्रालय ने अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों एनएचएआई – एनएचएलएमएल और एनएचआईडीसीएल के माध्यम से भारतमाला परियोजना – चरण I के तहत विकास के लिए चयनित 35 एमएमएलपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के काम के साथ तालमेल बिठाया है।

जोगीघोपा, असम स्थित एमएमएलपी, जिसे परियोजना एसपीवी में इक्विटी हितधारक के रूप में असम राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है, पहले से ही निर्माणाधीन है। इस परियोजना की प्रगति निम्नवत है :

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

- असम सरकार ने अशोक पेपर मिल (एपीएम) की 190 एकड़ भूमि आवंटित की है।
- एसपीवी ''जोगिघोपा लॉजिस्टिक पार्क लिमिटेड'' को फरवरी, 2021 में अधिनिगमित किया गया है।
- एनएचआईडीसीएल को जोगीघोपा में एमएमएलपी के विकास का कार्य सौंपा गया है और असम के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस परियोजना की आधारशिला अक्तूबर, 2020 में माननीय मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) द्वारा रखी गई थी।
- एमएमएलपी जोगीघोपा के पहले चरण का कार्य ईपीसी के आधार पर दिया गया है और यह परियोजना निर्माणाधीन है। चरण –I के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। चरण–I के अंतर्गत, कार्य को तीन पैकेजों में विभाजित किया गया है – पैकेज रोड 7 यूटिलिटी वर्क्स, पैकेज 2 बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स और पैकेज 3 रेलवे साइडिंग जोगीघोपा रेलवे स्टेशन से एमएमएलपी तक। पैकेज 1, 2 और 3 की संबंधित भौतिक प्रगति दिसंबर, 2021 तक 23.02:, 40.09: और 10.04: है।
- पीपीपी आधार पर एमएमएलपी जोगीघोपा के लिए डेवलपर–सह–ऑपरेटर का चयन करने के लिए बोली शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

उपर्युक्त् के अलावा, 2 एमएमएलपी अर्थात सिंडी गांव में जेएनपीटी के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही एमएमएलपी नागपुर और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और तमिलनाडु राज्य सरकार की औद्योगिक संस्था एसआईपीसीओटी के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही एमएमएलपी चेन्नई, के लिए दिसंबर, 2021 में बोलियां आमंत्रित की गयीं हैं। एमएमएलपी बेंगलुरु के लिए बोली जनवरी, 2022 तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, 5 और स्थानों अर्थात हैदराबाद, कोयंबटूर, पुणे, इंदौर और सिलचर के लिए डीपीआर सह व्यवहार्यता मूल्यांकन प्रगति पर है, जबकि शेष सभी स्थानों के पूर्व–व्यवहार्यता मूल्यांकन का कार्य पहले ही अधिनिर्णीत किए जा चुके हैं। इसी अवधि में, भारतमाला परियोजना के तहत एमएमएलपी के लिए रेल कनेक्टिविटी के विकास की दिशा में सहयोग के लिए रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी रेलवे विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एनएचएलएमएल ने भारतमाला परियोजना चरण II के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए 12 अतिरिक्त स्थानों की भी सिफारिश की है, जो मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

2.4 भारतमाला चरण–I के तहत प्रथम/अंतिम मील पत्तन संपर्क सड़क (पीसीआर) परियोजना से संबंधित प्रगति :

एनएचएलएमएल लगभग 40 प्रथम/अंतिम मील पीसीआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है जिसकी कुल लंबाई लगभग 640 किमी है। इन सड़कों का उद्देश्य पहचान किए गए प्रमुख और गैर–प्रमुख बंदरगाहों से आने–जाने वाले मालवाहक वाहनों को निर्बाध भीड़भाड़ मुक्त प्रवेश / निकास प्रदान करना है, जिससे वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही को पास के शहरों के यात्री यातायात से अलग रखते हुए पोर्ट गेटवे के रूप में होने वाली देरी और भीड़ को कम किया जा सके। वर्तमान में, 5 परियोजनाओं के लिए, 105 किमी (लगभग) की कुल लंबाई के एलओए जारी किए गए हैं, जबकि लगभग 141 किमी की कुल लंबाई की 5 और परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2022 तक अधिनिर्णीत किए जाने की संभावना है। शेष परियोजनाएं डीपीआर चरण में हैं और उनके लिए बोलियां वित्त वर्ष 2023 और 2024 में आमंत्रित की जाएंगी।

एनएचएलएमएल ने भारतमाला परियोजना चरण II के तहत 16 और प्रथम / अंतिम मील पीसीआर परियोजनाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रक्रिया में है।

2.5 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को सुगम करने के लिए निधियन मॉडल और अन्य नीतियां

2.5.1 टीओटी के आदर्श रियायत समझौते (एमसीए) में परिवर्तन : टीओटी के एमसीए में परिवर्तन जिससे एनएचएआई को परियोजना राजमार्ग के एक विशेष खंड में क्षमता वृद्धि और आईआरसी मानदंडों के अनुसार छोटे सुधार कार्यों को चुनिंदा राजमार्ग में उनकी लागत पर करने की अनुमति मिलती है, को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा, यदि एनएचएआई द्वारा की गयी क्षमता वृद्धि के कारण रियायतग्राही को राजस्व हानि सहना पड़ता है, तो टीओटी परियोजनाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी तरह, यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षमता वृद्धि के कारण टोल योग्य लंबाई में किसी भी वृद्धि या कमी के मामले में, रियायतग्राही या तो पैसे का भुगतान करेगा या मुआवजा प्राप्त करेगा ताकि रियायतग्राही को इस प्रकार की वित्तीय स्थिति का लाभ मिले जैसे कि ऐसी कोई क्षमता वृद्धि नहीं की गयी थी।

इसके अलावा, एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं को स्थानीय यातायात और जिला पंजीकृत वाहनों के लिए पास प्रदान करने के प्रावधानों को हटाने के लिए एमसीए में विकल्प की अनुमति दी गई है। टीओटी के तहत बंद टोलिंग परियोजनाओं के मामले में प्रवेश और निकास बिंदुओं के विशिष्ट संयोजनों के लिए दैनिक और मासिक पास की अनुमति देने के लिए एमसीए में आवश्यक परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई है।

2.5.2 आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन : ईपीसी, बीओटी (टोल), एचएएम, और कंसल्टेंसी वर्क्स अर्थात डीपीआर, प्राधिकरण अभियंता (एई), स्वतंत्र अभियंता (आईई) के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों में संशोधन बोली दस्तावेजों को संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 और जीएफआर, 2017 के नियम 144 (•प) के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं।

2.5.3. उपलब्ध बोली क्षमता के निर्धारण के लिए सभी अधिनिर्णीत कार्यों को शामिल करने हेतु ईपीसी के मानक आरएफपी के प्रासंगिक खंड में परिवर्तन किए गए हैं।

2.5.4. मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बीओटी (टोल) परियोजना वार्षिक अर्हता के लिए अनुरोद्ध (आरएफएक्यू) दस्तावेज में कुछ परिवर्तन किए गए हैं :

क. इसे एमओआरटीएच द्वारा जारी एचएएम और ईपीसी परियोजनाओं के हाल के आरएफपी के अनुरूप बनाने के लिए,

ख. इस क्षेत्र में बेहतर प्रतिस्पर्धा लाने के लिए,

ग. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 18 के तहत वैधीकरण / एपोस्टाइजेशन की अपेक्षाओं और स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए,

घ. निवल संपत्ति की दोहरी गणना से बचने के लिए जहां आवेदक या उसके संघ के सदस्यों ने भी अपने सहयोगियों की निवल संपत्ति का दावा किया है

2.5.5. कंसल्टेंसी कार्य में गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) के लिए 70:30 (तकनीकी प्रस्ताव : वित्तीय प्रस्ताव) के स्थाान पर 80:20 मानदंड की वापसी

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।
This sign indicates that left turn is prohibited.

राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित सड़क कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु परामर्श सेवाओं की नियुक्ति हेतु आरएफपी दस्तावेज को कन्सल्टेंसी समनुदेशनों में क्यूसीबीएस हेतु 70:30 (तकनीकी प्रस्ताव : वित्तीय प्रस्ताव) के स्थान पर 80:20 मानदंड बहाल करने के लिए संशोधित किया गया है।

2.6. परिसंपत्ति विमुद्रीकरण

(i) राष्ट्रीय विमुद्रीकरण योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान टीओटी और इनविट के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये मूल्य की 5000 कि.मी. सड़क लंबाई का मुद्रीकरण किया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) मोड के तहत 390 किमी का विमुद्रीकरण किया है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) मोड के माध्यम से निम्नलिखित 3 बंडलों में लगभग 450 किमी की अतिरिक्त सड़क लंबाई के लिए बोली लगाई गई है :

(क) टीओटी बंडल – 6 – 2 खंडों अर्थात् आगरा बाईपास और झांसी शिवपुरी (कुल 108 किलोमीटर), के लिए बोली आमंत्रित की गई।

(ख) टीओटी बंडल – 7 और 8 – 3 खंडों, अर्थात् बोरखेड़ी – वाडनेर – देवधारी – केलापुर, भुवनेश्वर – पुरी और ईपीई (कुल लंबाई 328 किमी।) के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं।

(ii) इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान विमुद्रीकरण हेतु लगभग 4,912 किमी की कुल लंबाई वाले 86 खंडों की भी पहचान की गई है।

2.7 एनएचएआई इनविट

एनएचएआई के संसाधन संघटन को बढ़ाने के लिए, एनएचएआई को उन पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को विमुद्रीकृत करने हेतु जिनका कम से कम एक वर्ष का टोल संग्रहण इतिहास है, मंत्रिमंडल ने सेबी द्वारा जारी इनविट दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएचएआई को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (ट्रस्टों) की स्थापना करने के लिए अधिकृत करने (पत्र सं. 39/सीएम/2019(i) दिनांक 13.12.2019 के तहत) को मंजूरी प्रदान की है और एनएचएआई के पास चयनित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित है। एनएचएआई उस/उन एसपीवी को अधिनिगमित करने के लिए अधिकृत है जो संपूर्ण इनविट संरचना का आवश्यक और अभिन्न भाग हैं। एनएचएआई इनविट की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(i) इनविट ट्रस्ट को 28 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") में पंजीकृत किया गया है।

(ii) एनएचएआई इनविट के विभिन्न सलाहकारों और बिचौलियों जैसे ट्रस्टी, निवेश प्रबंधक, रोड एसपीवी, संपरीक्षक, रजिस्ट्रार, कर परामर्शदाता, लीड मैनेजर, लेनदेन सलाहकार, विधिक परिषद, मूल्यांकन, मानव संसाधन परामर्शदाता आदि को नियुक्त किया गया है।

(iii) एनएचएआई इनविट की निवेश प्रबंधक कंपनी ''नेशनल हाईवे इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड'' के लिए निम्नलिखित विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं :

(क) नियोजन ज्ञापन (पीएम) दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 और अंतिम नियोजन ज्ञापन (एफपीएम) दिनांक 03 नवंबर, 2021 सेबी में दाखिल कर दिया गया है

(ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 10 नवंबर, 2021 को सूचीकरण (लिस्टिंग) कर दिया गया है।

(iv) इनविट निर्गम की पहली दौर 2 नवंबर, 2021 को संपन्नं हुआ। इनविट निर्गम के इस दौर में 8011 करोड़ रुपये का इंटरप्राइज मूल्य हासिल किया गया, जिसे निवेशकों की इकाइयों और बैंकों से ऋण के संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। दो अंतरराष्ट्रीय पेंशन निधियों, नामतः कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और ओंटारियो टीचर्स पेंशन योजना बोर्ड से निवेश प्राप्त हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में 25: इकाइयां धारित करते हैं। शेष इकाईयां पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित घरेलू संस्थागत निवेशकों के विविध समूह को दी गयीं हैं। एनएचएआई ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को परियोजना परिसंपत्तियों के बीमा के लिए एलओए जारी किया है और पॉलिसी जारी करने के लिए उन्हें भुगतान कर दिया गया है।

2.8. विवादों का सुलह / सौहार्दपूर्ण निपटान जहां मामले की निपटान राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

खरीद और परियोजना संबंधी सामान्य निर्देशों से संबंधित व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ1/1/2021–पीपीडी दिनांक 29.10.2021 के अनुसरण में, अध्यक्ष, एनएचएआई, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमओआरटीएच के साथ सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित परियोजना के एनएचएआई को सदस्य के रूप में रखा गया है ताकि मध्यस्थ अधिनिर्णय / न्यायालय के आदेशों के मामलों में समय पर और उचित निर्णय लिया जा सके जहां निपटान राशि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है। यह समिति निम्नलिखित विषय पर सलाह देगी :

(i) क्या स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के माध्यम से किसी संदर्भित विवाद के सुलह / सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जाना है या नहीं ;

(ii) यदि किसी विशेष विवाद को सुलह द्वारा सुलझाया जाना है, तो वह राशि जिस पर एनएचएआई को सहमत होना चाहिए ;

(iii) क्या सुलह से पीछे हटना है;

(iv) क्या मध्यस्थता अधिनिर्णय / न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करना है; तथा

(v) उन मामलों पर जहां अपील विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं और इस बात पर सलाह देना कि क्या अदालती मामले को जारी रखना है या सीसीआईई के समक्ष सुलह के लिए जाना है।

इसके साथ, ऐसे सभी सुलह/मध्यस्थता मामलों के लिए 3 सीजीएम समिति की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

2.9. कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सड़क संविदाकारों / रियायतग्राहियों के लिए राहत उपाय

मंत्रालय ने कोविड–19 महामारी को देखते हुए सड़क क्षेत्र के संविदाकारों / डेवलपर्स को निम्नलिखित राहतें / विस्तार प्रदान किए हैं :

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.

(i) संविदाकारों और रियायतग्राही के पास उपलब्ध निधियों की तरलता में सुधार लाने के लिए अनुसूची एच/जी में 31 दिसंबर, 2021 तक छूट का विस्तार।

(ii) एस्क्रो खाते के माध्यम से अनुमोदित उप–संविदाकार को सीधे भुगतान संबंधी व्यवस्था को 31 दिसंबर, 2021 तक या उप–संविदाकार द्वारा काम पूरा करने तक, जो भी पहले हो, तक जारी रखा जा सकता है।

(iii) निष्पादन प्रतिभूति में कमी / प्रतिधारण राशि मोचन : इस मंत्रालय ने सभी मौजूदा संविदाओं (विवाद अधीन संविदाओं को छोड़कर जिसमें मध्यस्थता / अदालत की कार्यवाही जो पहले ही शुरू हो चुकी है या संपन्नं हो चुकी है) के लिए निष्पादन प्रतिभूति को संविदा मूल्य के मौजूदा 5 से 10 प्रतिशत से कम कर 3 प्रतिशत करने का निर्णय पहले ही लिया है। दिनांक 31.12.2021 तक जारी / समाप्त सभी निविदाओं / संविदाओं में भी कम निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान होना चाहिए। प्रतिधारण राशि निर्माण अवधि तक निष्पांदन प्रतिभूति का एक हिस्सा है। इसलिए, प्रतिधारण राशि को पहले से निष्पादित कार्य के अनुपात में मोचन किया जा सकता है और संविदाकार द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक जारी किए गए बिलों से प्रतिधारण राशि में कोई भी राशि कटौती नहीं की जा सकती है। एचएएम / बीओटी संविदाओं के लिए, यदि रियायतग्राही संविदा का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो संविदा में यथा उपबंधित अनुपातिक आधार पर निष्पादन गारंटी निर्गत की जा सकती है।

(iv) मामला दर मामला आधार पर संविदाकार / रियायतग्राही को समय विस्तार।

(v) अप्रैल, 2021 – जून, 2021 के दौरान निष्पादित संविदाओं में निष्पादन प्रतिभूति / बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए दंड से छूट सामान्य रूप से नियत तिथियों से एक महीने की अवधि के लिए संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सभी संविदाओं के लिए दी जा सकती है।

(vi) परामर्शदाताओं अर्थात् आई.ई./ए.ई./एस.सी. को मामला दर मामला आधार पर समय विस्तार।

(vii) बीओटी/टीओटी रियायतग्राही के मामले में, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में कमी के लिए, रियायत अवधि को रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जाना है।

(viii) सभी एनएच टोलिंग संविदाओं के लिए, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह संविदा के अनुसार शुल्क के संग्रह में कमी की भरपाई की जा सकती है।

(ix) अप्रैल–जून, 2021 के बीच किए गए रियायत समझौतों में वित्तीय समापन की उपलब्धि के लिए रियायतग्राहियों को प्रदत्त समय विस्तार को संविदा के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित तिथियों से एक माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो परियोजना के स्थाान पर निर्भर करेगा।

2.10. सड़क निर्माण की गतिविधि, जहां राशि आस्थगित भुगतान एच ए एम (वार्षिकी) में प्राप्त होती हैं, पर जीएसटी की प्रयोज्यता संबंधी स्पष्टीकरण

इस मंत्रालय ने वार्षिकी भुगतानों पर जीएसटी की प्रयोज्यता की सीमा तक एनएचएआई के पहले के परिपत्र को निलंबित कर इस

विषय पर दिनांक 27.08.2021 का एक स्पष्टीकरण जारी किया है। यह परिपत्र सड़कों के निर्माण के लिए भुगतान की गई वार्षिकी (आस्थगित भुगतान) पर जीएसटी की छूट के संबंध में दिनांक 28.05.2021 को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा आयोजित 43 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों पर आधारित है।

2.11 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2020

राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार असाधारण प्रदर्शन करने वाले रियायतग्राहियों और संविदाकारों को सम्मानित करने हेतु वर्ष 2018 में शुरू किए गए थे। इस वर्ष पिछले वर्ष के 7 पुरस्कार वर्गों, जो परियोजना प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण, टोल प्रबंधन, सर्वाधिक सुरक्षित राजमार्ग, डिजाइन एवं निर्माण प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषष, हरित राजमार्ग और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में थे, के अलावा सुरंग परियोजनाओं एवं सेतु परियोजनाओं के लिए पुरस्कार देने हेतु दो नये वर्ग जोड़े गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कारों के लिए कुल 157 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका मूल्यांकन पूर्व–निर्धारित स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर किया गया था और फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा डेस्कटॉप और थर्ड–पार्टी फील्ड असेसमेंट के माध्यम से वैधीकृत किया गया था। इसके बाद, एक स्वतंत्र जूरी ने लघु–सूचीबद्ध नामांकनों को देखा और मंत्रालय द्वारा सम्मान के लिए सभी श्रेणियों में स्वर्ण और रजत पुरस्कारों के लिए अंतिम 17 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया।

इसके अलावा, एमओआरटीएच, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के 15 फील्ड अधिकारियों को भी वर्तमान कोविड–19 महामारी की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और राष्ट्रव्यापी 100ः ईटीसी / फास्टैग के कार्यान्वयन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है।

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) ने दिनांक 18.01.2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, 2021 के उद्घाटन दिवस पर विज्ञान भवन में रियायतग्राहियों और अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए।

2.12 ई–पहलें :

(i) भूमिराशि – भूमि अधिग्रहण पोर्टल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचना प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण (सीएएलए) के पास सार्वजनिक धन जमा रहने से बचने के लिए भूमिराशि पोर्टल शुरू किया है। दिनांक 01.04.2018 से सभी एलए प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए इस पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया है। इस पोर्टल के प्रचालन शुरू होने के बाद से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी तेजी आयी है, यह त्रुटि रहित और अधिक पारदर्शी हो गया है और अधिसूचना के प्रत्येक चरण को वास्तविक समय आधार पर संसाधित किया जा रहा है। वर्ष 2021 के दौरान, कुल 2505 भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए करीब 20454 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित की गयीं हैं।

साथ ही, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए और देश भर में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की निगरानी करने के लिए वर्ष 2021 में इस पोर्टल में निम्नलिखित नये मॉड्यूल जोड़े गए हैं :

- सर्वेक्षण नंबरों और भूमि पक्षकारों की ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि;
- मध्यस्थ से मिलने के लिए अंतर–फलक और मध्यस्थ को लॉग इन प्रत्यायन;
- अदालती मामलों और मध्यस्थ संबंधी मामलों की निगरानी के लिए मॉड्यूल;

अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है।

Compulsory cycle track signifies that cyclists should compulsorily use this track. It also restricts the movement of any traffic accept cyclist of the track.

- सीएएलए प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मॉड्यूल और अधिसूचना के प्रकाशन में लगे औसत समय;
- शिकायत निवारण तंत्र के लिए मॉड्यूल;
- भूमिराशि के माध्यम से प्रतिकर के भुगतान के लिए पीएफएमएस के आरईएटी भुगतान मॉड्यूल का उपयोग, ताकि प्रतिकर राशि से टीडीएस की अपक्षित राशि की कटौती की जा सके।

इसके अलावा, इस मंत्रालय का एक प्रमुख उद्देश्य बैंक खातों में निधि जमा रहने से बचाना था और साथ ही उन व्यक्तियों जिनकी भूमि/संपत्ति अधिग्रहित की गयी थी, के खाते में वास्तविक समय में निधि जमा करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टंम (पीएफएमएस) के माध्यम से भूमिराशि पोर्टल में क्षतिपूर्ति का भुगतान एकीकृत कर सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। पहले ही करीब 17 राज्यों में, राज्य पीडब्ल्यू डी के माध्यम से एमओआरटीएच द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए पीएफएमएस के माध्यम से 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि संसाधित की गयी है। एमओआरटीएच की इस पहल से देश में सड़क निर्माण के लिए एक सुदृढ और कुशल भूमि अधिग्रहण हुआ है।

(ii) ई–टोलिंग

शुल्क प्लाजाओं के माध्यम से यातायात की निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने और फास्टैग का उपयोग करते हुए प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम प्रणाली को अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय समाशोधन गृह (सीसीएच) है। सड़क प्रयोक्ताओं को फास्टैग जारी करने के लिए छत्तीस (36) बैंक (सरकारी और निजी क्षेत्र बैंक सहित) को फास्टैग जारीकर्ता बैंक के रूप में और शुल्क प्लाजाओं पर लेन–देन संसाधित करने के लिए चौदह (14) अधिग्राहक बैंक नियुक्त किए गए है।

मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से एम एवं एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग को लगाना अनिवार्य कर दिया था। श्रेणी 'एम' यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन के लिए है। श्रेणी 'एन' एक मोटर वाहन के लिए है जिसमें कम से कम चार पहियों का उपयोग माल ले जाने के लिए किया जाता है, जो माल के अलावा सवारियों को भी ले जा सकता है। डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को और बढ़ावा देने के लिए, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाजा के माध्यम से निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए, सरकार ने 15/16 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेन को ''शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन'' घोषित किया है।

31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने सामूहिक रूप से 4.42 करोड़ फास्टैग जारी किया है, जिनका ईटीसी के माध्यम से औसत दैनिक संग्रहण 76.62 लाख रुपये है; कुल शुल्क संग्रहण के 96 प्रतिशत तक ईटीसी व्याप्ति बढ़ने से इसके माध्यम से औसत दैनिक संग्रहण बढ़कर 118.5 करोड़ रुपए हो गया है। देश के कुल 750 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा सभी लेनों में ईटीसी अवसंरचना से सुसज्जित हैं।

महामारी के दौरान शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक यात्री फास्टैग का उपयोग करने का विकल्प चुन रहे हैं क्योंकि यह ड्राइवर और शुल्क संग्रहकर्ता के बीच किसी भी सीधे संपर्क की संभावना को दूर करता है। राजमार्ग उपयोगकर्ताओं द्वारा फास्टैग की निरंतर वृद्धि और अंगीकरण बहुत उत्साहजनक है और इससे टोल संचालन में दक्षता बढ़ाने में मदद मिली है।

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

चित्र(क): मासिक ईटीसी लेन–देन गिनती एवं संग्रहण

चित्र (ख) : ईटीसी व्याप्ति

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

आगे चलकर दाएं मुड़ना
अनिवार्य (बाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn Right Ahead
(Left if Symbol is
Reversed)

एनएचएआई अधिकारियों की माननीय मंत्री के साथ समीक्षा बैठक

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.

दिल्ली–वडोदरा–मुंबई आठ–लेन एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे के भीतर 2,580 मीटर लंबाई के चार–लेन राजमार्ग के लिए पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट बिछाने का विश्व रिकॉर्ड

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।

This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

अध्याय III

सड़क विकास:

3.1 इस मंत्रालय को साधारणतः सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास तथा विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण और अनुरक्षण का दायित्व् सौंपा गया है। राज्यों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर बाकी सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तथापि, यह मंत्रालय केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए निधि आवंटित करता है। मंत्रालय एसएआरडीपी–एनई और एल डब्ल्यू ई योजनाओं के अंतर्गत भी राज्यीय सड़कों का विकास करता हैं।

मंत्रालय, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी सूचना के आगार के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश में सड़कों और पुलों के मानकों और विनिर्देशों के निर्धारण के लिए भी उतरदायी है।

3.2 राष्ट्रीय राजमार्ग की वह लंबाई जिसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जिम्मेदार है, 1,40,995 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यावार सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है।

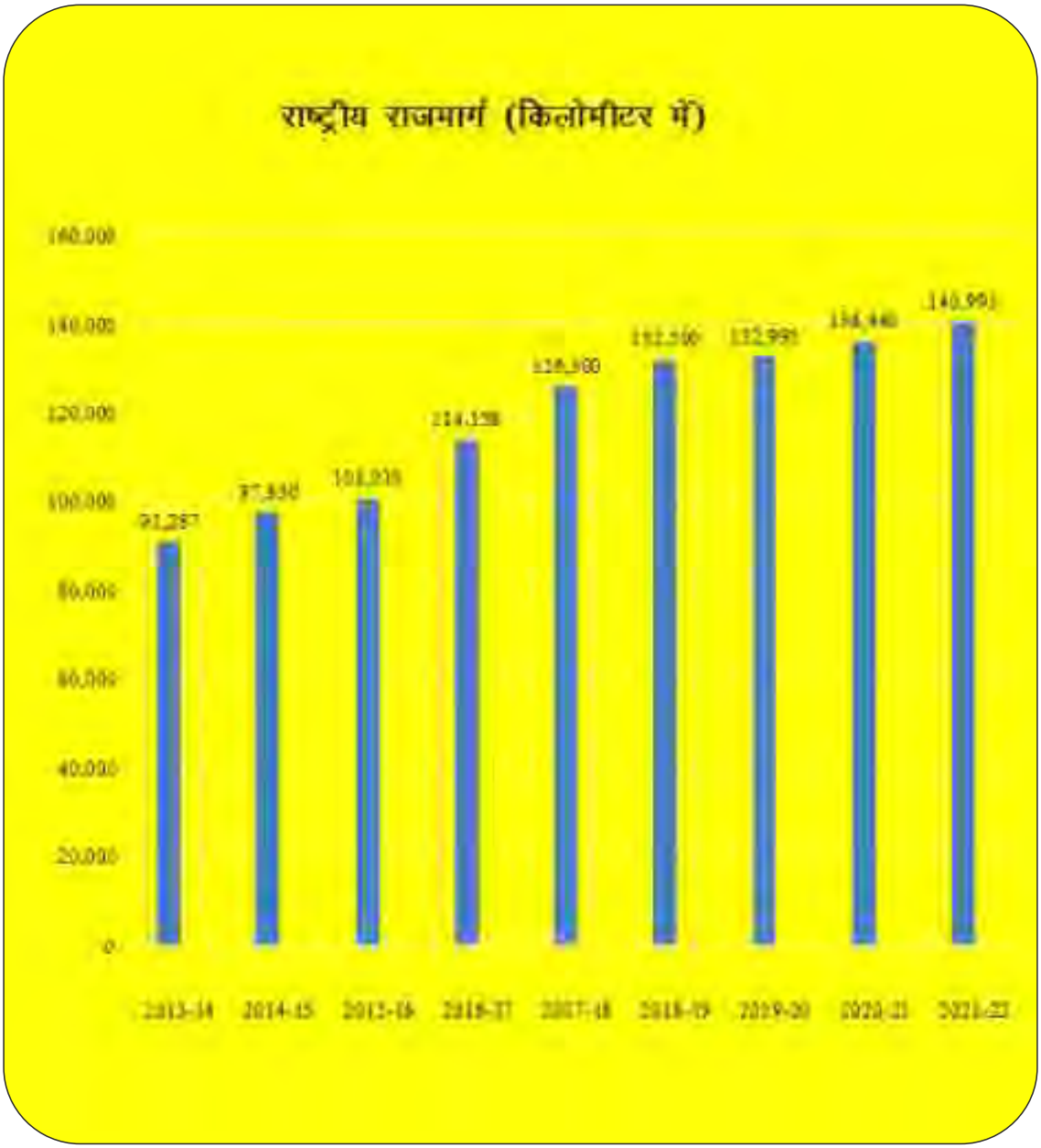

3.3 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण:

सरकार भारतमाला और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रही है।

यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शायी जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।

This sign designates the speed of traffic on road. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.

3.3.1. भारतमाला परियोजना चरण–I[सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) सहित]

सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने दिनांक 16.06.2017 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान इस प्रस्ताव की सिफारिश की। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारतमाला परियोजना चरण –1 को अनुमोदित किया है।

मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क विकसित करने, गैर–प्रमुख बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क सहित तटवर्ती सड़कों का विकास, राष्ट्रीय कॉरिडोरों की दक्षता में सुधार, सागरमाला के साथ एकीकरण के साथ साथ आर्थिक कॉरिडोरों, अंतर कॉरिडोर और फीडर मार्गों का विकास इत्यादि सहित एनएच नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की। भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर के आर्थिक कॉरिडोरों के विकास की परिकल्पना की गयी है, जिससे स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम (एनएस–ई डब्ल्यू) कॉरिडोरों के साथ सड़क माल ढुलाई के अधिकांश हिस्से को शामिल करने की उम्मीद हैं। इसके अलावा, आर्थिक कॉरिडोरों, जीक्यू और एनएस–ईडब्ल्यू कॉरिडोरों की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए लगभग 8,000 किमी अंतर कॉरिडोर और लगभग 7,500 किमी फीडर रूट की पहचान की गई है। इस कार्यक्रम में रिंग रोड / बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गयी है, जो शहरों के बीच से गुजरने वाले यातायात को कम करके लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाता है । रिंग रोड के निर्माण के लिए 28 शहरों की पहचान की गई है। 125 जाम बिन्दुंओं और 66 भीड़–भाड़ वाले बन्दुंओं की पहचान की गई है। इसके अलावा, प्रस्तावित कॉरिडोरों पर भीड़ को कम करने के लिए, लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने और माल ढुलाई संचालनों की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए 35 स्थानों की पहचान की गई है।

3.3.2 भारतमाला चरण –I के लिए निधियन के स्रोत

भारतमाला (अन्य योजनाओं सहित 6,92,324 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के लिए अनुमोदित) का निधियन पेट्रोल एवं डीजल से संग्रहित (केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000, पूर्ववर्ती सीआरएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार) उपकर (2,37,024 करोड़ रुपये), अतिरिक्त, बजटीय सहायता (59,973 करोड़ रुपये) के अलावा टोल से संग्रहित राशि (46,048 करोड़ रुपये), टीओटी (टोल – ऑपरेट – ट्रांसफर) के माध्यिम से राष्ट्रीय राजमार्गों के अपेक्षित विमुद्रीकरण से प्राप्त राशि (34,000 करोड़ रुपये), आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) (2,09,279 करोड़ रुपये) और वर्ष 2021–22 तक वित्तपोषण योजना के अनुसार निजी क्षेत्र निवेश (1,06,000 करोड़ रुपये) से किया जाएगा।

3.3.3. एनएचडीपी / भारतमाला परियोजना के चरण –I के लिए पिछले छः वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यय/निर्मोचन :

राशि करोड़ रुपये में

वर्ष	सीआरएफ उप–शुल्क	टोल प्रेषण	टीओटी प्रेषण	कुल (जीबीएस)	जुटाया गया आईईबीआर	कुल बजटीय	निजी क्षेत्र निवेश	सकल योग
2014-15	9,565	5,448		15,013	3,343	18,356	19,232	37,588
2015-16	21,018	6,500		27,518	23,281	50,799	29,770	80,569
2016-17	7,410	7,500		14,910	33,118	48,028	16,029	64,057
2017-18	15,429	8,462		23,891	50,533	74,424	16,501	90,925
2018-19	16,567	9,570	9,682	35,819	61,217	97,036	20,618	1,17,654
2019-20	15,733	10,600	5,000	31,333	74,988	1,06,321	21,926	1,28,247
2020-21	27,249	11,500	7,262	46,011	65,036	1,11,047	12,476	1,23,523
2021-22*	31,300	12,650		43,950	45,527	89,477	16,637	1,06,114

* - (दिनांक 31.12.2021 तक)

3.3.4. मूल्यांकन और अधिनिर्णयन की स्थिति – क्रियान्वयन पद्धतिवार : -

भारतमाला परियोजना में, 60ः परियोजनाएं हाइब्रिड वार्षिकी पद्धति पर, 10ः परियोजनाएं बीओटी (टोल) पद्धति पर और 30ः परियोजनाएं ईपीसी मोड पर क्रियान्वित करने की परिकल्पना की गई है। भारतमाला परियोजना के तहत अब तक 20,965 किलोमीटर (कुल 5,529 किलोमीटर की कुल लंबाई के 131 एनएचडीपी कार्यों सहित) की कुल लंबाई वाली कुल 604 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृत और अधिनिर्णीत किया गया है, जिसकी कुल पूंजी लागत 6,41,713 करोड़ रुपये है। कुल स्वीकृत 604 सड़क परियोजनाओं में से 11,710 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करने वाली 389 परियोजनाओं को ईपीसी मोड, 8,781 किलोमीटर की कुल लंबाई की 209 परियोजनाओं को एचएएम पद्धति पर और 473 किलोमीटर की कुल लंबाई की 6 परियोजनाओं को बीओटी (टोल) पद्धति पर अनुमोदित किया गया है। [ईपीसी : एचएएम : बीओटी :: 56:: 42:: 2ः]

(क) संबंधित विवरण इस प्रकार है (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) :– समग्र

क्र. सं.	क्रियान्वंयन पद्धति	भारतमाला एवं शेष एनएचडीपी – अधिनिर्णीत		भारतमाला एवं शेष एनएचडीपी–स्वीकृत–अधिनिर्णीत किया जाना है		भारतमाला एवं शेष एनएचडीपी–अधिनिर्णीत एवं स्वीकृत		पूंजीगत लागत	% लंबाई
		परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी)	परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी)	परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी)	(करोड़ रुपये)	
1	ईपीसी	373	11,288	16	423	389	11,710	2,99,548	56%
2	एचएएम	197	8,298	12	483	209	8,781	3,29,564	42%
3	बीओटी टोल	4	341	2	133	6	473	12,600	2%
कुल		**574**	**19,926**	**30**	**1,038**	**604**	**20,965**	**6,41,713**	**100%**

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicates that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

(ख) मूल्यांकन और अधिनिर्णयन की स्थिति :– विभिन्न प्रकार के कॉरिडोर के अंतर्गत सड़क के अनुमोदन और अधिनिर्णय की स्थिति इस प्रकार है

क्र.सं.	कॉरिडोर का प्रकार (स्वीकृत लंबाई एवं राशि)	अधिनिर्णीत		मूल्यांकन कर लिया गया परंतु अधिनिर्णयन हेतु लंबित		कुल		पूरी की गयी लंबाई (किमी)
		परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी)	परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी)	परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी)	
1	आर्थिक कॉरिडोर	188	5,848	11	295	199	6,144	1,557
2	अंतर कॉरिडोर सड़कें	51	1,936	4	114	55	2,050	441
3	फीडर सड़कें	19	669	0	0	19	669	121
4	राष्ट्रीय कॉरिडोर	59	1,552	5	255	64	1,807	658
5	राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार	25	705	1	23	26	728	354
6	एक्सप्रेसवे	81	2,265	2	80	83	2,345	449
7	सीमावर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क	14	1,282	3	148	17	1,430	1,120
8	तटीय सड़क	2	77	0	0	2	77	40
9	पत्तन संपर्क सड़क	8	187	0	0	8	187	12
	भारतमाला कुल	**447**	**14,519**	**26**	**917**	**473**	**15,436**	**4,752**
10	एनएचडीपी	127	5,407	4	122	131	5,529	2,223
	सकल योग	**574**	**19,926**	**30**	**1,038**	**604**	**20,965**	**6,976**

3.4 वित्तीय प्रदर्शन -

वर्ष 2021 – 22 के दौरान प्रगति

वर्ष 2021–21 के लिए बजटीय आवंटन में 28.61 प्रतितशत की वृद्धि की गयी है, जो वर्ष 2020–21 के 91,823 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 1,18,101 करोड़ रुपये हो गया है।

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

वर्ष 2021–22 के दौरान आवंटित निधियों और किए गए व्यय को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

राशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	योजना	2021-22	
		आवंटन (बीई परिव्यय)	व्यय'*
1	जीबीएस – पूंजी	107,706	81,725
2	एम एंड आर – राजस्व	2,660	1,081
3	**कुल (केंद्रीय क्षेत्र सड़क)**	**110,366**	**82,805**
4	सीआरएफ (राज्यीय सड़कें) – राजस्व	6,945	4,948
5	राज्यीय सड़कों के लिए ईआई एंड आईएससी – पूंजी	300	250
6	सड़क परिवहन –राजस्व	336	62
7	सचिवालीय व्यय – राजस्व	154	101
8	**कुल (बजट)**	**118,101**	**88,167**
9	आईईबीआर	65,000	45,527
10	**सकल योग (बजट आईईबीआर)**	**183,101**	**1,33,694**
11	निजी क्षेत्र निवेश	18,550	16,637

जीबीएस – सकल बजटीय सहायता, आईईबीआर – आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन,

* दिनांक 31.12.2021 तक

3.5. टोल संग्रहण

क्र. सं.	मापदंड एवं इकाई	2021-22
1	टोल वाले राजमार्ग की लंबाई (किमी)	1,980*
2	टोल संग्रहण (करोड़ रुपये)	9,740#

*- 30.11.2021 तक, #- 31.12.2021 तक

3.6. गैर कर राजस्व में वृद्धि में की गयी प्रगति जैसे एनएच का विमुद्रीकरण

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) खंडों के विमुद्रीकरण के लिए अगस्त, 2016 में टोल, ऑपरेट एवं ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल अनुमोदित किया था। वर्ष 2021–22 के दौरान टीओटी के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपये की राशि की निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 हिस्सों (1407 किलोमीटर) को चार बंडलों में अर्थात, टीओटी बंडल 1, बंडल 3, बंडल 5ए1 और बंडल 5ए2, टीओटी मोड के माध्यम से पहले ही मुद्रीकृत किया जा चुका है। 15,703.5 करोड़ रुपये की राशि पहले ही वसूली जा चुकी हैं और सीएफआई में जमा की चुकी है।

एनएचएआई ने भी इनविट पद्धति से नवंबर, 2021 में 8,011 करोड़ रुपये (ऋण के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये सहित) का उद्यम (इंटरप्राइज) मूल्य भी जुटाया है। उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2021–22 के दौरान एसपीवी के तहत 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक एसपीवी पद्धति (मोड) के माध्यम से 7,006 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

3.7 एनएचएआई को आवंटन

चालू वर्ष 2021–22 के दौरान सीआरआईएफ उपकर के तहत 31,300 करोड़ रुपये की राशि, टोल प्रेषण के तहत 12,650 करोड़ रुपये और एनएच के मुद्रीकरण के तहत 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा एनएचएआई को बाजार उधारी के रूप में 65,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अधिकृत किया गया है। एनएचएआई ने दिनांक 31.12.2021 तक 1,13,545 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

3.8 राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

विकास

- वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 24,929 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है, जिसमें से दिनांक 31.12.2021 तक 19,157 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है।

- वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए करीब 433 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है, जिसमें से दिनांक 31.12.2021 तक 179 करोड़ रुपये की राशि बीआरओ द्वारा खर्च की गयी है।

अनुरक्षण/रखरखाव

- वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 911.06 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। दिनांक 31.12.2021 तक 210 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है।

- वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 170 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। बीआरओ ने दिनांक 31.12.2021 तक 69.95 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

3.9 राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कार्यों के लिए जनजातीय उप योजना (टीएसपी)

मंत्रालय वर्ष 2011–12 से जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के तहत समर्पित निधियां निर्धारित करता आया है, जो वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सड़क विकास योजना तक सीमित था। तथापि, वर्ष 2019–20 से राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) [एनएच (ओ)] योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के अंदर एनएच परियोजना शुरू कर मंत्रालय के टीएसपी घटक के अंतर्गत समर्पित परिव्यय में काफी वृद्धि कर वार्षिक पूंजीगत बजटीय आवंटन (वाह्य सहायता घटक के ऋण भाग और टोल – ऑपरेट –ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल पर राष्ट्रीय राजमार्गों की नीलामी से प्राप्त राजस्व के वापस निवेश को छोड़कर) का 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मंत्रालय के टीएसपी घटक के अंतर्गत निधियों के आवंटन और व्ययित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

राशि करोड़ रुपये में

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पात्र पूंजीगत योजनाओं के लिए कुल परिव्यय	जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत परिव्यय	व्यय की गयी राशि (दिनांक 31.12.2021 तक के अनंतिम)	
				कुल पात्र पूंजीगत योजनाओं के अंतर्गत	टीएसपी घटक के अंतर्गत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2021-22	95,300.00	4,125.00	80,145.65	2,825.20

3.10. राज्य सड़क क्षेत्र

3.10.1 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि

(i) वर्ष 2021–22 के लिए सीआरआईएफ के अंतर्गत मंत्रालय को 79,577 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिनका अलग अलग ब्यौरा इस प्रकार है :

राशि करोड़ रुपये में

राष्ट्रीय राजमार्ग	71,995.78
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यीय सड़कों के लिए अनुदान	6,945.22
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	300.00
सड़क परिवहन	336.00
कुल	**79,577.28**

(ii) वर्ष 2000–01 से वर्ष 2021–22 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटन एवं निर्मोचन का सारांश **परिशिष्ट 2** में दिया गया है।

3.10.2 आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क (ईआई एंड आईएससी) योजनाए :

आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन से पहले ही विद्यमान थीं। उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे। इस योजना को 24 जुलाई, 2014 की केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जा रहा था, जिसे फिर से दिनांक 23.06.2016 और दिनांक 18.12.2017 की अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया है।

तथापि, वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किए गए सीआरएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार केंद्रीय सरकार परियोजनाओं की संस्वीकृति और विशिष्ट परियोजना और उन पर खर्च की गयी राशि की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग और माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से ''सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए निधियों के आवंटन हेतु मानदंड'' को अंतिम रूप दिया है और इसे 31 जनवरी, 2020 को सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है।

3.11. एक्सप्रेसवे हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान का विकास :

भारतमाला के पहले चरण के हिस्से के रूप में 22 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं जिनकी लंबाई 8,409 किमी है और

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

कुल पूंजीगत लागत 3,60,000 करोड़ रुपये है। आने वाले महीनों में अंबाला– कोटपुतली कॉरिडोर और दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस–वे के हिस्से (दिल्ली– दौसा, वडोदरा– अंकलेश्वर, कोटा– झाबुआ) और अमृतसर–जामनगर कॉरिडोर (बीकानेर से पचपदरा (जोधपुर)) राष्ट्र को समर्पित कर दिए जाएंगे।

आर्थिक विकास के साथ एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप देश में यात्री और माल ढुलाई की दक्षता में सुधार लाने के लिए नए एक्सप्रेसवे तैयार करने हेतु वित्त वर्ष 2022–23 में एक नया राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया जाएगा।

नए एक्सप्रेसवे जैसे बैंगलोर–विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, वाराणसी–रांची–कोलकाता एक्सप्रेसवे, हैदराबाद–बेंगलुरु एक्सप्रेसवे और गोरखपुर– सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आगामी वित्तीय वर्ष में अधिनिर्णीत किए जाने का लक्ष्य है।

भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड कॉरिडोरों का विवरण :

क. भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत नियोजित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का सार

प्रकार	कॉरिडोरों की संख्या	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये)
एक्सप्रेसवे	5	2,485	162,890
एक्सेस नियंत्रित	17	5,924	197,178
कुल	**22**	**8,409**	**360,068**

ख. भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत नियोजित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सूची

क्र.सं.	कॉरिडोर का नाम	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये)	पूरा होने का लक्षित वर्ष
1	दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे	1,382	98,299	वित्त वर्ष 23
2	अहमदाबाद – धोलेरा	109	4,192	वित्त वर्ष 24
3	बेंगलुरु – चेन्नई	262	16,730	वित्त वर्ष 25
4	दिल्ली – अमृतसर – कटरा	669	39,486	वित्त वर्ष 25
5	कानपुर – लखनऊ एक्सप्रेसवे	63	4,183	वित्त वर्ष 25
	एक्सप्रेसवे कुल	**2,485**	**162,890**	

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on right. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

ग. भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत नियोजित 17 ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित राजमार्गों की सूची

क्र.सं.	कॉरिडोर का नाम	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये)	पूरा होने का लक्षित वर्ष
6	अंबाला — कोटपुतली	313	11,375	वित्त वर्ष 22
7	अमृतसर – भटिंडा – जामनगर	917	22,757	वित्त वर्ष 24
8	रायपुर – विशाखापत्तनम	465	16,122	वित्त वर्ष 25
9	हैदराबाद विशाखापत्तनम	222	5,921	वित्त वर्ष 25
10	यूईआर II	75	7,010	वित्त वर्ष 24
11	चेन्नई – सलेम	277	9,681	वित्त वर्ष 25
12	चित्तूर थैचूर	116	4,754	वित्त वर्ष 24
13	बैंगलोर रिंग रोड	281	14,337	वित्त वर्ष 25
14	दिल्ली – सहारनपुर – देहरादून	329	17,085	वित्त वर्ष 24
15	दुर्ग रायपुर अरंग	92	2,689	वित्त वर्ष 25
16	हैदराबाद – रायपुर	330	8,737	वित्त वर्ष 25
17	सूरत – नासिक – अहमदनगर – सोलापुर	711	28,212	वित्त वर्ष 25
18	सोलापुर – कुरनूल – चेन्नई	335	10,538	वित्त वर्ष 25
19	इंदौर – हैदराबाद	687	15,014	वित्त वर्ष 25
20	खड़गपुर – सिलीगुड़ी	235	5,671	वित्त वर्ष 25
21	कोटा इंदौर (गरोठ से उज्जैन)	135	2,609	वित्त वर्ष 25
22	नागपुर – विजयवाड़ा	405	14,666	वित्त वर्ष 25
	ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर कुल	**5,924**	**197,178**	

3.12 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) :

3.12.1 यह अकादमी राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता आ रही है। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के मुख्य गतिविधियों में मौटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:–

- नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।
- वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
- सड़क विकास के कार्य में शामिल वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रशासकों के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना।
- राजमार्ग क्षेत्र में विशेषीकृत क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास करना।
- पीपीपी और ईपीसी इत्यादि के बारे में अल्पकालिक पाठ्यक्रम / प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन करना, देश में सड़कों और राजमार्गों की आयोजना / डिजाइन / निर्माण और प्रबंधन में सहकारी अनुसंधान आयोजित करना तथा सड़क सुरक्षा जैसे भिन्न - भिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना।

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

This sign indicates that there is an eating place in the vicinity. This sign is common on highways and long stretches of road.

- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अफ्रीकी / अन्य विदेशी मूल के अभियंताओं का प्रशिक्षण।
- आईएएचई को सरकार द्वारा समय समय पर समनुदेशित अन्यद विविध कार्य

3.12.2 वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 2021 के दौरान, अकादमी ने 11 इन–कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन और एनएचएआई के अधिकारियों के लिए एक–एक फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है । संविदाकारों / सलाहकारों के गुणवत्ता नियंत्रण / सहायक गुणवत्ता नियंत्रण अभियंताओं (उप–पेशेवर) के लिए सामग्री परीक्षण प्रक्रियाओं पर तीन प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम, एनआरआईडीए के राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटरों के लिए तीन पाठ्यक्रम और सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों हेतु दो 15 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : 42 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला जिसमें 2,752 अभियंताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। इसके अलावा, सोहाना (हरियाणा), मदुरै (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में ''निर्माण के दौरान प्रि–स्ट्रेडस्ड कंक्रीट एलिवेटेड संरचनाओं और पुल के ढहने से बचाव'' पर चार पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 399 पेशेवरों ने भाग लिया।

3.12.3 आईएएचई ने उत्कृष्टता केंद्र – उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली केंद्र (सीएटीटीएस) की स्थापना के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूं साउथ वेल्सन के साथ एक समझौते पर हस्ताबक्षर किया है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के तहत भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने आईएएचई, नोयडा में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणाली केंद्र (सीएटीटीएस) की स्थापना के लिए दिनांक 15.07.2021 को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू), ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर दिनांक 15.07.2021 को एक वर्चुअल समारोह में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता आईएएचई में सीएटीटीएस की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सक्षम वातावरण के निर्माण के लिए एक परियोजना के लिए है। यूएनएसडब्ल्यू स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मॉडलिंग पर इसके द्वारा प्रमाणित पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा।

सीएटीटीएस का मुख्य दायरा निम्नलिखित क्षेत्रों में है :

- यूएनएसडब्यू द्वारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की कोडिंग, अंशांकन (कैलिब्रेशन) एवं वैधीकरण और परिदृश्यो विश्लेषण सहित संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए भारत विशिष्टर मैक्रो मॉडल (संगणनीय सामान्यत संतुलन मॉडल) का निर्माण करना है।
- यू एन एस डब्ल्यू द्वारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की कोडिंग, अंशांकन (कैलिब्रेशन) एवं वैधीकरण और परिदृश्यं विश्लेषण सहित शहर के लिए भारत विशिष्ट शहरी पर्वेसिव डेटा मॉडल का निर्माण।
- यूएनएसडब्ल्यू द्वारा प्रमाणित एक पाठ्यक्रम स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्सश एंड मॉड्लिंग भी यूएनएसडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया जाएगा जो भारत में तीन कार्यशालाएं और आस्ट्रेएलिया में तीन कार्यशालाओं के स्वनरूप में होगा। प्रत्येक कार्यशाला पांच दिवस की अवधि का होगा और 40 प्रतिभागियों को भाग लेने की अनुमति होगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

परामर्शदाताओं , प्राधिकरण अभियंताओं और स्वतंत्र अभियंताओं के साथ वार्ता

यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है।
This sign indicates location of Railway Station.

अध्याय - IV

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4.1 यह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है और कुल आबंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 13,651 किमी है और इन्हें चार एजेंसियों– राज्य् लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचएआईडीसीएल द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जा रहा है। कुल 13,651 किमी की लम्बाई में से लगभग 11,735 किमी लंबाई एनएचएआईडीसीएल और संबंधित राज्यीय लोक निर्माण विभागों के पास है, 882 किमी लम्बाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है और 794 किमी लंबाई सीमा सड़क संगठन के पास है। शेष 240 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग किसी क्रियान्वयन एजेंसी को नहीं सौंपे गए हैं।

4.2 राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए विकास एवं अनुरक्षण कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	कार्यक्रम	लंबाई (किमी में)
क.	एनएचडीपी चरण–III के अंतर्गत राजमार्ग लम्बाई	110
ख.	एसएआरडीपी–एनई के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों राज्यीय सड़कें की लम्बाई (i) चरण 'क' (ii) चरण 'ख' (केवल डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुमोदित)	 4,099 3,723
ग.	अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज	2,319

4.3 मेघालय राज्य (जोवाई–मेघालयध्असम सीमा (रताछेड़ा) खंड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 की 110 किमी लम्बाई एनएचडीपी चरण– ।।। के अंतर्गत आती है, जिन पर कार्य पूरा हो गया है।

4.4 अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्वी योजना के अंतर्गत 1,281.18 करोड़ रुपए की लागत की 22 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

4.5 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 3,432.65 करोड़ रुपए की राशि के 191 कार्य प्रगति पर हैं।

4.6 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 6,430.31 करोड़ रुपए लागत के 66 कार्य प्रगति पर हैं।

4.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

4.8 अरूणाचल प्रदेश

4.8.1 31 दिसंबर, 2021 की स्थिरति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 2,552.58 करोड़ रुपए लागत के 14 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.8.2 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों में सुधार के लिए 836.12 करोड़ रुपए की लागत के 46 कार्य प्रगति पर हैं।

4.8.3 आर्थिक महत्व और अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 206.12 करोड़ रुपए की लागत के 7 कार्य प्रगति पर हैं।

4.9 असम

4.9.1 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 1,685.36 करोड़ रुपए की लागत के 14 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.9.2 असम में लुमडिंग–डबोका–नगांव–गुवाहाटी से होकर सिल्चर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 667 किमी की लम्बाई के कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचआईडीसीएल को सौंपे गए हैं।

4.9.3 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1,170.75 करोड़ रुपए की राशि के 31 कार्य प्रगति पर हैं।

4.9.4 अर्न्तराज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत लगभग 96.18 करोड़ रुपए की लागत का एक कार्य प्रगति पर हैं।

4.9.5 84.52 करोड़ रुपए की लागत की 7 परियोजनाएं हाल में संस्वीकृत की गयीं हैं।

4.10 मणिपुर

4.10.1 31 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 321.10 करोड़ रुपए की लागत से 7 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.10.2 सीआरएफ के अंतर्गत, राज्य सड़कों में सुधार के लिए 252.75 करोड़ रुपए के लागत के 26 कार्य प्रगति पर हैं।

4.10.3 आर्थिक महत्व और अंतर–राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत 124.01 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्य प्रगति पर हैं।

4.11 मेघालय

4.11.1 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 285.05 करोड़ रुपए की लागत 15 सुधार कार्य प्रगति पर है।

4.11.2 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 305.07 करोड़ रुपए की लागत के 37 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

4.12 मिजोरम

4.12.1 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 348.03 करोड़ रुपए की लागत के 4 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

4.12.2 सीआरआईएफ के अंतर्गत, 270.87 करोड़ रुपए की लागत पर राज्यीय सड़कों में सुधार के 6 कार्य प्रगति पर हैं।

4.12.3 इसके अतिरिक्ते ईआई एंड आईएससी योजना के अंतर्गत 57.91 करोड़ रुपये की लागत का एक कार्य प्रगति पर है।

4.13 नागालैंड

4.13.1 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 954.90 करोड़ रुपए की लागत से 9 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.13.2 सीआरआईएफ के अंतर्गत 376.57 करोड़ रुपये की लागत के 18 राज्यीय सड़क सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.13.3 आर्थिक महत्व और अंतर–राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत 796.96 करोड़ रुपए की लागत के 11 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

4.14 सिक्किम

4.14.1 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 56.11 करोड़ रुपये की लागत के 2 सुधार कार्य प्रगति पर है।

4.14.2 सीआरआईएफ के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 139.19 करोड़ रुपए की लागत के 21 कार्य प्रगति पर हैं।

4.15 त्रिपुरा

4.15.1 31 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल), के अंतर्गत 236.18 करोड़ रुपए की लागत का 1 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

4.15.2 राज्य सड़कों के सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 81.33 करोड़ रुपए की लागत के 16 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

This sign cautions you about a Right Hand Curve on the road ahead. This helps you in maneuvering vehicle accordingly and nullifies the possibility of crash due to sudden appearance of turn.

जालुकबारी, गुवाहाटी में सिग्नल मुक्त इंटरसेक्शन

अंबाला कोटपुतली एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर

जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है।

When the width of the road decreases and the road merges into a narrow road, there is a possibility that a speeding vehicle may collide with oncoming traffic. This sign cautions the driver to be careful as the road ahead is narrow.

माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग, राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग, द्वारा जोजिला सुरंग का निरीक्षण

पीएम गति शक्ति का उद्घाटन

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

This sign signifies that the road ahead is wide. The width of the road widens after this sign and thus traffic should adjust accordingly.

अध्याय - V

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एन एच आई डी सी एल)

5.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एन एच आई डी सी एल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसे 18 जुलाई, 2014 को उत्तर पूर्व में और देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले, देश के रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में त्वरित गति से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। वर्तमान में, स्थानीय आबादी के प्रत्येक वर्ग को समग्र आर्थिक हितलाभ प्रवाहित करने एवं उन्हें और अधिक सुदढ तरीके से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के साथ इन क्षेत्रों के आर्थिक समेकन पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास किए जा रहें हैं।

भारत सरकार द्वारा इस कम्पनी को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरीडोर सहित करीब 13,000 किमी की लंबाई की सड़क सम्पर्कता को सुधारने और विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। कम्पनी ने दक्षता और पारदर्शिता हेतु सूचना–प्रौद्योगिकी पहल जैसे कि ई–ऑफिस, ई–निविदा, ई–मॉनीटरिंग, ई–एक्सैस, ई–डीएमएस (इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम), एमपीएल (मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग), इंफ्राकॉन एवं एसएपी को अंगीकृत किया है।

छः वर्षों से अधिक की एक छोटी अवधि में ही, एनएचआईडीसीएल एमओआरटीएच की विभिन्न निधियन योजनाओं के अंतर्गत देश के पूर्वोत्तर और सामरिक दृष्टि से महत्व पूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण और अन्य अवसंरचनाओं के विकास में तेजी लाने में समर्थ रहा है।

5.2 एन एच आई डी सी एल की परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

5.2.1 क्रियान्वयन / निर्माण अधीन परियोजनाओं की स्थिति :

क्रम सं.	राज्य	चालू परियोजनाओं की कुल संख्या		
		परियोजनाओं की संख्यां	लंबाई (किमी में)	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान एवं निकोबार	5	178	1,453
2	अरुणाचल प्रदेश	23	447	7,097
3	असम	29	558	18,198
4	जम्मु एवं कश्मीर	17	263	15,132
5	लद्दाख	8	230	2,287
6	मणिपुर	38	692	10,985
7	मेघालय	12	281	3,820
8	मिजोरम	23	654	12,795
9	नागालैंड	35	646	10,515
10	सिक्किम	18	210	4,779
11	त्रिपुरा	19	386	4,686
12	उत्तराखंड	4	99	2,479
13	पश्चिम बंगाल	6	78	1,676
कुल		**237**	**4,722**	**95,902**

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.

5.3 अंडमान और निकोबार

2,128 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 321 किमी लंबाई के 11 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 675 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 143 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 178 किमी निर्माणाधीन है।

5.4 अरुणाचल प्रदेश

10,081 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 751 किमी लंबाई के 35 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 2,984 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 303 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 447 किमी निर्माणाधीन है।

5.5 असम

18,689 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 628 किमी लंबाई के 33 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 492 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 70 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 558 किमी निर्माणाधीन है।

5.6 जम्मु एवं कश्मीर

15,156 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 300 किमी लंबाई के 19 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 25 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 37 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 263 किमी निर्माणाधीन है।

5.7 लद्दाख

2,287 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 230 किमी लंबाई के 8 खंड निर्माणाधीन है।

5.8 मणिपुर

11,854 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 738 किमी लंबाई के 39 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 869 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 46 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 692 किमी निर्माणाधीन है।

5.9 मेघालय

3820 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 281 किमी लंबाई के 12 खंड निर्माणाधीन है।

5.10 मिजोरम

12,795 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 654 किमी लंबाई के 23 खंड निर्माणाधीन है।

5.11 नागालैंड

10,515 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 646 किमी लंबाई के 35 खंड निर्माणाधीन है।

5.12 सिक्किम

4,779 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 210 किमी लंबाई के 18 खंड निर्माणाधीन है।

5.13 त्रिपुरा

5,721 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 462 किमी लंबाई के 21 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1,035 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 76 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 386 किमी निर्माणाधीन है।

5.14 उत्तराखंड

2,828 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 105 किमी लंबाई के 11 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 349 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 6 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 99 किमी निर्माणाधीन है।

5.15 पश्चिम बंगाल

1,834 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 79 किमी लंबाई के 7 खंड संस्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 159 करोड़ रुपये की लागत पर करीब 2 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो गया है और शेष 77 किमी निर्माणाधीन है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

This sign signifies that the road ahead is wide. The width of the road widens after this sign and thus traffic should adjust accordingly.

5.16 एन एच आई डी सी एल को सौंपी गई भारतमाला परियोजनाएं

एन एच आई डी सी एल को भारतमाला परियोजना चरण 1 के अंतर्गत 5,070 किमी के खंडों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। अब तक एन एच आई डी सी एल ने 48,537 करोड़ रुपये की लागत के 2,186 किमी लंबाई की सड़क अधिनिर्णीत की है और 550 किमी लंबाई का कार्य पूरा कर लिया है। कैलेंडर वर्ष 2021–22 में कुल 211 किमी लंबाई का निर्माण किया गया है।

सौंपे गए घटकों में सीमा सड़क, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क, आर्थिक कॉरिडोर (एनईआर) एवं फीडर मार्ग – अंतर्देशीय जलमार्ग शामिल हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

सार		
क्र. सं.	**कॉरिडोर प्रकार**	**कुल लंबाई (किमी में)**
1	आर्थिक कॉरिडोर	2,973
2	फीडर रूट	312
3	राष्ट्रीय कॉरिडोर	25
4	सीमा संपर्क सड़कें	718
5	अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें	878
6	अंतर कॉरिडोर फीडर रूट	164
भारतमाला कुल		**5,070**

5.17 एन एच आई डी सी एल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क का निर्माण

एन एच आई डी सी एल निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमापारीय संपर्क सड़क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है:

5.17.1 बांग्लादेश को जोड़ने वाली सड़क

- त्रिपुरा को बांग्लापदेश से सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए सबरूम में फेनी नदी के ऊपर पुल का निर्माण पूरा हो गया है।
- मिजोरम को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए तलबुंग – लुंगलेई सड़क का निर्माण।
- मेघालय को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए शिलांग – डावकी सड़क का निर्माण।

5.17.2 म्यांमार के साथ सड़क संपर्क

- इंफाल – मोरेह सड़क और मोरेह बाईपास सड़क के निर्माण से म्यांमार के साथ व्यापार में आसानी होगी। मोरेह स्थित लैंड पोर्ट का निर्माण लैंड पोर्ट और सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- आइजोल से मिजोरम के तुईपांग तक एनएच 54 को 351 किमी के 2 लेन का बनाने से कलादान मल्टीमॉडल परिवहन परियोजना को महत्वपूर्ण लिंक मिलेगी, जो म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ेगी।

5.17.3 नेपाल के साथ सड़क संपर्क

- नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल के रास्ते व्यापार में सुधार लाने के लिए एशियाई राजमार्ग (एएच–02) पर 6–लेन मेची पुल का निर्माण पूरा हो गया है।

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.

5.18 वर्ष 2021–22 में अधिनिर्णीत परियोजनाएं (दिनांक 01.01.2021 – दिनांक 30.12.2021 तक)

वर्ष 2021–22 में अधिनिर्णीत परियोजनाएं			
क्रम सं.	राज्य	लंबाई (किमी में)	लागत(करोड़ रुपये में)
1	असम	115	3,180
2	जम्मू और कश्मीर	119	4,049
3	लद्दाख	200	2,117
4	मणिपुर	452	6,640
5	मेघालय	25	260
6	मिजोरम	200	3,738
7	नागालैंड	78	922
8	सिक्किम	22	826
9	त्रिपुरा	18	355
कुल योग		**1,229**	**22,087**

5.19 एन एच आई डी सी एल को सौंपी गई परियोजना के लिए दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान व्यय की गई निधि का विवरण **परिशिष्ट–4** में दिया गया है।

5.20 दूरस्थ इलाकों में कंपनी की उपस्थिति

कंपनी ने चरम जलवायु परिस्थितियों वाले दूरस्थ इलाकों में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं, जो इसे उन क्षेत्रों में परियोजनाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। कंपनी ने स्थानीय लोगों और राज्य सरकार के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाए रखा हैं। कंपनी ने अपनी परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए 13 क्षेत्रीय कार्यालय, 48 परियोजना निगरानी इकाईयां और 75 साइट कार्यालयों की स्थापना की है।

5.21 एन एच आई डी सी एल ने चिकित्सा उपकरण, दवाओं और अन्य संबंधित सामग्री की खरीद के लिए उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान कर कोविड –19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हितधारक राज्य सरकारों अपना पूरा सहयोग किया है। अपने सी एस आर बजट से परे जाते हुए एन एच आई डी सी एल ने हितधारक राज्य सरकारों को लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत के 135 बुनियादी जीवन देखभाल एंबुलेंस दानस्वंरूप प्रदान किए।

एन एच आई डी सी एल ने हितधारक राज्यों को 135 एम्बुलेंस दान स्वरूप प्रदान किए। वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं में व्यय की गई सी एस आर राशि का विवरण **परिशिष्ट 5** में है।

5.22 मंत्रालय उन क्षेत्रों में जहां परिवहन के अन्य साधन संभव नहीं हैं, उदाहरणार्थ, पर्वतीय क्षेत्रों में, वैकल्पिक गतिशीलता परिवहन समाधान के रूप में केबल प्रोपेल्ड ट्रांजिट, अर्थात् रोपवे के विकास की योजना बना रहा है। रोपवे पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय तरीके से यात्रियों के परिवहन के लिए प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में उत्तराखंड राज्य में 7 प्रमुख स्थानों पर रोपवे विकसित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंदघाट से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड–साहिबजी नामक दो पायलट परियोजनाओं के लिए डी पी आर कार्य प्रगति पर है। अन्य स्थानों के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन चल रहे हैं। इस नए क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एच ए एम) पर रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान के लिए मॉडल रियायत समझौता (एम सी ए) तैयार किया जा रहा है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

This sign indicates that there is a gap in the divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any crash.

माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग और राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा बुनियादी देखभाल एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

केबल चालित ट्रांजिट के विकास की प्रस्तावित योजना

यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं / दायीं और दायीं / बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा (इंटरसेक्शन) है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है।

These signs indicate that there is a left/right and right/left turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road.

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

This sign indicates that there is a gap in the divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any crash.

अध्याय - VI

सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

सड़क परिवहन

6.1 सड़क परिवहन, भारत में यातायात हिस्सा और राष्ट्रीय अर्थव्यस्था में योगदान – दोनों ही दृष्टि से परिवहन का प्रमुख साधन है। माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधानजक बनाने के अलावा, सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित रीति से सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की सामाजिक और आर्थिक एकता एवं विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलभता, संचालन में लचीलापन, घर–घर तक सेवा पहुंचाने और विश्वसनीयता के कारण सड़क परिवहन ने परिवहन के अन्यं साधनों की तुलना में यात्री एवं माल की आवाजाही– दोनों में श्रेष्ठतर स्थान अर्जित किया है।

6.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने / इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त, देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

6.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमो / नियमावलियों, जिनमें मोटर यानों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है –

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम 2007
- सड़क मार्ग द्वारा वहन नियमावली, 2011

6.4. राज्यों के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 08.05.2010 से एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली क्रियान्वित की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार 1000/– रुपए के घरेलू राज्य प्राधिकार शुल्को तथा 16,500/– रुपए प्रति वर्ष प्रति ट्रक के हिसाब से समेकित शुल्क का भुगतान करने पर गृह राज्य द्वारा राष्ट्रीय परमिट दिया जा सकता है और उससे परमिट धारक को देशभर में संचालन के लिए प्राधिकार प्राप्त हो जाता है। नई प्रणाली को दिनांक 15.09.2010 से राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित वैब पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से वसूल किए गए समेकित शुल्क को राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सहमत सूत्र के आधार पर आनुपातिक आधार पर बांटा जाता है।

6.5 ई–ट्रांसपोर्ट

ई–ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से विभिन्न परिवहन सेवाओं की सुविधा के लिए एक छत्र मंच है। इसने कई अनुप्रयोगों के माध्यम से वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रवर्तन, कराधान, परमिट, फिटनेस और संबंधित गतिविधियों

यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं / दायीं और दायीं / बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा (इंटरसेक्शन) है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है।

These signs indicate that there is a left/right and right/left turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road.

के लिए सेवा वितरण तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। 100 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं दस्तावेज अपलोड, ई–भुगतान, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आदि की सुविधा प्रदान कर इस समाधान को संपूरित किया है, जिनमें से कुछ पूरी तरह से संपर्क रहित हैं।

6.5.1 सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकास :

ई–ट्रांसपोर्ट एमएमपी शुरू में मुख्य रूप से ऑनलाइन आरसी और डीएल से संबंधित सेवाओं के लिए एक माध्यम से परिणत होकर अब व्यापक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो गया है। बड़ी संख्या में आंतरिक/बाहरी हितधारकों के साथ बहुतेरे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एकीकरण ने, वाहन के पूरे जीवन चक्र और लाइसेंस सेवाओं के आसपास समाधानों की एक श्रृंखला के साथ, इस विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे सेवा वितरण तंत्र और उपयोगकर्ता अनुभव को नागरिकों, व्यापार और सरकारों के लिए समान रूप से बहुत अधिक बढ़ा दिया है।

एकीकृत पारि–प्रणाली जिसमें ऑटोमोबाइल और पूर्जा निर्माता, फिटमेंट सेंटर, कार डीलर, पीयूसीसी कियोस्क, बैंक, बीमा कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, निजी फिटनेस सेंटर, स्मार्ट कार्ड, एचएसआरपी, फास्टैग के लिए सहायता एजेंसियां, पुलिस, सीसीटीएनएस / एनसीआरबी, नैटग्रिड जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं, ई–डिस्ट्रिक्टी, सीएससी, उमंग, डिजिलॉकर इत्यादि जैसी सेवाएं, एपीआई और अन्यं ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से एक साझे ई–ट्रांसपोर्ट प्लेसटफॉर्म से जुड़ी हैं।

इन एकीकरणों के परिणामस्वएरूप निरंतर डेटा/सेवा एक्सचेंज इस परियोजना को बड़े परिमाण में डेटा से लैस करता है, जिसे प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने / निगरानी करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विश्लेषित किया जाता है। इसके अलावा, यह उभरती प्रवृतियों और परिदृश्यों को अंगीकृत करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ संव्यवहारों के साथ मानकीकरण करने हेतु आवश्यक तैयारी सुगम करता है।

6.5.2 एम – वाहन :

एम–वाहन को आरटीओ के विभागीय अधिकारियों और डीलरों जैसे अन्य आंतरिक हितधारकों द्वारा विभिन्न वाहन सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक सुविधाजनक मोबाइल समाधान के रूप में परिकल्पित किया गया है। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वर्तमान संस्करण, वाहन निरीक्षण और फिटनेस के स्वचालन, वाहन पंजीकरण के दौरान डीलर / आरटीओ द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा और पते के परिवर्तन के लिए प्रसंस्करण अनुरोध जैसी अन्य सेवाओं सहित कई प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है। आरटीओ संचालन की पूरी श्रृंखला को कवर करने के लिए कार्यात्मकताओं का विस्तार हेतु आगे काम जारी है।

एम–वाहन का उपयोग करते हुए फिटनेस निरीक्षण : मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) वाहनों का निरीक्षण पहले उनके वर्तमान भू–स्थान और समय का पता लगा कर दर्ज किए गए समय पर निर्दिष्ट निकटता के अंदर वाहन की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। एमवीआई ब्रेक, वाइपर, सीट बेल्ट, फ्रंट लाइट, रियर लाइट आदि जैसे वाहन की स्थिति मापदंडों की स्थिति के साथ निरीक्षण प्रक्रिया के भाग के रूप में ली गई समय दर्ज (टाइम–स्टैम्प्ड) छवियों को अपलोड करता है। इसके बाद विवरण को अनुमोदन/अस्वीकृति हेतु, यथा लागू, आगे संसाधित किया जाता है। यह सुविधा वर्तमान में 8 राज्यों के आरटीओ में शुरू की गई है : – तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, असम और छत्तीसगढ़।

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

उभार या ऊबड़-खाबड़ सड़क
Hump or Rough Road

6.5.3 प्रज्ञ यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के साथ ई–चालान का एकीकरण

कई राज्यों और स्मार्ट शहरों ने यातायात प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रज्ञ यातायात प्रबंधन प्रणाली (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) (आईटीएमएस) क्रियान्वित किया है। इसके भाग के रूप में, यातायात उल्लंघन की कारगर निगरानी हेतु उन्नत तकनीकों / घटकों जैसे क्लोज्ड–सर्किट टेलीविजन / स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे, स्पीड गन, ओवर स्पीड उल्लंघन संसूचन (ओएसवीडी) / रेड लाइट उल्लंघन संसूचन (आरएलवीडी) उपकरणों आदि को स्थापित किया गया है। इन प्रणालियों द्वारा संकलित किए गए डेटा को गैर–दखलंदाजी तरीके से उल्लंघनकर्ताओं को चालान नोटिस जारी करने के लिए ई–चालान यातायात प्रवर्तन समाधान के साथ एकीकृत किया गया है।

यह प्रणाली वाहन पंजीकरण प्लेट को पढ़ती है, उल्लंघन विवरण दर्ज करती है और इसे ई–चालान प्रणाली को भेजती है, जो वाहन और मालिक के विवरण तक पहुंचने के लिए वाहन डेटाबेस से जुड़ता है और स्वचालित रूप से एसएमएस के माध्यम से उल्लंघन नोटिस भेजता है। एसएमएस पोर्टल पर उल्लंघन के विवरण देखने के लिए लिंक प्रदान करता है और नागरिकों को ऑनलाइन दंड का भुगतान करने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, वर्चुअल कोर्ट के साथ इसका एकीकरण है, जो ऑनलाइन कोर्ट रेफरल से लेकर क्लोजर तक उल्लंघनों के ऑनलाइन निपटान को सक्षम बनाता है। इस तरह की एकीकृत प्रणाली को 13 राज्यों में लागू किया गया है और 25.11.2021 तक, इस प्रणाली के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक यातायात उल्लंघन नोटिस जारी किए गए हैं।

6.5.4 वी एल टी एस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सॉल्यूशन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश भर में कार्यान्वयन हेतु वाहन स्थान ट्रैकिंग और आपातकालीन चेतावनी प्रणाली (वी एल टी ई एस) की अवधारणा की गई है। पूरी प्रणाली मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित एआईएस–140 विनिर्देशनों पर आधारित है – सार्वजनिक सेवा वाहनों में अनुमोदित ट्रैकिंग उपकरणों के फिट होने की प्रक्रिया को परिभाषित करने और राज्य स्तर पर वीएलटीएस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (सी एंड सीसी) की स्थापना।

एन आई सी ने इस संपूर्ण समाधान को विकसित किया है, जिसमें वीएलटीडी मेकर एप्लिकेशन के माध्यम से डिवाइस होमोलोगेशन और फिटमेंट प्रणाली शामिल है और इसमें उपकरणों से लैस सभी वाहनों को ट्रैक करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने और संचालित करने हेतु सॉफ्टवेयर भी शामिल है। एनआईसी इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों के लिए समर्पित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान कर रहा है। वीएलटीडी मेकर एप्लिकेशन 18 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) में काम कर रहा है और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर – उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान (केवल एम्बुलेंस के लिए) राज्यों में काम कर रहा है और बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, मिजोरम और हरियाणा में प्रगति पर है।

6.5.5 वाहन रिकॉल प्रबंधन प्रणाली

एमओआरटीएच की हाल की अधिसूचना (का.आ. 1232 (अ)) में एनआईसी की तकनीकी सहायता से एक मजबूत ऑनलाइन प्रणाली की सुविधा से, निर्माताओं द्वारा वाहन रिकॉल प्रक्रिया को कारगर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वाहन रिकॉल मैनेजमेंट सिस्टम में ग्राहक अधिसूचना और प्रतिक्रिया तंत्र, प्रक्रिया ट्रैकिंग, अनुपालन और रिपोर्टिंग सहित वाहन रिकॉल के हर पहलू को संभालने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। यह वाहन (वाहनों) में रेट्रोफिटिंग आवश्यकताओं से ट्रिगर

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

होने वाली रिकॉल घटनाओं का भी ध्यान रख सकती है। इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे वाहन / पूर्जा निर्माताओं, वाहन, होमोलॉगेशन सिस्टम आदि के साथ एकीकरण की आवश्यकता होगी।

वाहन शिकायतों और रिकॉल प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए और उपयोगकर्ता पंजीकरण, शिकायत पंजीकरण, नामित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई आदि सहित कई अन्य कार्यात्मकताओं को होस्ट करने के लिए एक पोर्टल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

6.5.6 अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (ए आई टी पी) मॉड्यूल

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (ए आई टी पी) नियम, 2021 के संबंध में राजपत्र अधिसूचना – सा.का.नि. 166 (अ) दिनांक 10 मार्च 2021 के अनुसार सभी हितधारकों को यह सेवा ऑनलाइन प्रदान करने के लिए एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है – https://vahan.parivahan.gov.in/aitp/- इस मॉड्यूल में सभी राज्यों को साझा पोर्टल से सभी राज्यों को एआईटीपी के केंद्रित निर्गम का प्रावधान है। मॉड्यूल सक्रिय हो गया है और 1 अप्रैल 2021 से प्रवृत हो गया है।

6.5.7 फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस, आधार – ईकेवाईसी आधारित सेवाएं –

मौजूदा परिवहन सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण / ई के वाई सी, ए आई आधारित चेहरा पहचान, ई–साइन / डी एस सी और अन्य व्यावसायिक प्रक्रिया परिवर्तनों जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हुए फेसलेस / संपर्क रहित मोड में बदल दिया गया है। वाहन और सारथी प्लेटफॉर्म के तहत अधिकांश ऑनलाइन सेवाओं को राज्य–विशिष्ट अनुकूलन के साथ और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुरूप फेसलेस मोड में बदल दिया गया है। वर्तमान में, यह सुविधा 40 सेवाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी है और 14 राज्यों में लागू की गयी है। इस पहल से नागरिक और आर टी ओ जैसे सभी हितधारकों को आर टी ओ में आने वाले लोगों की संख्या में कमी और सेवाओं की तेज, परेशानी मुक्त प्रदायगी के रूप में लाभ हुआ है।

6.5.8 राज्य सरकारों द्वारा धारा 210क के अंतर्गत गुणक

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार मोटर यानों से संबंधित उल्लंघनों हेतु शास्तियों के लिए 10 गुना तक का एक गुणक रख सकता है। इन उल्लंघनों से आगे और निरोध के लिए यह प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने धारा 210 क के अंतर्गत एक गुणक को निर्दिष्ट करने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली शर्तों को अधिसूचित किया है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, किए गए अपराध, लगाए गए अर्थदंड और जुर्माना से संबंधित आंकड़े या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद या राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, द्वारा स्वतः या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर दी गयी सलाह शामिल है।

6.6 सड़क परिवहन क्षेत्र में की गयी प्रमुख पहलें :

6.6.1 अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट : –

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उन भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने हेतु जिनकी आईडीपी विदेश में रहने के दौरान समाप्त हो गई है, 7 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। जब नागरिक विदेश में

कई बार सड़क पथ–कर वसूली केंद्र / जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

थे और उनकी आई डी पी समाप्त हो जाती थी, तब आई डी पी के नवीनीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं था। अब, इस संशोधन से भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां से ये आवेदन संबंधित आर टी ओ द्वारा विचारार्थ भारत में वाहन पोर्टल पर जाएंगे। संबंधित आर टी ओ द्वारा विदेश में नागरिक को उसके पते पर आई डी पी कोरियर किया जाएगा।

यह अधिसूचना भारत में आई डी पी के लिए अनुरोध करते समय मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा की शर्तों को भी हटा देती है। इसके पीछे तर्क यह है कि कोई नागरिक जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे भी देश हैं जहां वीजा आगमन पर जारी किया जाता है, या वीजा अंतिम समय पर जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में, यात्रा से पहले भारत में आई डी पी के लिए आवेदन करते समय वीजा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, अब बिना वीजा के आई डी पी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

6.6.2 ड्राइवर के अलावा आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एयरबैग :–

मंत्रालय ने सा.का.नि. 148 (अ) दिनांक 2 मार्च, 2021 अधिसूचित की है, जो किसी वाहन की आगे की सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग का प्रावधान अनिवार्य करता है। इसे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता के रूप में अनिवार्य किया गया है, और यह सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के सुझावों पर भी आधारित है। यह अनिवार्य किया गया है कि नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद निर्मित वाहनों और मौजूदा मॉडलों के मामले में 31 अगस्त, 2021 को या उसके बाद निर्मित वाहनों में, ड्राइवर के अलावा, आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एयरबैग फिट किया जाएगा, और ऐसे एयरबैग की आवश्यकता समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस 145 विनिर्देशनों के अनुसार होगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं कर देता है।

तथापि, वर्तमान में फैली कोविड 19 महामारी के कारण, सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक मौजूदा मॉडलों पर एयर बैग फिट करने हेतु कार्यान्वयन की तारीख के संबंध में समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन से 26 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

6.6.3. ई20 ईंधन के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक :–

मंत्रालय ने ई20 ईंधन के लिए द्रव्यनमान उत्सर्जन मानकों को अपनाने के लिए सा.का.नि. 156 (अ) दिनांक 8 मार्च 2021 को अधिसूचित किया है। बीआईएस ने पहले ही ई20 ईंधन के ईंधन विनिर्देशों को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय पहले ही ई 85 और ई 100 ईंधन के उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित कर चुका है।

ई20 या ई85 या ई100 या ईडी95 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता वाहन निर्माताओं द्वारा परिभाषित की जाएगी और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

6.6.4 संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार :–

सरकार ने का. आ. 1026 (अ), दिनांक 03.03.2021 अधिसूचित किया है, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ सेवाओं को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की मदद से पूरी तरह से ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया

है। यह नागरिकों को परेशानी मुक्त तरीके से इन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है, जिससे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि होगी।

6.6.5 अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकार या परमिट) नियम, 2021 : –

पिछले दस–पंद्रह वर्षों में हमारे देश में यात्रा और पर्यटन उद्योग में कई गुना वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों का योगदान रहा है, और इन पर्यटकों की अपेक्षाएं बढ़ने और बेहतर उपभोक्ता अनुभव की प्रवृत्ति देखी जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए मंत्रालय ने ''अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकार या परमिट) नियम, 2021'' के संबंध में सा.का.नि. 166 (अ) दिनांक 10 मार्च, 2021 अधिसूचित किया है।

इस नई योजना के तहत, कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से ''अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकार / परमिट'' के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे सभी प्राधिकार / परमिट, नियमों में निर्धारित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के जमा होने के बाद, और ऐसे प्राधिकार / परमिट के लिए देय राष्ट्रव्यापी शुल्क जमा करने के बाद, ऐसे आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर, ऐसे आवेदक (आवेदकों) द्वारा सभी अनुपालन किए जाने के अध्यधीन वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, इस योजना में प्राधिकार/परमिट, जैसा भी मामला हो, में लचीलापन होगा।

6.6.6 वाहन चालकों का लाइसेंस, मोटर वाहनों की फिटनेस और पंजीकरण :–

इस मंत्रालय ने मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 4–28, 76 और 77 (भाग) को क्रियान्वित करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और का.आ. 1433 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 में संशोधन करने के लिए सा.का.नि. 240 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है :

- इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों और दस्तावेजों का उपयोग (चिकित्सा प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षार्थी लाइसेंस, चालक लाइसेंस (डी एल) का अभ्यर्पण, डी एल का नवीकरण)
- ऑनलाइन प्रशिक्षार्थी (लर्नर्स) लाइसेंस – प्रशिक्षार्थी लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें आवेदन करने से लेकर प्रशिक्षार्थी लाइसेंस का मुद्रण तक शामिल है।
- डी एल के नवीनीकरण के लिए छूट की अवधि समाप्ति से एक वर्ष पहले तक समाप्ति के एक वर्ष बाद तक ली जा सकती है।
- राष्ट्रीय रजिस्टर – सभी राज्यों के डी एल और आर सी के राज्य रजिस्टरों को मिलाकर राष्ट्रीय डी एल और आर सी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) राष्ट्रीय रजिस्टर प्रवृत्त हो गया है। यह देश में कहीं भी वास्तविक समय के आधार पर डेटा को अपडेट और एक्सेस करने में मदद करेगा।
- डीलर प्वाइंट पंजीकरण – पूर्ण रूप से निर्मित वाहनों के मामले में आरटीओ को निरीक्षण के लिए वाहन प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आसानी होगी।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के 'टी' अक्षर की तर्ज पर तिराहा (इंटरसेक्शन) है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बायीं या दायीं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है।

This sign cautions about that there is T-intersection on the road ahead and there is no forward movement. Traffic has to either turn left or right. This helps driver in planning his movement on road.

- पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण 60 दिन पहले संभव हो गया है।
- 30 दिनों के विस्तार के साथ 06 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण (बॉडी निर्माण आदि) – एक महीने की समय सीमा को बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है, जिससे बॉडी निर्माण के लिए चेसिस खरीदने वाले मालिकों को सहूलियत होगी।
- ट्रेड प्रमाण–पत्र अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव है।
- वाहनों और अनुकूलित वाहनों में बदलाव, रेट्रो फिटमेंट – बदलाव और रेट्रोफिटमेंट की पूरी प्रक्रिया को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है, जिसके कारण मालिक और बदलाव या रेट्रोफिटमेंट करने वाली कार्यशालाओं या अधिकृत एजेंसियों में दोनों पर जवाबदेही तय हो गई है। यह वाहन की सुरक्षा और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- बदलाव किए गए वाहनों के मामले में बीमा संभव है।

6.6.7 उपयोग अधीन कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर के इंजनों के उपांतरण द्वारा रूपांतरण : –

मंत्रालय ने उपयोग अधीन कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर के इंजनों को सी एन जी, बायो–सी एन जी, एल एन जी पर संचालन के लिए इनके इंजनों में उपांतरण के माध्यम से या नए समर्पित सी एन जी, बायो–सी एन जी, एल एन जी इंजन से बदल कर रूपांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवी नियम, 1989 में संशोधन करने हेतु सा.का.नि. 336 (अ) दिनांक 4 मई 2021 अधिसूचित किया है।

6.6.8 हाइब्रिड कृषि ट्रैक्टर और विशुद्ध इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनें : –

मंत्रालय ने सा.का.नि. 342 (क) दिनांक 25 मई, 2021 के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है ताकि हाइब्रिड कृषि ट्रैक्टरों और विशुद्ध इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनों के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए एक नया नियम 125ञ सम्मिलित किया जा सके।

25 मई, 2021 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी ए6 (हाइब्रिड) और ए7 (विशुद्ध इलेक्ट्रिक) के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कृषि ट्रैक्टर, समय–समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 168:2021 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे, जब तक कि संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

6.6.9. एथेनॉल और उसके मिश्रणों के लिए सुरक्षा रोडमैप :–

मंत्रालय ने सा.का.नि. 343 (अ) दिनांक 25 मई, 2021 के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है, जिसमें एक नया नियम 115ट शामिल किया गया है जिसमें एल, एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए अपेक्षाओं को शामिल किया गया है जो निर्जल इथेनॉल या गैसोलीन के साथ इथेनॉल के मिश्रण पर चल रहे हैं। श्रेणी एल, एम और एन के मोटर वाहनों की सुरक्षा अपेक्षाएं समय–समय पर यथा संशोधित एआईएस 171:2021 के अनुसार होंगी, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत संबंधित मानक के अधिसूचित नहीं हो जाते है।

6.6.10 मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र नियम :–

भारतीय रोडवेज क्षेत्र में कुशल ड्राइवरों की कमी प्रमुख मुद्दों में से एक है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं सड़क नियमों की जानकारी के अभाव में घटित होती हैं। मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता देने के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है। इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 जून, 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं को अनिवार्य किया गया है। इससे ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी।

प्रत्यायित चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : –

(i) उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और अनन्य) ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से सुसज्जित होगा।

(ii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अपेक्षा के अनुसार इन केंद्रों पर उपचारात्मक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं।

(iii) इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग परीक्षण अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में आरटीओ में लिया जा रहा है। इससे ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(iv) इन केंद्रों को उद्योग–विशिष्ट विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति है।

6.6.11 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र (पीयूसीसी) फॉर्म का मानकीकरण : –

एम ओ आर टी एच ने सी एम वी आर, 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पी यू सी प्रमाण–पत्र के एक सामान्य प्रारूप के लिए सा.का.नि. 410 (अ) दिनांक 14 जून 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। पी यू सी सी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

(क) देश भर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र (पी यू सी सी) के लिए एक समान प्रारूप की शुरूआत और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना।

(ख) पी यू सी सी प्रारूप और अस्वीकृति पर्ची [अस्वीकृति पर्ची पहली बार शुरू की गई]।

(ग) सूचना की गोपनीयता जैसे, (i) वाहन मालिक का मोबाइल, नाम और पता (ii) इंजन नंबर और चेसिस नंबर (केवल अंतिम चार अंक दिखाई देने के लिए, अन्य अंक स्पष्ट नहीं जाएंगे)।

(घ) स्वामी का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है और सत्यापन और शुल्क के लिए एक एस एम एस अलर्ट प्राप्त होगा।

(ङ) यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रवर्तन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वे लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ड्राइवर या किसी भी प्रभारी व्यक्ति को वाहन को किसी अधिकृत प्रदूषण परीक्षण स्टेशन में परीक्षण करवाने के लिए वाहन जमा करने का निर्देश

"सड़क बंद है" संकेत दर्शाता है कि वहां आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है।
"NO THROUGH ROAD" sign indicates that there is no throughway. This sign informs drivers that there is no way ahead on the road.

जारी करने के लिए संवाद कर सकते हैं। यदि वाहन स्वामी का चालक या प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है या वाहन अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 190 की उप–धारा (2) के तहत निर्धारित दंड का दायी होगा और इसके अलावा, यदि स्वामी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को बताते हुए वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को तब तक निलंबित कर देगा, जब तक कि एक वैध ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र'' जारी न हो जाए।

(च) इस प्रकार, प्रवर्तन आई टी सक्षम होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण सुगम करेगा।

(छ) फॉर्म पर मुद्रित क्यू आर कोड में पी यू सी केंद्र से संबंधित पूरी सूचना होगी।

6.6.12 ''सुविधा केंद्र'' के रूप में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) : –

नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने का.आ. 2513 (अ) दिनांक 23 जून, 2021 के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को ''सुविधा केंद्र'' के रूप में काम करने के लिए मान्यता दी है।

6.6.13 विंटेज मोटर वाहन नियमः–

मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित सा.का.नि. 492 (अ) दिनांक 15.07.21 के तहत सीएमवीआर, 1989 में एक संशोधन प्रकाशित किया है। विरासत मूल्य के वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई मौजूदा नियम नहीं थे। इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना चाहता है। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : –

क. सभी दोपहिया और चार पहिया वाहन, जो प्रथम पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, अपने मूल रूप में अक्षुण्ण रखे गए हैं और किसी भी प्रकार के संपूर्ण ओवरहाल से नहीं गुजरे हैं, जिसमें चेसिस या बॉडी शेल या इंजन में कोई उपांतरण शामिल है, को विंटेज मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित किया गया है।

ख. किसी विंटेज वाहन के पंजीकरण या पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन, फॉर्म 20 के अनुसार किया जाएगा और पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक बीमा पॉलिसी, उचित शुल्क, आयातित विंटेज मोटर वाहनों के मामले में देश में प्रवेश का बिल और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुराना पंजीकरण प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

ग. राज्य पंजीकरण प्राधिकरण उनके द्वारा पंजीकृत किसी विंटेज मोटर वाहन के स्वामी को आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म 23क के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

घ. पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं। तथापि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न ''एक्सकएक्सस वीए वाईवाई ****'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां वीए विंटेज के लिए है, एक्ससएक्स राज्य कोड के लिए है, वायवाय एक दो अक्षर श्रृंखला होगी और ''****'' राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 तक की कोई संख्या है।

ङ. एक नए पंजीकरण के लिए शुल्क 20,000 रुपये है और बाद में पुनः पंजीकरण के लिए यह 5,000 रुपये है।

च. यदि कोई वाहन विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत है, तो उप–नियम 81घ के तहत उस वाहन की बिक्री और खरीद की अनुमति होगी।

छ. विंटेज मोटर वाहनों को नियमित/सामान्य प्रयोजनों के लिए सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा और न ही किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

ज. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित रखना और बढ़ावा देना है।

6.6.14 बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट :–

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न दिए जाने के लिए विहित शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इसे ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।

6.6.15 भारत सीरीज (बी एच सीरीज) :–

वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुगम करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न अर्थात् ''भारत श्रृंखला (बी एच–सीरीज)'' शुरू की है। इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन के स्वामी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते है तो उनको नए पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत श्रृंखला (बी एच–श्रृंखला) पंजीकरण चिह्न का प्रारूप –

पंजीकरण चिह्न प्रारूप : –

वाई वाई बी एच #### एक्स एक्स

वाई वाई – प्रथम पंजीकरण का वर्ष

बी एच – भारत सीरीज के लिए कोड

####– 0000 से 9999 (एच्छिक)

एक्स एक्स – अक्षर (ए ए से जेड जेड)

''भारत सीरीज (बी एच–सीरीज)'' के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अवस्थित हैं।

मोटर वाहन कर दो वर्ष के लिए या दो के गुणक में लगाया जाएगा। यह योजना एक नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवां वर्ष पूरा होने के बाद मोटर वाहन कर प्रतिवर्ष लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की जा रही राशि का आधा होगा।

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

गोलचक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह
Advance Destination Sign on Rotary Intersection

6.6.16 स्वैच्छिक वाहन – बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी वी एम पी) (वाहन स्क्रैपिंग नीति)

भविष्योन्मुखी बजट 2021–22 के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने स्वैच्छिक वाहन–बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी–वी एम पी) या ''वाहन स्क्रैपिंग नीति'' पेश की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को एक चरणबद्ध तरीके से उपयोग से बाहर करने के लिए एक पारि–प्रणाली बनाना है। इस नीति का उद्देश्यी अयोग्य (अनफिट) वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को, उनकी उम्र के अनपेक्ष, उनकी फिटनेस के आधार पर, स्वैच्छिक स्क्रैपिंग के लिए प्रेरित करना है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित वाहन बदलने की सुविधा प्रदान करना, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा देना, सड़कों पर नए और सुरक्षित वाहन रखकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, उद्योग और दुर्लभ–पृथ्वी धातुओं के लिए सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं और तेल आयात बिल और प्रदूषण को कम करने, रोजगार पैदा करने, निवेश को बढ़ावा देने और जीडीपी वृद्धि में योगदान करने में मदद करते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम ओआर टी एच) ने इस नीति के डिजिटल और उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यान्वयन की परिकल्पना की है। इस संबंध में, 23 सितंबर 2021 को एम ओ आर टी एच द्वारा स्वचालित फिटनेस परीक्षण स्टेशन और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए अंतिम नियम जारी किए गए थे। ये नियम 25 सितंबर 2021 को प्रवृत्त हुए थे। इन नियमों को निवेशकों के लिए बहुत ही सरल रखा गया है और इन्हें उद्योग और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है।

वाहन स्क्रैपिंग पारि–प्रणाली में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है। यह पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एन एस डब्ल्यू एस) का एक हिस्सा है, जिसे डी पी आई आई टी और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा होस्ट किया गया है। वर्तमान में, गुजरात की सिंगल विंडो सिस्टम को एन एस डब्ल्यू एस के साथ एकीकृत किया गया है। अन्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एन एस डब्ल्यू एस में तेजी से शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति में पुराने, अनुपयुक्त, प्रदूषणकारी वाहनों को उपयोग से बाहर निकालने के लिए एक पारि–प्रणाली के निर्माण के लिए प्रोत्साहन / निरूत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने के लिए नियम जारी किए गए हैं।

एम ओ आर टी एच ने इस नीति के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की हैं :

1. सा.का.नि. अधिसूचना 653 (अ) दिनांक 23.09.2021 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और प्रकार्य) नियम, 2021 का प्रावधान करता है। यह दिनांक 25.9.2021 से प्रवृत्त हो गया है।
2. सा.का.नि. अधिसूचना 652 (अ) दिनांक 23.09.2021 स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। यह दिनांक 25.9.2021 से से प्रवृत्त हो गया है।
3. सा.का.नि. अधिसूचना 714 (अ) दिनांक 04.10.2021 वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में संशोधन का प्रावधान करता है। यह दिनांक दिनांक 1.4.2022 से प्रवृत्त होगा।
4. सा.का.नि. अधिसूचना 720 (अ) दिनांक 05.10.2021 ''जमा प्रमाण–पत्र'' दाखिल करने पर उसके प्रति पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान करता है। यह दिनांक 1.4.2022 से प्रवृत्त होगा।
5. इसके अलावा, मसौदा सा.का.नि. अधिसूचना 177(अ) दिनांक 12.03.2021 जारी किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि सरकार के

यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है जो तीर के चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है।

This advance sign is erected before an intersection indicating the way to destination by arrows, facilitating the driver to ensure that he is on correct route.

स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र 15 वर्षों के बाद गैर–नवीकरणीय होगा। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6.6.17 राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ

एम ओ आर टी एच ने 13 अगस्त 2021 को गांधीनगर, गुजरात में स्वैच्छिक वाहन–बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी–वीएमपी) या ''वाहन स्क्रैपिंग नीति'' के कार्यान्वयन में तेजी लाने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आर वी एस एफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए टी एस) के रूप में वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। माननीय प्रधान मंत्री ने इस निवेशक शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया और संबोधित किया और राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति लागू की गई।

इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से की थी। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान स्वैच्छिक वाहन–बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी–वीएमपी) या ''वाहन स्क्रैपिंग नीति'' के प्रमुख विवरणों को उजागर करने वाले एक प्रचार वीडियो के साथ एक निवेशक पुस्तिका का भी अनावरण किया गया। शिखर सम्मेलन में 400 से अधिक संभावित निवेशकों की भागीदारी देखी गई, जिनमें शीर्ष ऑटो ओईएम, ऑटो कंपोनेंट ओईएम, स्टील निर्माता, विशेष रिसाइकलर, उद्योग संघ, स्वचालित परीक्षण स्टेशन ऑपरेटर, उपकरण आपूर्तिकर्ता और स्टार्ट–अप शामिल हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान सात–गुजरात में 6 और असम में 1 आर वी एस एफ की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए।

6.6.18 सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन

एम ओ आर टी एच ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 136 क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा प्रवर्तन के लिए सा.का.नि. अधिसूचना 575(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 जारी की है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन युक्ति का अभिप्राय है, स्पीड कैमरा, क्लोज–सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ए एन पी आर), वेट इन मोशन (डब्ल्यू आई एम) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी कोई अन्य तकनीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण का उपयोग यातायात नियमों का प्रवर्तन करने और उस पर चालान जारी करने के लिए किया जाएगा। ऐसे उपकरणों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इन उपकरणों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी एक अनुमोदन प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर उच्च–जोखिम और उच्च–घनत्व वाले कॉरिडोरों में और कम से कम दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में, जिसमें राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 132 शहर शामिल हैं, महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण की स्थापना सुनिश्चित करेंगी। इस पहल से सड़क सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6.7 सड़क सुरक्षा

6.7.1 सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा

भारत सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की सभी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को कम करने के लिए बहु–आयामी उपायों की आवश्यकता होती है। सड़क दुर्घटना के रोकथाम के उपाय जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction and distance to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

के दायरे में आती हैं, में सुरक्षा के लिए सड़क इंजीनियरिंग डिजाइनय उचित सड़क अंकन और संकेत वाहनों के लिए सुरक्षा मानक जैसे सीट बेल्ट आदि का उपयोग, शिक्षा और जागरूकता अभियान और कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहु–आयामी रणनीति तैयार की है।

6.7.2 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन

32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, 2021 का उद्घाटन 18 जनवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। इसमें सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों और सरकार और उद्योग से हितधारकों ने भाग लिया।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तमिलनाडु राज्य को राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को सम्मानित करने के लिए ''सड़क दुर्घटनाओं में कमी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य'' का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राज्य सरकारों की रिपोर्टों के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दिया गया था, जो वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 के दौरान तमिलनाडु राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में निरपेक्ष कमी को दर्शाता है। चयनित पुरस्कार विजेताओं को 18 जनवरी, 2021 को स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एन आर एस सी) और परिवहन विकास परिषद (टी डी सी) माननीय केंद्रीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च निकाय हैं, जो सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है। इन निकायों में सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन के प्रभारी मंत्री, सभी राज्यो / केंद्रशासित प्रदेशों के डी जी / आई जी, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं। एन आर एस सी की 19वीं बैठक और टी डी सी की 40वीं बैठक का आयोजन 19 जनवरी, 2021 को 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान किया गया था।

सड़क सुरक्षा माह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते रुझानों पर सेमिनार और कार्यशालाएं, सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग, मोटर वाहन बीमा, आपातकालीन देखभाल (नेक व्यक्ति की सुरक्षा और प्रथम प्रत्युत्तोरकर्ता का प्रशिक्षण), युवाओं की भूमिका, और सड़क सुरक्षा में कॉर्पोरेट की भूमिका पर उद्योग / कॉर्पोरेट कॉन्क्लेव शामिल हैं। इनमें ओ ई एम के प्रतिनिधियों, परीक्षण एजेंसियों, सड़क इंजीनियरों / संपरीक्षकों और सड़क निर्माण कंपनियों / रियायतग्राहियों, कॉर्पोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों, बीमा कंपनियों, चिकित्सा कर्मचारियों और कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया।

6.7.3 सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी

पूरे भारत में पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं पर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है :

मापदंड	2019	2020	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	4,49,002	3,66,138	(-) 18.45
मारे. गए लोगों की संख्या	1,51,113	1,31,714	(-) 12.84

यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है।

This sign identifies the area. This sign tells that the limit of the particular area has started. This sign is illustrative on national highways.

मंत्रालय कई उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है, जिसमें सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़क सुरक्षा संपरीक्षा, सड़कों पर श्याह स्थाान (ब्लैक स्पॉट) की पहचान और सुधार और ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और प्रवर्तन आदि को मजबूत करना शामिल हैं।

हाल के दिनों में मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न दुर्घटना उपशमन उपाय इस प्रकार हैं :

(क) शिक्षात्मक उपाय

(i) प्रचार और जागरूकता अभियान : सुरक्षित सड़क गतिशीलता पर सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारें प्रत्येतक वर्ष ''सड़क सुरक्षा सप्ताह/माह'' मनाती हैं, जिसमें सभी हितधारकों जैसे केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / जिला प्राधिकरण, ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन आदि, एमओआरटीएच की सभी एजेंसियां (एचएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आरओ, सीआईआरटी, एएसआरटीयू आदि), युवा कार्य मंत्रालय के माध्यम से एनसीसी, एनएसएस, कैब एग्रीगेटर (उबर, ओला) और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि को शामिल कर हिमायत और संवर्धन हेतु कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

सड़क सुरक्षा माह के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की गयीं जैसे यातायात नियमों के संबंध में हैंड बिल / पैम्फलेट का वितरण, फ्लेक्स/बैनर के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेशों का प्रदर्शन, स्कूल / कॉलेज के छात्रों को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्राथमिक चिकित्सा और प्रेरक कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं / प्रशिक्षण आयोजित करना, चालकों के लिए आंखों की जांच और परीक्षण शिविर आयोजित करना, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) प्रावधानों का प्रचार, तेज गति और हेलमेट पहनने संबंधी जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, वॉकथॉन, सड़क सुरक्षा मेला, वाहनों पर रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप लगाना और सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा। हितधारकों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, टोल प्लाजाओं, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबिनार, माइ गोव आदि पर ये गतिविधियां आयोजित की गयीं। एनएचएआई ने भी जिला कलेक्टरों, पुलिस और परिवहन विभाग के साथ सामूहिक रूप से टोल प्लाजा पर और कुछ टोल प्लाोजाओं पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये गतिविधियां आयोजित की।

(ii) सड़क सुरक्षा जागरूकता और हिमायत : मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों आदि के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच प्रचार और जागरूकता सृजन हेतु एक योजना क्रियान्वित करता है।

(iii) नेक व्यऔक्ति (गुड सेमेरिटन) योजना : इस मंत्रालय द्वारा फा.सं. आरटी / 25035 / 27 / 2021 – आरएस दिनांक 3 अक्तूबर, 2021 के तहत नेक व्यवक्ति जिसने किसी घातक मोटर वाहन दुर्घटना के पीडित को चिकित्साक उपचार प्रदान करने के लिए दुर्घटना के स्वर्णिम घंटों में सहायता प्रदान कर और अस्पताल / ट्रॉमा देखभाल केंद्र पहुंचा कर जान बचाई हो, को पुरस्काहर प्रदान करने की एक योजना शुरू की गयी है।

यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।

This informatory sign indicates that there is a Petrol Pump ahead. Sometimes distance is also indicated on this sign which gives an idea about location of the Petrol Pump from the sign post.

(ख) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों) उपाय

(i) दुर्घटना श्याह स्थान (ब्लैकस्पॉट) की पहचान और सुधारः श्याह स्थान (राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थान) की पहचान और सुधार के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2015–2018 के दुर्घटना और घातक आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5,803 श्याह स्थानों की पहचान की है, जिनमें से 92: (5,366) से अधिक को अल्पकालिक उपायों के माध्यम से ठीक किया गया है और 55: (3,215) से अधिक स्थानों को स्थायी उपायों द्वारा पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है।

मंत्रालय श्याह स्थान (ब्लैक स्पॉट) को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है :

- ✓ सतर्कता सड़क संकेत और चिह्न, अनुप्रस्थ बार चिह्न, रंबल स्ट्रिप्स और सौर ब्लिंकर आदि जैसे तत्कालिक अल्पकालिक उपाय के माध्यम से श्याह स्थानों को ठीक किया जा रहा है।
- ✓ दीर्घकालीन सुधार के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है वहां फ्लाईओवर, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, सर्विस रोड आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं।
- ✓ प्रत्येक श्याह स्थान का निरीक्षण किया जाता है। एनएचएआई ने ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, मंजूरी देने और कार्य के निष्पादन के संबंध में व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
- ✓ सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के संवेदनशील खंडों में यातायात चेतावनी संकेत, रेखाचित्र, रोड स्टड, बार मार्किंग, संपर्क सड़कों पर हंप आदि जैसे यातायात शमन उपाय किए जाते हैं।
- ✓ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एनएचएआई और संविदाकार / रियायतग्राही के बीच हस्तांक्षरित संबंधित संविदा / रियायत के अनुसार आपातकालीन / चिकित्सा सुविधाएं उपलब्धप करायी जाती हैं।

(ii) सड़क सुरक्षा संपरीक्षा : सभी राजमार्ग परियोजनाओं के सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण और संचालन और रखरखाव चरणों में सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करना अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा संपरीक्षा भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य मानकों के अनुसार की जा रही है।

(iii) पैदल यात्री सुविधाएं :

क. प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों को पैदल यात्री अंडरपास (पीयूपी) और पैदल यात्री सबवे (पीएसडब्ल्यू) के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्ति और फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्ति प्रदान की गयी है।

ख. पैदल चलने वालों की दुर्घटनाओं में कमी सुनिश्चित करने के लिए फुट ओवर ब्रिज (एफ ओ बी), पैदल यात्री अंडरपास (पी यू पी) और पैदल यात्री सबवे (पीएसडब्ल्यू) का निर्माण किया जाता है।

(iv) टायर प्रेशर निगरानी प्रणाली : – मंत्रालय ने अधिकतम 3.5 टन तक के भार वाले वाहनों के लिए टायर प्रेशर निगरानी प्रणाली (टी पी एम एस) हेतु विनिर्देश प्रदान करने के लिए सी एम वी आर, 1989 में संशोधन किया है। टी पी एम एस वाहन के संचालन के दौरान टायर के हवा दबाव या उसमें बदलाव की निगरानी करता है और चालक को सूचना संसूचित करती है।

(v) निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सुरक्षा मानदंड :– मंत्रालय ने अन्य वाहनों के साथ सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण उपकरण वाहन संचालन के दौरान ऑपरेटर की सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए सी एम वी आर, 1989 में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की है।

(vi) एयरबैग : मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशिष्टि के रूप में, ड्राइवर के बगल में वाहन की आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में सा.का.नि. 148 (अ) दिनांक 2 मार्च 2021 अधिसूचित किया है।

(ग) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(क) पूरे भारत में एन एच ए आई परियोजना कार्यों में लगे एन एच ए आई के क्षेत्रीय अधिकारियों / रियायतग्राहियों / संविदाकारों / सलाहकारों के प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा उपायों पर क्षमता निर्माण।

(ख) वर्ष 2019–2020 के दौरान, देश भर में एन एच ए आई क्षेत्र अधिकारियों, रियायतग्राहियों, सलाहकारों, संविदाकारों और आई ई / ए ई टीमों के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ टीम द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न परियोजना स्थलों पर आयोजित चौदह प्रशिक्षण सत्रों में 450 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

(ग) भारत और विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एन एच ए आई अधिकारियों को भी नामित किया गया था।

(घ) मंत्रालय ड्राइविंग प्रशिक्षण को सुदृढ करने के लिए राज्यों, वाहन निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से काम कर रहा है। ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आई डी टी आर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आर डी टी सी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डी टी सी) स्थापित किए जा रहे हैं, जो अच्छे ड्राइविंग कौशल और नियमों के ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ड्राइवरों में सड़क नियमों और ड्राइवरों की क्षमता और सक्षमता में सुधार लाने के लिए ड्राइवर लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण की प्रणाली को सुदृढ करने हेतु देश के सभी जिलों में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और भारी वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करने की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आई डी टी आर) स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 31 (संख्या) डी टी आई / आई टी डी आर और 6 आर टी डी सी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20 का कार्य पूरा हो गया है और वे कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय ने सड़क और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार और सड़कों पर समग्र गतिशीलता को मजबूत करने के लिए ड्राइवरों को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 15वें वित्तीय

यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है।
This sign assures the driver that he is on right path and also tells the distance of the places written on it.

आयोग चक्र अवधि के दौरान इन योजनाओं को जारी रखा है। डीटीसी की संशोधित योजना के तहत, मंत्रालय डी टी सी की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50: की सीमा तक एकमुश्त सहायता प्रदान करेगा जो अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये की होगी।

उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह केंद्र सिमुलेटर और अनन्य ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से सुसज्जित होगा। इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में आर टी ओ में आयोजित की जा रही है। इन केंद्रों को उद्योग –विशिष्ट विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करने की भी अनुमति है।

(ङ) खराब रखरखाव और पुराने गैर–फिटनेस–प्रमाणित वाहनों के उपयोग से दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। इस स्थिति को कम करने के लिए मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित कर रहा है।

(घ) गति नियंत्रण

(क) एन एच ए आई आईआरसी के संहिताबद्ध प्रावधान के अनुसार एन एच पर गति को कम करने के लिए कई सड़क इंजीनियरिंग / यातायात उपशमन करने के उपाय कर रहा है जैसे रंबल स्ट्रिप्स, गति नियंत्रण संकेत, गति अवरोधक और संबंधित संकेत पट्ट, फ्लैशिंग एम्बर बीकन इत्यादि।

(ङ) प्रवर्तन उपाय

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 वह प्रमुख विलेख है जिसके माध्यम से देश में सड़क परिवहन को विनियमित किया जाता है। मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, के तहत तीस वर्षों के बाद पहली बार व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

2. यह अधिनियम सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएगा, नागरिक सुविधा प्रदान करेगा, पारदर्शिता लाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से भ्रष्टाचार को कम करेगा और बिचौलियों को हटाएगा। यह अधिनियम सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगा, नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) की संरक्षा और सुरक्षा करेगा और बीमा और मुआवजा व्यवस्था में सुधार करेगा। यह नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों को जीवंत वातावरण में परीक्षण करने और अनुसंधान में दक्षता बढ़ाने की अनुमति देगा। अधिनियम मोटर यानों को कार्योत्तर (पोस्ट–फैक्टो) अनुमोदन के साथ अनुकूलित वाहनों में बदलाव करने की अनुमति देकर और अनुकूलित वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस की सुविधा प्रदान कर दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करेगा।

3. कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा प्रावधान और शास्ति इस प्रकार हैं :

- ❖ यह यातायात नियमों को प्रवर्तित करने के लिए वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ नए अपराधों के लिए दंड शुरू किया गया है और मौजूदा अपराधों के लिए दंड को बढ़ा दिया गया है।
- ❖ सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आम तौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं।

The sign shows that there is a First Aid facility nearby which is very useful in case of emergency or crashes. These signs are normally erected on highways and rural roads.

❖ मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा का प्रवर्तन) की धारा 136क में प्रावधान है कि केंद्र सरकार स्पीड कैमरा, क्लोज–सर्किट टेलीविजन कैमरों, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा और ऐसी ही अन्य तकनीक सहित सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी।

(च) नागरिक सड़क सुरक्षा को बढ़ाना

(क) **नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) का संरक्षण** : – मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में एक नई धारा 134 क, अर्थात ''नेक व्यक्ति का संरक्षण'' अंतर्स्थापित की गयी है। ये नियम यह प्रावधान करते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जब तक कि नेक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना नाम प्रकट करने का विकल्प न चुना हो।

(ख) **यातायात अपराध के लिए गुणक** : – मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 राज्य सरकार को दंड बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य सरकारें मोटर वाहनों से संबंधित अपराधों के लिए दंड को 10 गुना तक के लिए गुणक लगा सकती हैं।

(ग) **हेलमेट** :– मंत्रालय ने 'दोपहिया मोटर वाहनों के सवारों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020' जारी किया है। इससे भारत में दोपहिया वाहनों के सवारों के लिए केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री ही संभव होगी।

(घ) **टायर प्रेशर निगरानी प्रणाली** : – मंत्रालय ने अधिकतम 3.5 टन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर निगरानी प्रणाली (टीपीएमएस) हेतु विनिर्देश प्रदान करने के लिए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है। टीपीएमएस वाहन के संचालन के दौरान टायर के दबाव या उसमें बदलाव की निगरानी करती है और चालक को सूचना प्रदान करती है।

(ङ) **निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सुरक्षा मानदंड** :– मंत्रालय ने अन्य वाहनों के साथ–साथ ऑपरेटर (जब निर्माण उपकरण वाहन सार्वजनिक सड़कों पर चल रहे हैं) की सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन करने हेतु अधिसूचना जारी की है।

(च) **एयरबैग** :– मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशिष्टता के रूप में ड्राइवर के बगल में वाहन की आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग अनिवार्य करने के प्रावधान के संबंध में अधिसूचना सा.का.नि. 148 (अ) दिनांक 2 मार्च 2021 अधिसूचित की है।

(छ) **हादसा प्रबंधन सेवाएं** :– एम्बुलेंस, गश्ती वाहन, क्रेन जैसी सेवाएं हर टोल प्लाजा पर तैनात की गयीं हैं।

(ज) **विविध**

(क) सड़क सुरक्षा संबंधी सर्वोच्च न्यायालय समिति, सड़क सुरक्षा संबंधी सर्वोच्च न्यायालय समिति, राज्य सड़क सुरक्षा समिति / परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। एनएचएआई, क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वय से, समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

(ख) **अतिक्रमण हटाने के निर्देश** :– सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, एनएचएआई और परियोजना निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त, वाहनों की अवैध पार्किंग से मुक्त, यातायात के विपरीत प्रवाह से मुक्त आदि सुनिश्चित करें ताकि उनकी सड़क प्रयोक्ता ओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है।
This sign indicates the tunnel on road. This sign sometimes may also indicate the name and length of tunnel.

(ग) **सड़क सुरक्षा हिमायत कार्यक्रम** :– सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठनों / ट्रस्टों / सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(घ) **संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति** : – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रत्येक जिले में संबंधित जिले के संसद (लोकसभा) की अध्यक्षता में ''संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति'' अधिसूचित की है।

(ङ) **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड** : मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 215ख के उपबंधों के अनुसार, केंद्र सरकार ने .आ. 3627अ दिनांक 03.09.2021 के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (एन आर एस बी) को और अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 615अ दिनांक 03.09.2021 के तहत एन आर एस बी के लिए नियम अधिसूचित किए हैं।

श्री नितिन गडकरी ने नोएडा में मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित वाहन स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा का उद्घाटन किया

गांधीनगर, गुजरात में वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्घाटन

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

अध्याय VII

वर्ष 2021 के दौरान अनुसंधान और विकास:

7.1 सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की भूमिका, लागत अनुकूलन, त्वारित डिलिवरी, वर्द्धित चिरस्थायित्व, सुरक्षा एवं सेवा क्षमता, और पर्यावरणीय संधारणीयता पर ध्यान केंद्रन के साथ राजमागों की प्रभावी आयोजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सड़क एवं पुल निर्माण कार्य से संबंधित विनिर्देशों को अद्यतन करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जो मानकों, विनिर्देशनों, दिशानिर्देशों इत्यादि के सूत्रीकरण में मदद करती हैं, जिसका उपयोग राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल एजेंसियों द्वारा किया जाता है। शामिल अध्ययन क्षेत्र में सड़कों, पुलों, और सुरंगों इत्याादि के विभिन्न पहलू शामिल हैं। शोध कार्य विभिन्न ख्याति प्राप्त अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। शोध निष्कुर्षों का प्रचार–प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की मदद से उनके जर्नलों में प्रकाशन के द्वारा और आगे इन निष्कर्षों को संव्यवहार / मैनुअलों के आईआरसी दिशानिर्देशों / संहिताओं, मंत्रालय के विनिर्देशनों, अत्याधुनिक रिपोर्टों और इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों / अनुदेशों / परिपत्रों में शामिल कर किया जाता है। इस प्रकार, देश में सड़क अवसंरचना संबंधी विकास में अनुसंधान कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.2 अनुसंधान और विकास प्रस्ताव :

वित्त वर्ष 2021 में सड़कों एवं पुलों के विकास के लिए एमओआरटीएच द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान योजनाएं संस्वीतकृत की गयीं हैं :

- अनुसंधान योजना ''मौजूदा क्षेत्र प्रदर्शन डेटा के आधार पर विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में लचीले और कठोर फुटपाथ के लिए जीवन चक्र लागत विश्लेषण ढांचा'', जो आईआईटी, खड़गपुर द्वारा संचालित की जा रही है। इस अनुसंधान हेतु 156.81 लाख रुपये की राशि संस्वीलकृत की गयी है।

- ''फुटपाथ और वाहन गतिशीलता (एनएटीपीएवीईडी) के त्वरित परीक्षण हेतू राष्ट्रीय सुविधा'' के लिए 1,297 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। यह शोध आईआईटी, तिरुपति द्वारा किया जाना है।

7.2.1 मंत्रालय ने राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान की सुविधा के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए वर्ष 2021 के दौरान निम्नलिखित संस्थानों में एमओआरटीएच चेयर प्रोफेसर की स्थापना की है

- एमओआरटीएच चेयर प्रोफेसर को बनाए रखने के लिए दिनांक 22.01.2021 को आईआईटी, रुड़की के साथ एक नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

- एमओआरटीएच चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए दिनांक 17.08.2021 को आईआईटी, मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- एमओआरटीएच चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए दिनांक 03.02.2021 को आईआईटी, बीएचयू वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7.3 नई सामग्री और तकनीकें

7.3.1 मंत्रालय का राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई/वैकल्पिक सामग्रीध्प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने उन सामग्रियों / प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने पुलों / संरचनाओं और राजमार्ग परियोजनाओं के अन्य तत्वों में प्रीकास्ट कंक्रीट तत्वों के उपयोग को बढ़ाने और लंबी अवधि के पुलों के लिए यूएचपीएफआरसी जैसी उन्नत सामग्री का उपयोग करने के लिए बहुत सक्रिय कार्रवाई की है।

7.3.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की चालू परियोजनाओं में निम्नलिखित नई / वैकल्पिक सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है। सक्षमकारी दिशा–निर्देशों और नियमित निगरानी के माध्यम से ऐसी सामग्रियों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(i) कॉयर / जूट सहित जियो सिंथेटिक

(ii) फ्लाई एश

(iii) अपशिष्ट प्लास्टिक

(iv) आशोधित बिटुमेन (सीआरएमबी, पीएमबी, एनआरएमबी) सिमेंट उपचारित आधार

(v) सिमेंट उपचारित उप–आधार/आधार

(vi) मृदा स्थिरक

(vii) जियोकंपोजिट

(viii) सीमेंट के साथ ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग

(ix) जियोग्रिड का उपयोग करके ढलान स्थिरीकरण

(x) पीक्यूयसी में रेशा

(xi) सिलिका – धूम्र

(xii) तटबंध में डोलचर (स्पंज आयरन का एक अवशेष)

(xiii) एग्रिगेट के रूप में स्टीजल एवं लौह धातुमल

(xiv) अल्कोफाइन / माइक्रोसिलिका

(xv) पुनर्प्राप्त डामर फुटपाथ

(xvi) तॉबा धातुमल

(xvii) जिंक धातुमल

(xviii) पुनर्चक्रित कंक्रीट एग्रिगेट

7.3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सख्त कार्यान्वयन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तदनुसार समयपूर्व संकट / विफलता के कारण गुणवत्ता में चूक के लिए गैर–निष्पादक संविदकार / रियायतग्राही / सलाहकार के रूप में दंडित / विवर्जित / घोषित करने के लिए सावधानीपूर्वक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

7.4 मानकीकरण

ग्रामीण सड़कों सहित राजमार्ग सुविधाओं के कुशल और किफायती विकास के लिए भू–भाग, मिट्टी और जलवायु में परिवर्तनशीलताओं का सम्यक ध्यानि रखते हुए डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में मानकीकृत प्रथाओं का अंगीकरण अनिवार्य है। इस मोर्चे पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईआरसी) ने सड़कों, पुलों और यातायात आभियांत्रिकी के विभिन्न पहलुओं पर मानकों, विनिर्देशों, संव्यवहार संहिताओं, दिशानिर्देश और नियमावली को तैयार / संशोधित कर इस पेशे को मूल्यवान योगदान दिया है।

चार सामयिक पत्रों, नामतः इंडियन हाईवेज (मासिक), आईआरसी के जर्नल (तिमाही), हाईवे रिसर्च जर्नल (छमाही) और हाईवे रिसर्च रिकॉर्ड (वार्षिक) के प्रकाशन के अतिरिक्त, आईआरसी द्वारा वर्ष 2021 के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं।

वर्ष 2021 में आईआरसी परिषद / एचआरबी द्वारा अनुमोदित दस्तावेज जिसे मुद्रित किया जा रहा है और जिसे अप्रैल, 2022 में लखनऊ में आगामी वार्षिक सत्र के दौरान विमोचन किए जाने की संभावना है

क्र. सं.	आईआरसी प्रकाशन संख्या	दस्तावेज का नाम
1	आईआरसी : 9 का संशोधन	''गैर–शहरी सड़कों के लिए यातायात जनगणना'' (दूसरा संशोधन)
2	आईआरसी : 67 का संशोधन	''सड़क संकेतों के लिए अभ्यास संहिता'' (चौथा संशोधन)
3	आईआरसी : 80 का संशोधन	''ग्रामीण (अर्थात गैर–शहरी) राजमार्गों पर पिक–अप बस स्टॉप के लिए विशिष्ट डिजाइन'' (पहला संशोधन)
4	आईआरसी : 103 का संशोधन	''पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश''(दूसरा संशोधन)
5	आईआरसी : 131	''ब्लैक स्पॉट की पहचान और उपचार के लिए दिशानिर्देश''
6	आईआरसी : एसपी :13 का संशोधन	''छोटे पुलों और पुलियों के डिजाइन के लिए दिशानिर्देश'' (दूसरा संशोधन)
7	आईआरसी : एसपी : 43 का संशोधन	''शहरी क्षेत्रों के लिए यातायात प्रबंधन तकनीकों संबंधी दिशानिर्देश'' (पहला संशोधन)
8	आईआरसी : एसपी : 129	''कॉयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग कर सड़कों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशानिर्देश''
9	आईआरसी : एसपी : 130	'सड़कों के लिए शोर अवरोधों के डिजाइन और स्थापना संबंधी दिशानिर्देश'
10	आईआरसी : एसपी : 131	''संधारणीयता के लिए सार्वजनिक और गैर– मोटर चालित परिवहन प्रणालियों के डिजाइन और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश''
11	आईआरसी : एसपी : 132	''सड़क तटबंध और सबग्रेड निर्माण हेतु औद्योगिक अपशिष्टक के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश''
12	आईआरसी : एसपी : 133	'सड़क परियोजनाओं के कार्बन पदचिह्न को कम करने संबंधी दिशानिर्देश'
13	आईआरसी : एसपी : 134	''पुलों पर लहर प्रभाव के आकलन के लिए दिशानिर्देश''
14	एचआरबी एसओएआर संख्या 25	''पिछले भूकंप से सीखे गए सबक के आधार पर सुरक्षित राजमार्गों का डिजाइन''

7.4.1 वर्ष 2021 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश

- राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सुविधा स्थायनांतरण कार्य – पत्र संख्या आरडब्ल्यू / एनएच – 33044 / 29 / 2015 – एस एंड आर (आर) दिनांक 11 फरवरी 2021 के तहत जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया।
- पत्र संख्या् आरडब्ल्यू / एनएच – 33044/ 15 / 2021 – एस एंड आर (पीएंडबी) दिनांक 16 अप्रैल, 2021 के तहत जारी की गयी – राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन तक के अविभाजित कैरिज वे के लिए विस्तृत एसओपी के साथ राजमार्ग रेटिंग मानदंड और पद्धति।
- पत्र संख्या डब्ल्यू / एनएच – 24024/02/2019 – एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांक 6 जनवरी, 2021 और 09 अप्रैल, 2021 के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) दस्तावेज के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज जारी किया गया।
- पत्र सं. डब्ल्यू / एनएच – 33044 / 24 / 2020 – एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांक 06 जनवरी, 2021 के तहत तथ्यों की मिथ्याब्यानी और धोखाधड़ीपूर्ण संव्यावहारों और गैर निष्पा्दन के लिए परामर्शदाता फर्म और मुख्य कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पत्र संख्या के माध्यम से आरडब्ल्यू / एनएच –34049 / 03 / 2020 – एस एंड आर (बी) दिनांक 22 जनवरी, 2021 के तहत जारी गंभीर जंग संबंधी समस्याओं से संवेदनशील समुद्री पर्यावरण में निर्मित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों और अन्य केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में निर्माण में स्टेनलेस स्टील के उपयोग।
- स्टील बार को मजबूत करना : सड़क और पुल कार्यों के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों के खंड 1009.3.1 के संबंध में। पत्र संख्या आरडब्ल्यू / एनएच – 34066 / 09 / 2017 –एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांक 12 फरवरी, 2021 के तहत जारी।
- पत्र संख्या आरडब्ल्यू/ एनएच – 35072 / 01 / 2010 – एस एंड आर दिनांक 2 जून, 2021 के तहत जारी देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मॉड्यूल हाइड्रोलिक ट्रेलरों (एचटी–1 से एचटी–13) पर एकल इकाई ओडीसी / ओडब्ल्यूसी खेप के लिए ऑनलाइन अनुमति।
- पत्र संख्या आरडब्ल्यू/ एनएच – 34066 / 25 / 2018 – एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांक 31 जुलाई, 2021 के तहत जारी राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित सड़क कार्यों के संबंध में डीपीआर / एई / आईई / पीएमसी के लिए परामर्श सेवाओं की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)।
- राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य केंद्र प्रायोजित सड़क परियोजनाओं में संविदाकार / रियायतग्राही को गैर–निष्पादक के रूप में विवर्जित / दंडित / घोषित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पत्र संख्या आरडब्ल्यू/ एनएच – 33044 / 76 / 2021 – एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांक 06.10.2021 के तहत जारी की गयी।
- राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य केंद्र प्रायोजित सड़क परियोजनाओं में प्राधिकरण के इंजीनियर / स्वतंत्र अभियंता / निर्माण पर्यवेक्षण सलाहकार / परियोजना प्रबंधन सलाहकार को विवर्जित / दंडित / घोषित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पत्र संख्या आरडब्ल्यू/ एनएच – 33044/76/2021 – एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांक 07.10.2021 के तहत जारी की गयी।

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

6–लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे डासना, गाजियाबाद पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) का उद्घाटन

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ–ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.

जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग एनएच 44 (पुराना एनएच –1 ए) पर चेनानी नाशरी सुरंग,

एनएच 44 के बनिहाल– काजीगुंड खंड पर सुरंग

धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

The slowest form of transport many a times becomes obstruction to the free flow of traffic hence certain zones have been demarcated where bullock carts are not allowed to ply.

अध्याय– VIII

प्रशासन और वित्त

(क) प्रशासन

8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं। प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 928 कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) के सेवा और प्रशासनिक मामले, हाऊस–कीपिंग कार्य और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है।

8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तकनीकी और गैर–तकनीकी पक्ष (समूह–वार) के लिए पृथक–पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा.के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना **परिशिष्ट.–6** में दी गई है ।

8.3 सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान कर दिए जाते हैं।

8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक कल्यांण प्रकोष्ठ मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का कल्याण प्रकोष्ठ विदाई समारोह आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिह्न, तथा एक उपहार भी भेंट किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।

8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात् आतंकवाद–रोधी दिवस, साम्प्रंदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा, स्वच्छ भारत अभियान, सुशासन दिवस, संविधान दिवस आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। 'झंडा दिवस' से संबंधित अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया। साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन आयोजनों में भाग लेने वालों को इन आयोजनों में भाग लेने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

8.6 विभागीय अभिलेख कक्ष

मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, **15 दिसंबर, 2021** तक मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा कुल 77 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय–तालिका के अनुसार 9,127 फाइलों को अभिलेख कक्ष से बाहर निकाला गया। इसके अलावा, 1 अक्तूबर, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक मंत्रिमंडलीय सचिवालय और डीएआरपीजी के

दिशा–निर्देशों पर फाइलों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें **कुल 52,204 फाइलों को हटा दिया गया**।

8.7 शिकायत और नागरिक अधिकार (सिटिजन चार्टर) प्रकोष्ठ

शिकायत मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान की निगरानी के लिए लोक शिकायत प्रकोष्ठ ओ एंड एम अनुभाग के हिस्से के रूप में कार्य कर रहा है। मंत्रालय में शिकायत प्रकोष्ठ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और अन्य स्थानीय शिकायतों से संबंधित प्रभागों / स्कंलधों / अंचलों को शिकायतों की प्रारंभिक प्राप्ति और अग्रेषण से संबंधित है। इस मंत्रालय की गतिविधियों के बारे में सूचना के प्रसार के लिए नागरिक अधिकार (चार्टर) को संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है।

8.8 शिकायत निवारण और सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.

मंत्रालय की लोक शिकायत निवारण तंत्र की अध्यजक्षता संयुक्त सचिव (ओएंडएम) करते हैं। उन्हें लोक शिकायतों के लिए प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्तं लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है। एक वैब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है, जिसे नवीनतम 7.0 संस्करण में अद्यतित किया गया है। 1 जनवरी 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक कुल 21,228 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों को त्वरित निपटान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआईडीसीएल, आईएएचई, सड़क परिवहन स्कंध, और क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया। कुल 22,771 (जिसमें पिछले वर्ष के अग्रेणित मामले भी शामिल हैं) शिकायतों में से 15 दिसंबर, 2021 तक 21,908 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। कोविड–19 संबंधी शिकायतों के निवारण की तात्कालिकता और महत्ता को समझते हुए, मंत्रालय ने शीघ्रातिशीघ्र अधिमानतः 3 दिनों की समय सीमा के अंदर इन शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निवारण को प्राथमिकता दी है। इस संबंध में, 1 जनवरी, 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक कोविड–19 से संबंधित 356 शिकायतें प्राप्ती हुईं थी और कुल 357 (अग्रेणित मामलों सहित) शिकायतों में से 15 दिसंबर, 2021 तक 350 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 जनवरी, 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक लोक शिकायतों के विरुद्ध 1,621 अपीलें प्राप्त् हुईं थी और 15 दिसंबर, 2021 तक इन अपीलों में से 1,343 अपीलों का निपटान कर दिया गया है।

मंत्रालय में एक कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (ओएंडएम) भी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं।

8.9 ई–ऑफिस

8.9.1 बड़े पैमाने पर किए जा रहे लिखित कागजी–काम को समाप्त करके परम्परागत सरकारी कार्यालयों को अधिक कार्यक्षम बनाने और परादर्शी ई–कार्यालयों में परिवर्तित करने की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

केन्द्र (एनआईसी) द्वारा संचालित ई–ऑफिस उत्पाद का लक्ष्य सरकारी और अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए गवर्नेंस में सहायता प्रदान करना है।

ई–ऑफिस सुविधा का अभिन्न अंग, ई–फाइल प्रणाली, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वशासी निकायों के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे फाइल के सृजन, नोटिंग, संदर्भन, पत्राचार, संलग्नी, अनुमोदनार्थ प्रारूप और अंततः फाइलों के संचलन एवं पावतियों के साथ ही स्कैनिंग, रजिस्टिरिंग और रूटिंग द्वारा कागज–रहित कार्यालय बन सकें।

8.9.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः–

एमओआरटीएच में पहले ही ई–ऑफिस क्रियान्वित कर दिया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एमओआरटीएच के लिए 80 प्रतिशत ई–ऑफिस का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे पहले ही हासिल कर लिया गया था। वर्तमान में इस मंत्रालय द्वारा 90 प्रतिशत (लगभग) कार्य ई–ऑफिस में किए जा रहें हैं। ई–ऑफिस से संबंधी किसी भी शिकायत का समय पर निवारण किया जाता है। प्रशासन, मानव संसाधन, तकनीकी, परियोजना और वित्तीय प्रभाग निर्बाध रूप से एक दूसरे से ई–ऑफिस के माध्यम से संचार कर रहें हैं। फाइलों की स्थिति का पता लगाना भी अब सरल हो गया है।

8.9.3 परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी)

एमओआरटीएच में एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना की गई है, जो निवेशकों के लिए एंड–टू–एंड सुविधा प्रदान करने और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा प्रदान करने के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठं की स्थापना हेतु संसाधनों के विकास के लिए स्थापित किया गया है।

(ख) वित्त

8.10 लेखा एवं बजट

8.10.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफ ए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट स्कंध, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं। प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ–साथ, मंत्रालय के सभी अधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट बनाने, केन्द्रीय लेन–देनों का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों, रोकड़ प्रबंधन पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य करते हैं।

8.10.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, एक लेखा उप–नियंत्रक और एक सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं। मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी हैं, प्रशासन और स्थापना हेतु वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं और आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं जिसका नेतृत्व सीए/एसीए

करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में बारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली (2), मुंबई, कोलकाता, बंगलौर, चंडीगढ, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, रायपुर, हैदराबाद और पटना में स्थित हैं।

8.10.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) भुगतान

1. अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना।
2. अधीनस्थ, संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों, ऐसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य् सरकारों को भुगतान करना।
3. मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना।

(ii) प्राप्तियां

1. मंत्रालय की प्राप्तिंयों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना।
2. राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ऋण का पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान की मॉनिटरिंग करना।
3. नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्तियां और भुगतान।

(iii) लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन–देन विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष–वार तथा चरण–वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना।
2. परिणामी बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्तष मंत्रालय के साथ समन्वय करना।
3. आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) की मॉनीटरिंग करना और इसे सीजीए कार्यालय को प्रस्तुत करना।
4. राजकोषीय उत्तरदायित्वी और वित्तीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना।
5. विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डेटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना।
6. मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना।
7. बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।
This sign indicates that left turn is prohibited.

/ सचिव आदि को बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों के संबंध व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना।

8. मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के त्वरित आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना।

9. पीएओ / आरपीएओ से प्राप्त एमआईएस के आधार मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को प्रस्तुत करना।

10. सभी आरपीएओ/पीएओ के संबंध में राज्य–वार मासिक व्यय तैयार करना और इसे आगे मंत्रालय को भेजना।

(iv) बजट

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विनियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।

2. वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सिविल एवं वाणिज्यिक) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा करना और कृत कार्रवाई टिप्पणी भी तैयार करना।

4. समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखाओं के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना।

(v) आंतरिक लेखा परीक्षा

मंत्रालय के सभी स्कंधों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाइयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना।

आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना।

(vi) लेखों का कम्प्यूटरीकरण

क. **ई–लेखा** : लेखांकन सूचना का दैनिक / मासिक एमआईएस / व्यय सृजित करने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग। सभी पीएओ / आरपीएओ को पूरी तरह से लेखा पोर्टल ई–लेख के साथ एकीकृत कर दिया गया है। उन्हें इस पोर्टल में अपने दैनिक लेनदेन को अपलोड करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यय और प्राप्तियां दैनिक आधार पर उपलब्ध हों। इसने व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समय के आंकड़ों की उपलब्धता को सक्षम किया है जो व्यय / प्राप्तियों और बजटीय नियंत्रणों की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल के प्रबंधन सूचना प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्ट महत्वपूर्ण प्रबंधकीय साधन हैं और इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।

ख. **पीएफएमएस** : प्रारंभ में पीएफएमएस की शुरुआत, भारत सरकार की योजनागत स्कीमों के तहत निधियों के निर्मोचन के लिए की गई थी। अब पीएफएमएस का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब संस्वीकृतियों, बिलों के ऑनलाइन प्रक्रमण और सभी प्रकार के व्यय के भुगतान के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही विभिन्नं विद्यमान स्वतंत्र प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है। महालेखानियंत्रक (सीजीए) ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों के लिए पीएफएमएस कार्यान्वित कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सभी 12 आरपीएओ और 60 डीडीओ में पीएफएमएस क्रियान्वित कर दिया है। वेतनों, पेन्शन और सामान्य भविष्य निधि सहित समस्त भुगतान पीएओ द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहें हैं।

8.10.4 राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना

(i) देश में माल वाहक यानों के परिवहन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2010–11 में एक नई राष्ट्रीय परमिट शुल्कं योजना का अंगीकरण किया और देश भर के लगभग 1200 आरटीओ, राज्य परिवहन प्राधिकरणों से राष्ट्रीय परमिट शुल्क के संग्रहण के लिए तथा पूर्व सहमत सूत्र के आधार पर हर महीने संग्रहीत शुल्क का वितरण सभी राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों में करने संबंधी समन्वय कार्य की जिम्मेदारी स्वीकार की।

(ii) मई, 2010 में शुरू की गयी राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना के अनुसार ट्रांसपोर्टरों को समेकित शुल्क के मद में प्रति वर्ष प्रति वाहन 15,000 रुपये का भुगतान करना अपेक्षित है। यह शुल्क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संग्रहीत किया जा रहा है और केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2010 में निर्धारित सूत्र के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार के लिए कोई राशि उपार्जित नहीं होगी।

(iii) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं (राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के संग्रहण के लिए प्रत्यायित बैंकर) के राष्ट्र–व्यापी नैटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के संग्रहण की ऑनलाइन प्रणाली, संबंधित प्राधिकरणों को इसका संसूचन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली् के पीएओ (सचिवालय) द्वारा इसके लेखांकन का काम, इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद से सुचारु रूप से चल रहा है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय परमिट के लिए नए समेकित शुल्क के संग्रहण, संसूचन और लेखांकन के लिए एक विशिष्ट लेखांकन पद्धति महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा तैयार की गई है। यह बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी नेटवर्क योजना, प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अलावा पीआर सीसीए संगठन पर, धन के लिए और उसके लिए लेखांकन का कार्यभार सौंपती है। राष्ट्रीय परमिट शुल्क का नवंबर, 2021 तक का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट – 7** पर दिया गया है।

8.10.5 लोक लेखा समिति के पैराओ / रिपोर्टों और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों/पैराओं के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पण

(i) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षण समिति (एसएसी), लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों / पैराओं के संबंध में और भारत

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.

के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुरूप लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर लेखा परीक्षा रिपोर्टों / पैराओं (सिविल) पर 'की गई कार्रवाई' संबंधी टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है। स्थायी लेखा परीक्षण समिति, वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण सार्वजनिक उपक्रम समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुसार लेखा परीक्षा पैराओं की समीक्षा और निगरानी भी करती है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार स्थायी लेखा समिति की बैठकें, संयुक्त सचिव / अपर सचिव स्तर पर भी आयोजित की जा सकती है और लेखा परीक्षा निरीक्षण पैराओं के उत्तर देने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए तदर्थ समिति की भी व्यवस्था है।

(ii) दो पैराओं अर्थात् पैरा 11.3 (रिपोर्ट सं. 2018 का 11) – रियायतग्राही से क्षति की गैर वसूली को और 11.3 (रिपोर्ट सं. 2020 का 18) – प्रयोक्ता शुल्क की वसूली में विलंब के कारण भारत की समेकित निधि में कम प्राप्ति की अंतिम कृत कार्रवाई टिप्पणियों को लोकसभा सचिवालय (सीओपीयू शाखा) को भेजा गया :

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं और निरीक्षण रिपोर्टों / पैराओं के बारे में मंत्रालय की ओर से शीघ्र उत्तर भेजने और लेखा परीक्षा के साथ निरीक्षण पैरा/डीएपी के निपटान के लिए एएस एंड एफए की अध्यक्षता में स्थायी लेखापरीक्षा समिति (एसएसी) की समय–समय पर बैठकें भी आयोजित की गईं।

(iii) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लंबित लेखापरीक्षा पैराओं की स्थिति **परिशिष्ट–16** में दी गई है।

8.10.6 वर्ष 2021–22 का वास्तविक व्यय (दिसंबर, 2021 तक) **परिशिष्ट – 8** में दर्शाया गया है। विगत तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष–वार ब्यौरा **परिशिष्ट– 9** में दर्शाया गया है और पिछले तीन वर्षों के लिए व्यय की प्राप्तियों का ब्यौरा **परिशिष्ट – 10** में दर्शाया गया है। लेखाओं की प्रमुख बिन्दु, **परिशिष्ट – 11** में दी गई है।

(ग) सतर्कता

8.11.1 मंत्रालय का सतर्कता एकक, मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। एकक के प्रधान संयुक्त सचिव और मुख्यी सतर्कता अधिकारी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वायतशासी निकाय– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में अपना अलग एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) में भी एक अंश–कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

8.11.2 वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल 58 शिकायतों की जॉच की गयी और उनमें से 39 शिकायतों का निपटान किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों में कथित संलिप्तता के कारण चार अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। सभी चार अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है और समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उनके निलंबन को बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने सीवीसी के परामर्श से दो मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की और जांच अभी भी जारी है।

8.11.3 जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सतर्कता संबंधी शिकायतों से निपटने के अलावा, निवारक सतर्कता पर विशेष जोर दिया गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि सड़क स्कंध को पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों की समय पर प्रगति / पूर्णता के साथ–साथ निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। सड़क स्कंध को सभी

चालू परियोजनाओं का नियमित अंतराल पर निरीक्षण करने और निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनके समय पर पूरा होने में देरी के कारण होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए भी सलाह दी गई थी। एक्सेस अनुमति दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और इस मुद्दे पर किसी भी शिकायत के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ने के लिए वास्तविक समय एमआईएस के प्रावधानों के साथ एक्सेस अनुमति की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

8.11.4 भ्रष्टाचार को, किसी व्यक्ति, जिसे किसी अधिकार वाले पद की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, द्वारा किए जाने वाले बेईमानीपूर्ण या अनैतिक आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ प्राप्ति करने की मंशा हो। यह एक वैश्विंक बुराई है जो समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार से राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, पर्यावरण, जन–स्वास्थ्य तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह परमावश्यक है कि जनता को भ्रष्टारचार–रोधी प्रयासों के प्रति संवेदनशील एवं अभिप्रेरित बनाया जाए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं :

- एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आईएएचई, आईआरसी और एमओआरटीएच के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को 26 अक्तूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के लिए कहा गया।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों को सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ दिलायी गयी।
- स्वागत कक्ष के निकट (मुख्य प्रवेश द्वार) संस्थापित टीवी स्क्रीन पर भ्रष्टाचार विषय पर चयनित उद्धरण प्रदर्शित किए गए और मंत्रालय के ट्विटर एकाउंट पर अपलोड किए गए।
- सीवीसी पोर्टल www.cvc.gov.in के माध्यम से ई–शपथ लेने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट www.morth.nic.in पर एक लिंक विकसित किया गया।

हिन्दी और अंग्रेजी में एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी। हिन्दी में निबंध का शीर्षक था – ''सतर्कता अपनाएं – जागरूकता बढ़ाएं'' और अंग्रेजी निबंध का शीर्षक था – ''एडोपटिव विजिलेंस विल ब्रिंग सेल्फ रिलायंस''। उन अधिकारियों/कर्मचारियों को 2500 रुपये, 2000 रुपये और 1500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया जिनके निबंध को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुए। श्री सुधरी कुमार, अपर सचिव, सीवीसी और श्री महेन्द्र सिंह यादव, निदेशक, सीवीसी को वीएडब्ल्यू–2021 के विषय पर व्याख्यान देने और इस मंत्रालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके आधिकारिक कामकाज में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम – क्रियान्वयन

8.12 सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं– प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम–काज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्धं सूचना तक पहुंच नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करना। यह अपारदर्शिता से पारदर्शिता की ओर बढ़ने का एक प्रयास है जिससे अंततः सुशासन आता है। सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में केन्द्रीय सूचना आयोग

अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है।
Compulsory cycle track signifies that cyclists should compulsorily use this track. It also restricts the movement of any traffic accept cyclist of the track.

(सीआईसी) और राज्योंस में राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) की स्थापना की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार मंत्रालय में नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, पीआईओ, अपीलीय प्राधिकारी आदि पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) में यह परिकल्पना की गई है कि संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों से जनता को अपनी ओर से जानकारी दी जाए। मंत्रालय की वैबसाइट पर इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में ढेरों सूचना विभिन्न शीर्षकों के तहत उपलब्ध करायी गयीं हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों की ओर से सूचना प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा अपील करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वैब पोर्टल शुरू किया गया है और इस मंत्रालय में यह पूरी तरह से क्रियाशील है। ऑनलाइन प्रणाली में स्कैनिंग करने और आगे की कार्रवाई के लिए भिन्न–भिन्न जन सूचना अधिकारियों को ऑनलाइन भेजे जाने तथा कागज पर उत्तर भेजे जाने की भी सुविधाएं हैं। आवेदक/जनता को सूचना, समय सीमाओं एवं छूट संबंधी खंडों सहित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के अधीन तथा उनको ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तीन संगठनों नामतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड जो इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (जिसे पहले 'एनआईटीएचई' कहा जाता था) जो मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सोसाइटी है में उनके अलग–अलग पीआईओ/एपीआईओ/अपीली प्राधिकारी हैं जो आरटीआई अधिनियम में दिए गए निदेश के अनुसार जनता/आवेदकों को सूचना उपलब्ध् कराते हैं। इस मंत्रालय में मोटर वाहन अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवरों, पुलों, पथकर प्लाजा, प्रयोक्ता् शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, निविदाओं आदि जैसे विभिन्न विषयों से जुड़े आरटीआई आवेदन प्राप्त् होते रहे हैं। संबंधित जन सूचना प्राधिकारियों द्वारा आवेदकों को सटीक सूचना समय से भेजने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। 19 जनवरी, 2022 तक कुल 5,666 आरटीआई आवेदन प्राप्ता हुए, जिनमें अग्रेणित आवेदन और कागज पर तथा ऑनलाइन आवेदन भी शामिल हैं। इसी प्रकार से 19 जनवरी, 2022 तक कुल 590 अपीलें (अग्रेणित अपील सहित) प्राप्त हुई हैं और संबंधित प्रथम अपीली प्राधिकारियों तक उन्हें भेज दिया गया। प्रणाली में यह सुविधा भी है कि संबंधित जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीली प्राधिकारियों के ई–मेल के माध्यम से अधिकारियों को सिस्टम जनित अनुस्मारक/अलर्ट भेज दिया जाए। ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध इस सुविधा का प्रयोग करके समय–समय पर आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान की मॉनीटरिंग भी की जाती है।

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

अध्याय - IX

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

9.1 कार्यान्वयन व्यवस्था

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में इस समय एक उप निदेशक (राजभाषा), 03 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और 02 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी तैनात हैं। उप निदेशक (रा.भा.) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद से संबंधित कार्य देखते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वंयन में सहायता करने हेतु सहायक अनुभाग अधिकारी का पहले से ही सृजित पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है। उप–निदेशक (रा.भा.) का 01 पद, सहायक निदेशक (रा.भा.) के 02 पद और कनिष्ठ(अनुवाद अधिकारी का 01 पद भी रिक्त पड़ा है। राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ–साथ हिंदी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त पाठ्य सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है।

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (प्रशासन व राजभाषा) करते हैं। मार्च, 2021, जून, 2021, सितम्बर, 2021 और दिसम्बर, 2021 की समाप्त तिमाहिं के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें क्रमशः 22 मार्च 2021, 25 जून 2021, 24 सितंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 को हुईं। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के सुधारात्मक उपाय सुझाए गए।

9.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) का अनुपालन और हिंदी में पत्राचार

9.3.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

9.3.2 हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिंदी में लिखे अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों।

9.3.3 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

9.4 हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हिंदी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2020–21 के लिए संचालित उक्त योजना के तहत 04 कार्मिकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भी एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है।

9.5 हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन :

9.5.1 हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2021 को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री के संदेश को मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संदर्शनार्थ परिचालित किया गया था। मंत्रालय में 13 सितंबर, 2021 से 27 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी पत्र–लेखन, हिंदी सुलेख और अनुवाद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग–अलग आयोजित की गईं। इस वर्ष हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कुल 05 प्रतियोगिताओं में 06 हिंदी भाषी और 31 हिंदी भाषी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रकार, 32 (बत्तीस) प्रतिभागियों को प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम के आधार पर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है।

9.5.2 मंत्रालय में वर्ष 2021–22 के दौरान मार्च, 2021, जून, 2021, सितम्बर, 2021 और दिसम्बर, 2021 की समाप्त तिमाहियों के लिए राजभाषा से संबंधित विभिन्नो विषयों पर हिंदी कार्यशालाएं क्रमशः 15 मार्च 2021, 21 जून 2021, 15 सितंबर, 2021 और 23 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई हैं।

9.6 सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

मंत्रालय में संपूर्ण हिंदी टंकण–कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है। कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अनुशंसा के तहत कंप्यूटरों में हिंदी के यूनीकोड समर्थित नवीनतम सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित किए गए हैं।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।
This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

चौड़ाई सीमा
Width Limit

अध्याय - X

निःशॉक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

10.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कारगर कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चुने गए/नामित दिव्यांगजनों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्तक किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों के विवरण इस प्रकार हैं :

समूह	संस्वीकृत संख्या	नियुक्त दिवयांगजनों की संख्या
क (गैर तकनीकी)	91	1
क (तकनीकी)	328	7
ख	234	3
ग (एमटीएस सहित)	275	10
कुल	**928**	**21**

10.2 पद / रिक्तियां जिनके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भर्ती एजेंसी नहीं है, यूपीएससी / एसएससी को संसूचित की जाती है। ऐसी रिक्तियों पर भर्ती यूपीएससी / एसएससी की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं।

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

सुशासन सप्ताह के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) की प्रदर्शनी पट्ट पर अधिकारियों का दौरा

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

अध्याय– XI

परिवहन अनुसंधान

11.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) का परिवहन अनुसंधान स्कंध (टी आर डब्ल्यू) सड़क दुर्घटनाओं सहित सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित डेटा का संग्रहण, संकलन, प्रसार और विश्लेषण करता है। यह स्कंध नीति नियोजन और मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालय को अनुसंधान एवं डेटा सहायता देने के लिए भी जवाबदेह है। इस दिशा में यह स्कंध डेटा गुणता के व्यवस्थित सुधार के लिए काम कर रहा है और प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से सड़क परिवहन सेक्टर के प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन भी करा रहा है।

11.2 सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र में सड़क अनुसंधान स्कंध अपने चार वार्षिक प्रकाशनों नामतः 'मूल सड़क सांख्याकी', 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका', 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' और राज्यीय सड़क परिवहन उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा के माध्यम से डेटा का प्रसार करता है।

(i) भारत की आधारभूत सड़क सांख्यिकी (बी आर एस) : बी आर एस 2018–19 के प्रकाशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रकाशन राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और जिला सड़कों (राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रामीण सड़कों और राज्य् लोक निर्माण द्वारा और ग्रामीण कार्य विभागों एवं पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाओं के अधीन शहरी सड़कों और रेलवे, सीमा सड़क संगठन, कोयला सार्वजनिक उपक्रमों, राज्यं सरकार के विभागों जैसे कि वन, ऊर्जा, सिंचाई आदि जैसे अलग–अलग संगठनों की परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क से संबंधित विस्तृत सूचना प्रदान करता है।

(ii) सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका (आर टी वाय बी) : यह पुस्तक पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या, मोटर वाहन कराधान ढांचा, लाइसेंस व परमिट और देश के विभिन्न राज्यो /संघ राज्य क्षेत्रों तथा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व से संबंधित सूचना / आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। टी आर डब्ल्यू इस प्रकाशन हेतु सभी राज्यों / संघ क्षेत्रों के परिवहन आयुक्तों से सूचना का संग्रह करता है। आर टी वाय बी 2019–20 प्रकाशन संकलन अधीन है।

(iii) भारत में सड़क दुघटनाएं : इस पुस्तक में किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों के सभी आयामों के बारे में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार डेटा उपलब्ध कराया जाता है। परिवहन अनुसंधान स्कंध आईआईटी दिल्ली एवं आईआईटी – खड़गपुर के प्राध्यापकों, प्रधान परिवहन सचिव, त्रिपुरा, एडीजी (पुलिस), यातायात, तमिलनाडु सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ डब्ल्यू एच ओ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए और सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विहित प्रारूप में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से कैलेंडर वर्ष आधार पर डाटा एकत्र करती है। टीआरडब्ल्यू द्वारा प्रकाशित ''भारत में सड़क दुर्घटना'' नवीनतम अंक कैलेंडर वर्ष 2019 का है। वर्ष 2020 के लिए ''भारत में सड़क दुर्घटना'' के प्रकाशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iv) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसआरटीयू) की समीक्षा और प्रदर्शन : इस प्रकाशन में प्रतिवेदनाधीन वित्त वर्ष के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर एस टी आर यू के भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पदान की समीक्षा के नवीनतम अंक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

11.3 इस प्रकाशन के आंकडों से यथा सुस्परष्ट भारत में सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्र के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं

(i) रोड ट्रांसपोर्ट इयर बुक वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 का रोड ट्रांसपोर्ट इयर बूक मुद्रित हो चुका है और इसे परिचालित कर दिया गया है। इस प्रकाशन के अनुसार देश में पंजीकृत वाहनों की संख्या 31 मार्च, 2019 तक करीब 2,958 लाख है, जो वर्ष 2009 से वर्ष 2019 के दौरान 9.91 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि संवृद्धि दर्ज करता है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल पंजीकृत वाहनों में दोपहिया वाहनों की संख्या 74.8 प्रतिशत है। **परिशिष्ट 12** देखें।

पंजीकृत मोटर वाहनों (परिवहन और गैर–परिवहन) की कुल संख्या वर्ष 2018–19 में बढ़कर 296 मिलियन हो गई, जो 9.91 प्रतिशत की सी ए जी आर दर्शाता है। जबकि ''परिवहन'' का हिस्सा वाहनों की श्रेणी में कुल पंजीकृत वाहनों का 8.8 प्रतिशत है, गैर–परिवहन वाहनों में शेष 91.2: दोपहिया वाहन हैं, जो पंजीकृत वाहनों के सबसे बड़े खंड (74.8:) हैं और यह परिवहन के व्यक्तिगत साधनों की प्राथमिकता दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि जहां विकसित देशों में कारों का व्याप्ति अनुपात अधिक होता है, वहीं विकासशील देशों में दोपहिया वाहनों की व्याप्ति अधिक होती है।

(ii) भारत में सड़क दुर्घटना : जहॉ तक भारत में कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं का संबंध है, देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्याा 4,49,002 संसूचित की गयी थी, जिनमें 4,51,361 लोगों को चोटें आयीं और 1,51,113 लोगों की मृत्यु हो गयी। कैलेंडर वर्ष 2005 से वर्ष 2017 तक की सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, उनमें घायल और मारे गए लोगों की संख्या की प्रवृति **परिशिष्ट 13** में है।

वर्ष 2018 की तुलना में, वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 3.86 प्रतिशत की कमी आयी है, वर्ष 2019 में इन दुर्घटनाओं में मृत लोगों की संख्या 0.20 प्रतिशत कम हुई है और चोटिल व्यक्तियों की संख्यां में 3.85 प्रतिशत की कमी आयी है।

तथापि, प्रति 100 दुर्घटना मृत लोगों की संख्या की दृष्टि से दुर्घटना भयावहता वर्ष 2018 के 32.4 से बढ़कर वर्ष 2019 में 33.7 हो गयी है।

कैलेंडर वर्ष 2019 के सड़क दुर्घटना शिकारों की उम्र प्रोफाइल से पता चलता है कि 18–60 वर्ष के उम्र समूह के सड़क दुर्घटना शिकार लोग 84.3 प्रतिशत (1,38,518 व्यक्ति) है।

वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल सख्या में सबसे बड़ा हिस्सा दोपहियों का है (37 प्रतिशत), उसके बाद कार, टैक्सी , वैन और एलएमवी वाहन हैं (16 प्रतिशत), पैदल यात्री (17 प्रतिशत), ट्रक / लॉरी (9 प्रतिशत), बस (4.0 प्रतिशत), ओटो रिक्शा (4.0 प्रतिशत) और अन्य मोटर वाहन (7.0 प्रतिशत) है।

यातायात नियमों का उल्लंघन के तहत सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा एकल कारक ओवर स्पीडिंग है, जिसके कारण 71.1 प्रतिशत दुर्घटनाएं घटित होती हैं और इसके कारण 67.3 प्रतिशत सड़क दुर्घटना मृत्यु होती है।

(iii) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की समीक्षा और प्रदर्शन : वित्त् वर्ष 2017–2018 की और वर्ष 2018 – 19 की अवधि के लिए 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रम की समीक्षा और प्रदर्शन नामक रिपोर्ट' को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में 56 एस टी आर यू ने अपने अपने भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन सूचित किए।

56 एस टी आर यू द्वारा वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 में संसूचित कुल हानियां, वर्ष 2016–17 की 17,16,860.10 लाख रुपये की तुलना में क्रमशः 20,30.959.73 लाख रुपये और 17,92,392.43 लाख रुपये थीं। यद्यपि एस आर टी यू के भौतिक प्रदर्शन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, एस आर टी यू द्वारा अर्जित कुल राजस्व में वर्ष 2017–18 में 6.19 और वर्ष 2018–19 में 8.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2017–18 में लागत में लगभग 9.04 की वृद्धि के कारण निष्प्रभावी हो जाती है, हालांकि, वर्ष 2018–19 में लागत 3.52% ही रही। **(परिशिष्ट 15 देखें)**।

यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शायी जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।
This sign designates the speed of traffic on road. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.

अलग अलग एस आर टी यू के लिए शुद्ध लाभ/हानि अलग–अलग होती है, जो अंर्तनिहित परिचालन दक्षता मानकों जैसे कि बेड़े की उम्र, बेड़ा उपयोग, उपयोगिता अनुपात, कर्मचारी उत्पादकता आदि पर निर्भर करती है।

(iv) भारत की आधारभूत सड़क सांख्यिकी : भारत की आधारभूत सड़क सांख्यिकी (बी आर एस) के अनुसार, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, 31 मार्च 2019 को यथास्थिति कुल सड़क लंबाई 63,71,847 किलोमीटर (अनंतिम) थी। सड़कों की मुख्य श्रेणियों का अलग अलग विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	श्रेणी	2018			2019(अनंतिम)			वृद्धि / कमी	
		कुल	सतही	कुल में कॉलम (i) का : हिस्सा	कुल	सतही	कुल में कॉलम (iv) का : हिस्सा	निरपेक्ष मान (iv)-(i)	प्रतिशत (vii)/(i)*100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	126,350	126,350	2.03	132,499	132,499	2.08	6,149	4.86
2	राज्यीय राजमार्ग	186,908	185,495	3	179,535	178,384	2.82	-7,373	-3.94
3	जिला सडकें	611,268	580,064	9.83	633,383	607,588	9.94	22,115	3.61
4	ग्रामीण सडकें (*)	4,409,582	2,295,053	70.94	4,541,631	2,429,388	71.27	132,049	2.99
5	शहरी सडकें	534,142	415,859	8.59	541,636	428,157	8.5	7,494	1.4
6	परियोजना सडकें	347,547	145,471	5.59	343,163	157,171	5.39	-4,384	1.26
7	कुल (जेआरवाय सड़कें सहित)	6,215,797	3,931,494		6,371,847	4,116,390		156,050	2.51
8	कुल में : हिस्सा		63.2			64.6			

(*) इसमें वर्ष 1990 – 1999 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाय) के अंतर्गत निर्मित 9 लाख किमी की ग्रामीण सड़क लंबाई शामिल है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.08 प्रतिशत है, उसी अवधि में राज्यीय सड़कें 2.82 प्रतिशत और ग्रामीण सड़कों (जे आर वाय सहित) का हिस्सा 71.27 प्रतिशत पर सर्वाधिक था, जिसके बाद जिला सड़कें (9.94 प्रतिशत) और शहरी सड़कें (8.50 प्रतिशत) आती हैं। कुल सड़क लंबाई में सतही सड़क का प्रतिशत 64.60 प्रतिशत है।

देश की कुल सड़क लंबाई वर्ष 1951 के 3.99 लाख किमी से बढ़कर वर्ष 2019 में 63.71 लाख किमी हो गयी, जो चक्रवृद्धि वार्षिक संवृद्धि दर (सी ए जी आर) 4.2 प्रतिशत से बढ़ रही है। वर्ष 1951 से वर्ष 2019 तक कुल सड़क लंबाई का श्रेणीवार अलग अलग विवरण **परिशिष्ट – 14** में दिया गया है। देश में राष्ट्री य राजमार्गों का राज्यवार वितरण **परिशिष्ट – 2** में दिया गया है।

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

फेनी नदी पर पुल

मेची नदी पर पुल

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicates that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

अध्याय – XII

अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग

12.1 वर्ष 2020 के दौरान इस मंत्रालय का अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर की गतिविधियों में संलग्न रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पहले ही जापान, कोरिया, कनाडा, अमेरिका, यूएई, रूस, यूके के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) / फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन (एफओसी) / सहयोग ज्ञापन है। इसके अलावा, नवंबर, 2014 में भारत और नेपाल के बीच सवारी और निजी वाहनों के प्रचालन के लिए दोनों देशों के बीच एक मोटर यान समझौता (एमवीए) किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत, वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से 12 मार्गों पर बस सेवाएं प्रचालगत हैं। इसके अलावा, भारत और बांग्ला्देश के बीच पॉच मार्गों पर, अर्थात् कोलकाता – ढ़ाका, कोलकाता – अगरतला (ढ़ाका के रास्ते), गुवाहाटी – ढ़ाका और कोलकाता – खुलना मार्गों पर बस सेवाओं के प्रचालन के लिए भारत और बांग्लांदेश के बीच बस सेवा समझौता है।

12.2 वर्ष 2021 के दौरान अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलें

12.2.1 भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मोटर वाहन समझौते (एम वी ए) के तहत दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही के लिए मसौदा प्रोटोकॉल को संबंधित राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियों के बाद अंतिम रूप दिया गया है और नेपाल सरकार की सहमति हेतु इसे उनके साथ साझा करने के लिए विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है।

12.2.2 कोविड–19 के कारण, इस मंत्रालय के अधिकारियों ने एस सी ओ, यू एन ई एस सी ए पी और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों/संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न वर्चुअल बैठकों में भाग लिया।

12.2.3 सबरूम में फेनी नदी पर 2–लेन अतिरिक्त डोज्ड पुल का निर्माण।

सबरूम में फेनी नदी पर पुल के निर्माण की परिकल्पना बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के माध्यम से भारत के के पूर्वोत्तर (एन ई आर) तक पत्तन कनेक्टिविटी तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे कोलकाता से और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से समुद्री मार्ग से एनईआर तक माल की ढुलाई में मदद मिलेगी। यह पुल मार्च, 2021 में पूरी तरह बन कर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन कर दिया गया है। यह पुल एनएच–8 पर स्थित है, जो एनएच–6 पर बदरपुर (असम में) से निकलता है, और त्रिपुरा राज्य में भारत–बांग्लादेश सीमा पर सबरूम पर समाप्त होता है, जो असम में करीमगंज पाथरकांडी और चुरैबाड़ी, कैलाशहर, तेलियामुरा, अगरतला और त्रिपुरा में उदयपुर को जोड़ता है।

12.2.4 मेची पुल का निर्माण

ईपीसी मोड के तहत भारत–नेपाल सीमा पर मेची ब्रिज और संपर्क सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। परियोजना को ए डीबी के एस एस ई सी रोड कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम के तहत एन एच आई डी सी एल द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना में भारत में पानीटंकी से शुरू होने वाली 825 मीटर की 6 लेन पहुंच सड़क शामिल है जो एशियाई राजमार्ग 02 पर नेपाल में काकरविट्टा पर समाप्त होती सहित मेची नदी पर 1.5 किलोमीटर की लंबाई के एक नए पुल का निर्माण शामिल है। पुल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और इसमें दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार को मजबूत करने और औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को मजबूत करके संबंधों को मजबूत करने की क्षमता है।

विशेष अभियान के दौरान स्वच्छता गतिविधि

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

अध्यांय - XIII

अन्य गतिविधियां और अभियान

13.1 कोविड–19 महामारी के लिए की गयी गतिविधियां :

i. सीआईएसएफ कर्मियों को थर्मल स्कैनिंग मशीन उपलब्ध करवा कर प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की गयी।

ii. प्रवेश द्वार पर और साथ ही साथ विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर मशीन लगायी गयीं। इन मशीनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी।

iii. इस मंत्रालय के कर्मचारियों को मांगे जाने पर फेस मास्क, फेस शील्ड , हैंड ग्लौव, लिक्विड साबुन और हैंड सैनिटाइजर प्रदान किया गया।

iv. नियमित कीटाणुनाशन के अलावा सप्ताह में एक बार भवन का गहन कीटाणुनाशन किया गया।

v. घर से काम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी और समकक्ष अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और इस संबंध में सरकारी दिशोनिर्देशों के अनुसार लैपटॉप प्रदान किए गए।

vi. एनडीएमसी की टीमों की मदद से आउटसोर्स कर्मचारियों सहित अधिकारियों/कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट (आर ए डी टी)/आर टी पी सी आर और एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। संसद सत्र के दौरान बहुत ही कम समय में आर टी पी सी आर टेस्ट की व्यवस्था की गई।

vii. कोविड–19 के प्रसार को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंत्रालय के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर/बैनर/स्टैंडी प्रदर्शित किए गए।

viii. मंत्रालय द्वारा अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों/संगठनों में महामारी संबंधी एहतियाती प्रथाओं को प्रसारित करने के लिए नियमित परिपत्र जारी किए गए थे।

ix. मंत्रालय में और साथ ही इस मंत्रालय के तहत अन्य संगठनों नामतः, एन एच ए आई, एन एच आई डी सी एल, आई ए एच ई, आई आर सी और क्षेत्रीय कार्यालय आदि को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों/सलाहों का समय–समय पर प्रसार किया गया।

x. यद्यपि इस अवधि के दौरान बैठक करने से बचा गया, फिर भी जहां कहीं आवश्यक हुआ, बैठक स्थल की संपूर्ण स्वच्छता के अलावा, उचित सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वीसी के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं।

xi. कोवैक्सिन के साथ–साथ कोविशील्ड के लिए भी टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए ताकि अधिकांश कर्मचारी / अधिकारी अपना पूर्ण टीकाकरण करा सकें।

इन संव्यवहारों/गतिविधियों के कारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या कम रही।

13.2 डीएआरपीजी के विशेष अभियान मुहिम के दौरान एमओआरटीएच द्वारा हासिल उपलब्धि :–

1. **संदर्भों की निगरानी** : – इस मंत्रालय के पास वी आई पी संदर्भों के निपटान और निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल है। मुख्यमंत्रियों, उप–मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संसद सदस्यों, विभिन्न राज्यों के विधायकों द्वारा माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को संबोधित सभी पत्र इस पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, इस मंत्रालय, एन एच ए आई और एन एच आई डी सी एल के संबंधित अधिकारियों के पास वी आई पी संदर्भों के लंबित रहने की निगरानी की जाती है। वी आई पी को भेजे जाने वाले उत्तरों का मसौदा संबंधित कार्यालयों द्वारा माननीय मंत्री के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है जहां से ये पत्र अंततः जारी किए जाते हैं।

   विशेष अभियान के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.09.2021 तक लंबित संसद सदस्य संदर्भों के निपटान की निगरानी दैनिक आधार पर की गई और विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय के माध्यम से इसके गुणवत्तापरक निपटान के प्रयास किए गए। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित 909 संदर्भों/पत्रों में से दिनांक 31.12.2021 तक माननीय मंत्री द्वारा 838 पत्रों के उत्तर दिए गए थे और एक दिन में, अधिकतम 169 सांसदों के संदर्भों का निपटारा किया गया।

   इसी प्रकार, दैनिक निगरानी और संबंधित कार्यालयों के सहयोग से, इस मंत्रालय ने विशेष अभियान अवधि के दौरान 125 राज्य सरकार संदर्भों, 1339 लोक शिकायतों और 646 पीजी अपीलों के निपटान का एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 110 संसदीय आश्वासनों में से 79 का निपटारा किया गया।

2. **स्वच्छता अभियान** :– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने न सिर्फ कार्यालय की सफाई बल्कि उसे आकर्षक बनाने के लिए भी कई कदम उठाए। संबंधित अधिकारियों को भवन परिसर के अंतर्गत छत, कॉरिडोरों, सीढ़ियों, कमरों, सम्मेलन कक्षों, प्रांगण, पार्किंग क्षेत्रों आदि की साफ–सफाई कराने के निर्देश दिए गए। तदनुसार, परिवहन भवन परिसर में स्थित कार्यालयों और एम ओ आर टी एच के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और इससे जुड़े कार्यालयों अर्थात् एन एच ए आई, एन एच आई डी सी एल, आई ए एच ई, आई आर सी ने भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और सभी की सामूहिक भागीदारी के परिणामस्वरूप, यह मंत्रालय 83 कार्यालयों में इसे सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम रहा।

3. **फाइलों की छंटाई** :– इस मंत्रालय ने विशेष अभियान के दौरान 50,000 से अधिक भौतिक फाइलों की समीक्षा की और इनमें से श्रेणी 'ग' की 25,000 से अधिक फाइलों को हटा/नष्ट कर दिया गया है। एन एच ए आई एक प्रमुख समीक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से शामिल था और इसने लगभग 27,000 फाइलों की समीक्षा की और जिनमें से 9000 से अधिक फाइलों की समीक्षा की। फाइलों का निस्तारण कर दिया गया है।

4. **स्क्रैप का निपटान** :– इस मंत्रालय ने परिवहन भवन और एन एच ए आई मुख्यालय के परिसर में पड़े कबाड़/निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। विशेष अभियान अवधि के दौरान समय–समय पर निपटान किया गया और स्क्रैप निपटान से 8 लाख रुपये (लगभग) का राजस्व प्राप्त किया गया। कबाड़ निस्तारण एवं फाइलों की छंटाई के कारण **लगभग 4500 वर्गफीट की जगह मुक्त हो गयी है।**

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

This sign indicates that there is an eating place in the vicinity. This sign is common on highways and long stretches of road.

परिशिष्ट-I

(पैरा 1.5 के तहत)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अंदर आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 150 (1950 का 64) का प्रशासन।
3. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।
4. विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्री य राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड 'क', धारा 3क, 3घ, 7 और 8क के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना ।

II. संघ राज्यी क्षेत्रों के मामले में:

5. राष्ट्री य राजमार्गों के अलावा अन्य सड़क।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों का कराधान
7. यांत्रिक रूप से संचालित यानों के अलावा अन्य यान

III. अन्य विषय जो पूर्व भागों में शामिल नहीं किए गए हैं:

8. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वायन और अनुसंधान।
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णरूपेण वित्तपोषित सड़कों के अलावा अन्यं।
10. मोटर यान विधान।
11. मोटर ट्रांसपोर्ट और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकार का संवर्धन।
12. सड़क अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति को तैयार करना ।

IV. स्वायत्त निकाय:

13. भारतीय राष्ट्री य राजमार्ग प्राधिकरण

V. सोसायटी/संघ :

14. भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

VI. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :

15. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

जारी है...

VII. अधिनियम :

16. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64)।
17. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)।
18. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।
19. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।

यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है।
This sign indicates location of Railway Station.

परिशिष्ट-2
(पैरा 3.2 के तहत)

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य–वार सूची

31 दिसंबर 2021 तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	एनएच की कुल संख्या	कुल लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	16, 216, 216ए, 716, 26, 326, 326ए, 30, 40, 140, 340, 340सी, 42, 44, 544डी, 150ए, 65, 165, 516डी, 565, 765, 67, 167, 69, 71, 75, 167ए, 516ई, 167बी, 365बीबी, 365बीजी, 544डीडी, 544ई, 130सीडी, 716ए, 716बी, 516सी, 167बीजी, 544एफ, 167के, 342, एनई7, 440, 516बी, 340बी, 167एडी, 167एजी, 516एफ, 516डब्ल्यू, 150सी, 716जी, 216ई, 216एच, 163जी	**54**	8,207
2	अरुणाचल प्रदेश	13, 113, 313, 513, 713, 713ए, 15, 115, 215, 315, 315ए , 415, 515,	13	2,537
3	असम	2, 702, 702सी, 702डी, 6, 306, 8, 208ए, 15, 115, 215, 315, 315ए , 415, 515, 715, 715ए, 17, 117, 117ए, 217, 27, 127, 127ए, 127बी , 127सी , 127डी, 127ई, 427, 627, 29, 129, 329, 329ए, 37, 715के, 137, 137जी	**38**	4,077
4	बिहार	19, 119, 219, 319, 20, 120, 22, 122, 122ए, 322, 722, 922, 27, 227, 227ए, 327, 327ए, 527, 527ए, 527बी, 527सी, 527डी, 727, 727ए, 31, 131, 131ए, 231, 331, 431, 531, 33, 133, 133बी, 333, 333ए, 333बी, 139, 124सी, 227एफ, 227जे, 227एल, 727एए, 133ई, 122बी, 333सी, 527ई, 327एडी, 319ए, 131बी, 131जी, 119ए,119डी, 139डब्ल्यू	54	5,940
5	चंडीगढ़	5	**1**	15
6	छत्तीसगढ़	30, 130, 130ए, 130बी, 130सी, 130डी, 930, 43, 343, 45, 49, 149बी, 53, 153, 353, 63, 163, 163ए, 130सीडी, 143बी,	20	3,620
7	दिल्ली	9, 44,48,148ए, 248बीबी, 709बी, 344एम, 148एई, 148एनए, 344एन, 344पी, एनई3,	**13**	157
8	गोवा	748, 66, 366, 566, 748एए, 166एस	6	299

जारी है...

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	एनएच की कुल संख्या	कुल लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	गुजरात	27, 927डी, 41, 141, 341, 47, 147, 48, 848, 848ए, 848बी, 51, 151, 251, 351, 53, 753बी, 953, 56, 58, 64, 68, 168, 168ए, 756, 148एम, 751डी, 751डीडी, 351एफ, 147डी, 751, 151ए, 754के, एनई1, एनई4, 351के, 351जी, 151के, 848के, 151एडी, 927सी, 927के,	43	7,885
10	हरियाणा	703, 5, 105, 7, 907, 9, 709, 709ए, 11, 919, 334बी, 44, 344, 444ए, 48, 148ए, 148बी, 248ए, 52, 152, 352, 352ए, 54, 254, 248बीबी, 152ए, 907जी, 352आर, 352डब्ल्यू, 709एडी, 334डी, 152डी, 148एनए, 344एन, 344पी, एनई2, एनई5, एनई4, 152जी	39	3,259
11	हिमाचल प्रदेश	3, 103, 303, 503, 503ए, 5, 105, 205, 305, 505, 505ए, 705, 7, 707, 907, 907ए, 44, 154, 154ए,	19	2,607
12	जम्मू एवं कश्मीर	1, 501, 701, 44, 244, 144, 144ए, 444, 244ए, 701ए, एनई5	11	1,752
13	झारखंड	114ए, 18, 118, 19, 419, 20, 220, 320, 22, 522, 33, 133, 133ए, 133बी, 333, 333ए, 39, 139, 43, 143, 143ए, 343, 49, 143एच, 143डी, 320जी, 143एजी, 320डी, 218, 143बी, 320बी	31	3,430
14	कर्नाटक	44, 48, 648, 748, 948, 50, 150, 150ए, 52, 160, 65, 66, 766, 766सी, 67, 167, 367, 69, 169, 169ए, 369, 73, 173, 75, 275, 181, 166ई, 548बी, 561ए, 752के, 161ए, 544डीडी, 544ई, 548एच, 748एए, 367ए, 948ए, 369ई, 373, 275के, 766ई, 766ईई, एनई7, 167एन, 150सी	45	7,656
15	केरल	544, 744, 66, 766, 966, 966ए, 966बी, 183, 183ए, 85, 185,	11	1,782
16	लद्दाख	1, 3, 301	3	806
17	मध्य प्रदेश	719, 27, 30, 34, 934, 135, 135बी, 39, 339, 339बी, 539, 43, 543, 943, 44, 45, 46, 146, 146बी, 346, 47, 347, 347सी, 347बी, 547, 52, 552, 752बी, 752सी, 56, 548सी, 752जी, 161जी, 347ए, 753एल, 147ई, 135बीबी, 135बीडी, 135बीजी, 135सी, 347बीजी, 552जी, 752डी, 753बीई, एनई4, 543के	46	8,911

जारी है...

यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं / दायीं और दायीं / बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा (इंटरसेक्शन) है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है।

These signs indicate that there is a left/right and right/left turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road.

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	एनएच की कुल संख्या	कुल लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	महाराष्ट्र	130डी, 930, 543, 44, 47, 347सी, 547, 48, 348ए, 348, 548, 848, 848ए, 50, 150, 52, 53, 353सी, 353डी, 353ई, 753, 753ए, 753बी, 953, 60, 160, 61, 161, 361, 63, 65, 965, 66, 166, 166ए, 548सी, 753ई, 548ई, 752जी, 561, 753एफ, 548ए, 166ई, 266, 548बी, 548सीसी, 161एच, 161जी, 361एच, 548डी, 561ए, 965सी, 752I, 965जी, 752के, 347ए, 930डी, 361बी, 353बी, 247, 161ए, 361सी, 161ई, 353I, 753जे, 753एल, 353जे, 353के, 752ई, 752एच, 753एम, 548एच, 160ए, 160बी, 753सी, 965डी, 753बीबी, 160डी, 348बी, 348बीबी, 753एबी, 160सी, 166एच, 761, 753एच, 166डी, 652, 465, 647, 461बी, 160एच, 361एफ, 965डीडी, 166एफ, 166जी, 548डीडी, एनई4, 547ई, 753बीई, 548डीजी, 150सी, 543के	102	18,317
19	मणिपुर	2, 102, 202, 102ए, 102बी, 102सी, 29, 129ए, 37, 137, 137ए,	11	1,840
20	मेघालय	6, 106, 206, 217, 127बी ,	5	1,156
21	मिजोरम	2, 102बी , 302, 502, 502ए, 6, 306, 306ए, 108,	9	1,423
22	नागालैंड	2, 202, 702, 702ए, 702बी, 702डी, 29, 129, 129ए, 229, 329ए, 202के	12	1,670
23	ओडिशा	16, 316, 516, 18, 20, 220, 520, 26, 326, 326ए, 130सी, 143, 49, 149, 53, 153बी, 353, 55, 57, 157, 59, 63, 126, 130सीडी, 316ए, 516ए, 157ए, 126ए, 655, 720, 143एच, 320डी,	32	5,897
24	पुडुचेरी	32, 332,	2	64
25	पंजाब	3, 503, 503ए, 703, 703ए, 5, 205, 205ए, 7, 9, 44, 344, 344ए, 344बी, 148बी, 52, 152, 54, 154, 154ए, 254, 754, 62, 354, 148बीबी, 105बी, 152ए, 703बी, 354ई, 354बी, 703एए, एनई5, एनई5ए, 503डी, 754ए, 754एडी, 205के	37	4,105
26	राजस्थान	709, 11, 919, 21, 23, 123, 25, 125, 325, 27, 927ए, 44, 48, 148, 148बी, 148डी, 248, 248ए, 448, 52, 552, 752, 54, 56, 156, 58, 158, 458, 758, 62, 162, 162ए, 68, 168, 168ए, 954, 311, 921, 70, 925, 925ए, 911, 552जी, 754के, 911ए, 148सी, 968, 752डी, एनई4, एनई4सी, 125ए	51	10,477

जारी है...

यह चिन्ह आम तौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है, जहां सड़कों पर धूल–मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह दिखने पर ड्राइवरों को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए क्योंकि यहां थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

This sign is usually erected on hilly roads where loose earth or gravel keeps on falling on the road. Driver should drive slowly and carefully after this sign as little carelessness can cause major crashes here.

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	एनएच की कुल संख्या	कुल लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	सिक्किम	10, 310, 310ए, 310एजी, 710, 510, 717ए, 717बी,	8	709
28	तमिलनाडु	16, 716, 32, 132, 332, 532, 36, 136, 336, 536, 38, 138, 40, 42, 44, 544, 744, 944, 48, 648, 948, 66, 75, 77, 79, 81, 181, 381, 83, 183, 85, 87, 544एच, 179ए, 383, 381ए, 381बी, 785, 716ए, 744ए, 948ए, 338, 136बी, 179बी, 132बी, 179डी, 332ए, 844, 716बी, एनई7	50	6,858
29	तेलंगना	30, 44, 150, 353सी, 61, 161, 63, 163, 563, 65, 365, 365ए, 365बी, 363, 565, 765, 167, 353बी, 161बी, 365बीबी, 365बीजी, 765डी, 161एए, 161बीबी, 167के, 765डीजी, 167एन, 930पी, 150सी, 163जी	30	4,926
30	त्रिपुरा	8, 108, 108ए, 208, 208ए, 108बी,	6	854
31	उत्तर प्रदेश	307, 9, 509, 709ए, 19, 219, 519, 719, 21, 123, 24, 27, 227ए, 727, 727ए, 927, 28, 128, 30, 230, 330, 330बी, 530, 330ए , 730, 730ए , 31, 731, 731ए, 931, 931ए, 34, 334, 334ए, 334बी, 334सी, 534, 734, 234, 35, 135, 135बी, 335, 39, 339, 539, 44, 344, 552, 709बी, 135बीबी, 730एच, 321, 731एजी, 709एडी, 319डी, 124सी, 727बी, 727एच, 727जी, 128बी, 128सी, 328, 328ए, 330डी, 530बी, 730बी, 731के, 727बीबी, 730एस, 730सी, 334डी, 128ए, 135सी, 135ए, 124डी, 321जी, 334डीडी, 727एए, 731बी, एनई2, एनई3, एनई6, 227बी, 344जी, 344बीजी	87	12,245
32	उत्तराखंड	7, 107, 107ए, 307, 507, 707, 707ए, 9, 109, 109डी, 309, 309ए, 309बी, 30, 34, 134, 334, 334ए, 534, 734, 344, 731के, 109के, 344बीजी	24	3,449
33	पश्चिम बंगाल	10, 110, 12, 112, 512, 14, 114, 114ए, 314, 16, 116, 116बी 17, 317, 317ए, 517, 717, 717ए, 18, 19, 419, 27, 327, 327बी, 31, 131ए, 33, 133ए, 49, 316ए, 116ए, 327सी, 312, 218	34	3,675
34	अंड एवं निको. द्वीपसमूह	4	1	331
35	दादरा एवं नागर हवेली	848ए, एनई4,	2	37
36	दमन एवं दीव	848बी, 251,	2	22
कुल				**1,40,995**

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

This sign cautions you about a Right Hand Curve on the road ahead. This helps you in maneuvering vehicle accordingly and nullifies the possibility of crash due to sudden appearance of turn.

परिशिष्ट - 3
(पैरा 3.10.1 के तहत)

सीआरएफ (राज्यीय सड़क) के अंतर्गत आवंटन एवं निर्मोचन

राशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	निर्मोचन
1.	2000-01	985.00	332.01
2.	2001-02	962.03	300.00
3.	2002-03	980.00	950.28
4.	2003-04	910.76	778.94
5.	2004-05	868.00	607.40
6.	2005-06	1,535.36	1,299.27
7.	2006-07	1,535.46	1,426.29
8.	2007-08	1,565.32	1,322.19
9.	2008-09	1,271.64	2,122.00
10.	2009-10	1,786.56	1,344.98
11.	2010-11	2,714.87	2,460.29
12.	2011-12	2,288.65	1,927.39
13.	2012-13	2,359.91	2,350.37
14.	2013-14	2,359.91	2,226.60
15.	2011-12	2,642.63	2,094.78
16.	2015-16	2,852.64	2,369.47
17.	2016-17	7,175.00	5,069.82
18.	2017-18	6,744.07	6,367.11
19.	2018-19	6,998.93	6,784.50
20.	2019-20	7,421.58	6,868.66
21.	2020-21	6,820.00	6,613.30
22.	2021-22	6,945.22	4,948.38

*दिनांक 31.12.2021 तक

जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है।

When the width of the road decreases and the road merges into a narrow road, there is a possibility that a speeding vehicle may collide with oncoming traffic. This sign cautions the driver to be careful as the road ahead is narrow.

परिशिष्ट -4

(पैरा 5.19 के तहत)

दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान एनएचआईडीसीएल का वित्तीय व्यय

(करोड़ रुपये में)

राज्य	भूमि अधिग्रहण	सुविधा स्थानांतरण		प्राधिकरण अभियंता	सिविल कार्य	कुल
		सुविधा स्थान परिवर्तन	वन मंजूरी			
अंड. एवं निकोबार	-	21.78	-	8.69	214.94	245.41
अरूणाचल प्रदेश	5.35	-	11.48	23.87	1,226.44	1,267.14
असम	527.15	45.87	31.20	27.31	1,514.59	2,146.12
जम्मू एवं कश्मीर	46.83	57.80	8.82	22.67	902.40	1,038.52
लद्दाख	-	-	-	0.09	179.13	179.22
मणिपुर	272.79	1.34	85.44	17.88	827.17	1,204.62
नागालैंड	275.60	18.19	-	30.49	1,568.11	1,892.39
सिक्किम	176.32	8.51	99.93	9.96	449.70	744.42
त्रिपुरा	348.25	1.15	27.45	9.55	684.10	1,070.50
मेघालय	99.18	1.31	-	1.66	238.66	340.81
मिजोरम	308.32	15.22	0.79	21.08	1,077.91	1,423.32
उत्तराखंड	29.08	-	0.69	15.69	386.22	431.68
कुल	**2,088.87**	**171.17**	**265.80**	**188.94**	**9,269.37**	**11,984.15**

टिप्पण : रिपोर्ट प्रोद्भवन आधार पर तैयार की गयी है क्योंकि एनएचआईडीसीएल कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और उसे प्रोद्भवन के आधार पर अपने लेखे रखने होते हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

This sign signifies that the road ahead is wide. The width of the road widens after this sign and thus traffic should adjust accordingly.

परिशिष्ट - 5
(पैरा 5.2.1 के तहत)

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गयी सीएसआर राशि का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधि सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र हॉ/नहीं	परियोजना का स्थान राज्य / जिला	परियोजना अवधि (वर्ष में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि (लाख रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्यअयित सीएसआर लेखा में अग्रेणित राशि (लाख रुपये में)	क्रियान्वयन पद्धति प्रत्य क्ष हॉ / नहीं	क्रियान्वयन पद्धति - क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
										नाम	सीएसआर पंजी. सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सशस्त्र सेना निधि दिवस के अंतर्गत योगदान	अनुसूची 7 (खंड vi)	नहीं	--	--	25	25	--	हॉ	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कोविड वैक्सिनेशन के लिए डीप फ्रीजर और आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर का योगदान	अनुसूची 7 (खंड xii)	हॉ	अरुणाचल प्रदेश	1	28.31	29.29	--	हॉ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश के चयनित 15 प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय परियोजना	अनुसूची 7 (खंड ii)	हॉ	अरुणाचल प्रदेश	1	37.5	37.5	--	हॉ	लागू नहीं	लागू नहीं
4	गिफ्ट मिल्क योजना	अनुसूची 7 (खंड i)	हॉ	सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, एवं त्रिपुरा	1	74	74	--	नहीं	एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूटिशन	4168
5	स्मार्ट कक्षाओं की संस्थापना	अनुसूची 7 (खंड ii)	नहीं	ग्वालियर	1	4.2	4.2	--	हॉ	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल						**169.01**	**170**				

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.

परिशिष्ट - 6
(पैरा 8.2 के तहत)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों (तकनीकी और गैर–तकनीकी) की संख्या

समूह	संस्वीकृत संख्या	पदासीन कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पदासीन कुल कर्मचारियों में से अनु. जाति कर्मचारियों का प्रतिशत	कुल पदासीन कर्मचारियों में से अनु. ज. जा. कर्मचारियों का प्रतिशत
तकनीकी						
क	242+86=328*	299	43	19	14.38	6.35
ख	23	14	3	0	21.43	0
ग	100	66	18	6	27.27	9.09
कुल	**451**	**379**	**64**	**25**	**16.88**	**6.6**
गैर-तकनीकी						
क	91	74	15	6	20.27	8.1
ख	211	127	17	11	13.38	8.66
ग	175	100	31	6	31	6
कुल	**477**	**301**	**63**	**23**	**20.93**	**7.64**

*328 की कुल संस्वी कृत संख्याी में 86 प्रतिनियुक्ति आरक्षिती भी शामिल हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

This sign indicates that there is a gap in the divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any crash.

परिशिष्ट - 7
(पैरा 8.11.4 के तहत)

राष्ट्रीय परमिट शुल्क का राज्य–वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि रूपए में (नवंबर, 2020 तक)
1	आंध्र प्रदेश	211,523,328
2	अरुणाचल प्रदेश	367,228
3	असम	81,891,844
4	बिहार	266,607,528
5	चंडीगढ़	74,547,284
6	छत्तीसगढ़	104,659,980
7	एजी, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव	150,190,488
8	दिल्ली	244,941,076
9	गोवा	37,457,256
10	गुजरात	369,798,596
11	हरियाणा	290,844,576
12	हिमाचल प्रदेश	108,699,488
13	जम्मू एवं कश्मीर	86,844,840
14	झारखंड	243,839,392
15	कर्नाटक	472,622,436
16	केरल	146,891,200
17	मध्य प्रदेश	576,547,960
18	महाराष्ट्र	600,785,008
19	मणिपुर	734,456
20	मेघालय	6,610,104
21	मिजोरम	1,101,684
22	नागालैंड	5,141,192
23	ओडिशा	175,167,756
24	पंजाब	203,444,312
25	पुडुच्चेरी	56,185,884
26	राजस्थान	446,916,476
27	सिक्किम	367,228
28	तमिलनाडु	206,382,136
29	तेलंगना	76,016,196
30	त्रिपूरा	3,672,280
31	उत्तराखंड	146,891,200
32	उत्तर प्रदेश	599,316,096
33	पश्चिम बंगाल	214,093,924
कुल		**6,211,100,432**

यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं / दायीं और दायीं / बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा (इंटरसेक्शन) है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है।

These signs indicate that there is a left/right and right/left turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road.

परिशिष्ट - 8
(पैरा 8.11.6 के तहत)

प्रमुख शीर्षवार व्यय

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	बीई	नवंबर, 2021 तक व्यय	बीई का %
मु.शी. 3451 - सचिवालय	153.65	101.10	65.79
मु.शी. 3054 - सड़क एवं पुल	5,438.15	3,091.50	56.84
मु.शी. 3055 - सड़क परिवहन	732.00	232.52	31.76
मु.शी. 3601 - राज्य सरकारों को अनु. सहा.	13,070.00	10,654.02	81.51
मु.शी. 3602 - संघ क्षेत्र सरकारों को अनु. सहा.	274.26	236.82	86.34
कुल राजस्व खंड	**19,668.06**	**14,315.96**	**72.78**
वसूली (राजस्व) घटाएं	**-9,797.17**	**-6,021.74**	**61.46**
निवल (राजस्व खंड)	**9,870.89**	**8,294.22**	**84.02**
मु. शी. 4552 **पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी पूंजी परिव्यय** ***	9,590.00	0	0
मु. शी. 5054 - सड़कों और पुलों का पूंजी परिव्यय (दत्तमत)	198,210.29	161,838.58	81.64
मु. शी. 5054 - सीआरआईएफ से वित्तपोषित भारतमाला परियोजना	10.00	0.29	2.90
मु. शी. 5055 - सड़क परिवहन का पूंजी परिव्यय	40.00	10.00	25.00
कुल पूंजीगत खंड	**207,850.29**	**161,848.87**	**77.86**
वसूली घटाएं (पूंजी)	**-99,620.18**	**-75,049.74**	**75.33**
निवल (पूंजी खंड) (दत्तमत)	**108,220.11**	**86,798.84**	**80.20**
निवल (पूंजी खंड) (प्रभारित)	**10.00**	**0.29**	**2.90**
निवल (पूंजी खंड)	**108,230.11**	**86,799.13**	**80.19**
सकल योग (राजस्व + पूंजी) (दत्तमत)	**227,508.35**	**176,164.54**	**77.43**
सकल योग (राजस्व + पूंजी) (प्रभारित)	**10.00**	**0.29**	**2.90**
वसूली घटाएं (राजस्व + पूंजी)	**-109,417.35**	**-81,071.48**	**74.09**
कुल (निवल)	**118,101.00**	**95,093.35**	**80.51**

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए।

This sign indicates that this road leads on to quay or river bank. Drivers should take care and drive cautiously.

परिशिष्ट - 9
(पैरा 8.10.6 के तहत)

राजस्व प्राप्तियों के संबंध में पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय लेन–देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

मद/वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21, मार्च, 2021 तक	2021-22, दिसंबर, 2021 तक
कर राजस्व	580.78	602.93	522.21	339.23
गैर-कर राजस्व	19,465.14	10,619.70	9,704.68	9,704.68
सकल राजस्व प्राप्तियां	20,045.92	11,222.62	12,018.78	10,043.91

यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें।

This road sign indicates that there is a cycle path intersecting the major road or is frequented by cyclists. The driver should carefully cross this intersection so that cyclist could cross the major road safely.

परिशिष्ट - 10
(पैरा 8.10.6 के तहत)

पिछले तीन वर्षों की राजस्वर प्राप्तियों का शीर्ष–वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21 (मार्च, 21 तक)	2021-22 (दिसंबर, 21 तक)
1	0021-कॉरपोरेशन कर के इतर आय पर कर	580.78	602.93	522.21	339.23
2	0049 - ब्याज प्राप्तियां	148.70	207.10	987.99	165.38
3	0050 - लाभांश एवं लाभ	12.01	16.07	27.00	0
4	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0	0	0	
5	0071 -पेंशन और अन्य सेवांत हितलाभ के मद में अंशदान और वसूली	1.45	0.89	1.69	2.33
6	0075-प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं	4.93	1.43	1.38	1.15
7	0210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.48	0.48	0.48	0.42
8	0216 - आवासन	0.14	0.14	0.15	0.15
9	1054 - सड़क एवं पुल	19,297.43	10,393.58	10,477.88	9,535.25
10	1475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	0	0	0
कुल		**20,045.92**	**11,222.62**	**12,018.78**	**10,043.91**

स्रोत: ई–लेखा

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

परिशिष्ट - 11
(पैरा 8.11.6 के तहत)

लेखा के मुख्य बिन्दु

प्राप्तियां (2020-21)			संवितरण (2020-21)	
		राशि (हजार रुपये में)		राशि (हजार रुपये में)
क.	**राजस्व प्राप्तियां**		**राजस्व व्यय**	
1	कर राजस्व	5,222,066	सामान्य सेवा	221,116
2	गैर **कर राजस्व**	114,965,740	सामाजिक सेवा	0
	ब्याज प्राप्तियां	9,879,841	आर्थिक सेवा	31,962,957
	लाभांश और लाभ	270,000	अनुदान सहायता और अंशदान	65,468,900
	अन्य गैर-कर राजस्व	104,815,899		
	कुल राजस्व प्राप्तियां	120,187,806	कुल **राजस्व व्यय**	97,652,973
ख.	**पूंजीगत प्राप्तियां**		**पूंजीगत व्यय**	
	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण		सामान्य सेवाएं	60,000
	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		आर्थिक सेवा	867,260,138
	राष्ट्रीय राजमार्गों का विमुद्रीकरण	50,110,000	ऋण और अग्रिम	2,120
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	2,544		
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	50,112,544	कुल **पूंजीगत व्यय**	867,322,258
	भारत की कुल समेकित निधि	**170,300,350**	**भारत की कुल समेकित निधि**	**964,975,231**
	लोक लेखा		लोक लेखा	
	लघु बचत भविष्य निधि खाता	311,829	लघु बचत भविष्य निधि खाता	156,646
	भविष्य निधि	311,829	भविष्य निधि	156,646
	अन्य खाते	842	अन्य खाते	2,412
	सीजीईजीआईएस	842	सीजीईजीआईएस	2,412
	आरक्षित निधियां	884,023,200	आरक्षित निधियां	872,920,558
	आरक्षित निधियां बिना ब्याज के	884,023,200	आरक्षित निधियां बिना ब्याज के	872,920,558
	जमा और अग्रिम	55,821,685	जमा और अग्रिम	87,018,564
	जमा ब्याज सहित	0	जमा ब्याज सहित	0
	जमा ब्याज रहित	55,821,685	जमा ब्याज रहित	87,018,564
	अग्रिम	0	अग्रिम	0
	उचंत एवं विविध	1,000,092,347	उचंत एवं विविध	185,433,856
	उचंत	1,000,092,347	उचंत	185,433,856
	संप्रेषण	(42,686)	संप्रेषण	0
	कुल लोक लेखा	1,940,206,917	कुल लोक लेखा	1,145,532,036
	कुल प्राप्तियां	**2,110,507,267**	**कुल व्यय**	**2,110,507,267**

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

परिशिष्ट - 12
(पैरा 11.4 के तहत)

भारत में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या : 2003–2019

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	समस्त वाहन	दुपहिया*	कारें, जीपें और टैक्सियां	बसें@	माल वाहक	अन्य*
1	2	3	4	5	6	7
2003	67,007	47,519	8,599	721	3,492	6,676
2004	72,718	51,922	9,451	768	3,749	6,828
2005	81,499	58,799	10,320	892	4,031	7,457
2006	89,618	64,743	11,526	992	4,436	7,921
2007	96,707	69,129	12,649	1,350	5,119	8,460
2008	105,353	75,336	13,950	1,427	5,601	9,039
2009	114,951	82,402	15,313	1,486	6,041	9,710
2010	127,746	91,598	17,109	1,527	6,432	11,080
2011	141,866	101,865	19,231	1,604	7,064	12,102
2012	159,491	115,419	21,568	1,677	7,658	13,169
2013	176,044	127,830	24,056	1,814	8,307	14,037
2014	190,704	139,410	25,998	1,887	8,698	14,712
2015	210,023	154,298	28,611	1,971	9,344	15,799
2016	230,031	168,975	30,242	1,757	10,516	18,541
2017	253,311	187,091	33,688	1,864	12,256	18,411
2018	272,587	202,755	36,453	1,943	12,773	18,663
2019	295,772	221,270	38,433	2,049	13,766	20,254
सीएजीआर (2009 से 2019)	**9.91**	**10.38**	**9.64**	**3.27**	**8.58**	**7.63**

* अन्य में शामिल हैं– ट्रेक्टर, ट्रेलर, तिपहिया वाहन (सवारी वाहन)/हल्के मोटर वाहन और अन्य विविध वाहन जो अलग से वर्गीकृत नहीं किए गए हैं।

@ ओमनी बसें शामिल हैं।

स्रोतः राज्यि परिवहन आयुक्तों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन परिवहन आयुक्तों के कार्यालय

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

परिशिष्ट - 13
(पैरा 11.4 के तहत)

सड़क दुर्घटनाओं और उनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्याः 2005 से 2019

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटना की गंभीरता*
	कुल	घातक	मारे गए	घायल	
2005	4,39,255	83,491 (19.0)	94,968	4,65,282	21.6
2006	4,60,920	93,917 (20.4)	1,05,749	4,96,481	22.9
2007	4,79,216	1,01,161 (21.1)	1,14,444	5,13,340	23.9
2008	4,84,704	1,06,591 (22.0)	1,19,860	5,23,193	24.7
2009	4,86,384	1,10,993 (22.8)	1,25,660	5,15,458	25.8
2010	4,99,628	1,19,558 (23.9)	1,34,513	5,27,512	26.9
2011	4,97,686	1,21,618 (24.4)	1,42,485	5,11,394	28.6
2012	4,90,383	1,23,093 (25.1)	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,22,589 (25.2)	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,25,828 (25.7)	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,31,726 (26.3)	1,46,133	5,00,279	29.1
2016	4,80,652	1,36,071 (28.3)	1,50,785	4,94,624	31.4
2017	4,64,910	1,34,796 (29.0)	1,47,913	4,70,975	31.8
2018	4,67,044	1,37,726 (29.5)	1,51,417	4,69,418	32.4
2019	4,49,002	1,37,689 (30.7)	1,51,113	4,51,361	33.7

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल दुर्घटनाओं में से घातक दुर्घटनाओं का हिस्सा) दर्शाते हैं।

* प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पुलिस विभागों) द्वारा भेजी गई सूचना

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.

परिशिष्ट - 14
(पैरा 11.4 के तहत)

सड़क की प्रत्येक श्रेणी में कुल सड़क लंबाई और प्रतिशत हिस्सा (1951 से 2019 (अनंतिम))

(किमी में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	जिला सड़क	ग्रामीण सड़क	शहरी सड़क	परियोजना सड़क	कुल
1	2	3	4	8	9	10	11
1951	19811	#	1,73,723	2,06,408	0	0	3,99,942
1961	23798	#	2,57,125	1,97,194	46,361	0	5,24,478
1971	23838	56,765	2,76,833	3,54,530	72,120	1,30,893	9,14,979
1981	31671	94,359	4,21,895	6,28,865	1,23,120	1,85,511	14,85,421
1991	33650	1,27,311	5,09,435	12,60,430	1,86,799	2,09,737	23,27,362
2001	57737	1,32,100	7,36,001	19,72,016	2,52,001	2,23,665	33,73,520
2002	58112	1,37,711	6,95,335	20,61,023	2,50,295	2,24,124	34,26,600
2003	58112	1,34,807	6,96,960	20,82,188	2,97,259	2,59,328	35,28,654
2004	65569	1,33,177	7,19,257	21,40,569	3,01,310	2,61,625	36,21,507
2005	65569	1,44,396	7,86,230	22,66,439	2,86,707	2,59,815	38,09,156
2006	66590	1,48,090	8,03,669	23,08,125	2,91,991	2,62,186	38,80,651
2007	66590	1,52,235	8,35,003	23,93,488	3,00,580	2,68,505	40,16,401
2008	66754	1,54,522	8,63,241	24,50,559	3,04,327	2,70,189	41,09,592
2009	70548	1,58,497	9,62,880	26,29,165	3,73,802	2,76,617	44,71,510
2010	70934	1,60,177	9,77,414	26,92,535	4,02,448	2,78,931	45,82,439
2011	70934	1,63,898	9,98,895	27,49,804	4,11,679	2,81,628	46,76,838
2012	76818	1,64,360	10,22,287	28,38,220	4,64,294	2,99,415	48,65,394
2013	79116	1,69,227	10,66,747	31,59,639	4,46,238	3,10,955	52,31,922
2014	91287	1,70,818	10,82,267	33,04,328	4,57,467	2,96,319	54,02,486
2015	97991	1,67,109	11,01,178	33,37,255	4,67,106	3,01,505	54,72,144
2016	1,01,011	1,76,166	5,61,940	39,35,337	5,09,730	3,19,109	56,03,293
2017	1,14,158	1,75,036	5,86,181	41,66,576	5,26,483	3,28,897	58,97,671
2018(अनंतिम)	1,26,350	1,86,908	6,11,268	44,09,582	5,34,142	3,47,547	62,15,797
2019(अनंतिम)	1,32,499	1,79,535	6,33,383	45,41,631	5,41,636	3,43,163	63,71,847
सीएजीआर (1951 - 2019)	**2.88**	**@**	**1.95**	**4.72**	**@**	**@**	**4.22**

जिला सड़कों में शामिल

@ – सीएजीआर की गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रथम वर्ष (अर्थात् वर्ष 1951) के लिए कोई मान नहीं

स्रोत : सड़क विकास और अनुरक्षण के काम में लगे विभिन्नि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय विभाग/एजेंसियां

परिशिष्ट - 15
(पैरा 11.4 के तहत)

56 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का संयुक्त भौतिक कार्य–निष्पादन– 2016–17, 2018–19 और 2019–20

क्र. सं.	मद	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (अनंतिम)	प्रतिशत वृद्धि / कमी (2018-19)	प्रतिशत वृद्धि/कमी (2017-2018)
क.	**भौतिक निष्पादन**					
1	धारित बेड़ा (संख्या)	152,357.00	151,880.00	149,713.00	0.31	1.45
2	बेड़ा-प्रचालन में (संख्या)	134,981.00	135,756.00	134,446.00	(0.57)	0.97
3	बेड़ा उपयोगिता (प्रतिशत में)	88.60	89.38	89.80	(0.88)	(0.47)
4	सवारी प्रति किमी प्रस्तावित (करोड़ में)	8,479,117.40	8,597,651.22	8,690,608.94	(1.38)	(1.07)
5	सवारी प्रति किमी निष्पादित (करोड़ में)	5,993,474.67	6,160,952.31	5,984,787.73	(2.72)	2.94
6	उपयोगिता अनुपात	70.69	71.66	68.86	(1.36)	4.06
7	कर्मचारी संख्या	709,232.00	725,358.00	740,156.00	(2.22)	(2.00)
8	स्टाफ/बस अनुपात	4.66	4.78	4.94	(2.53)	(3.40)
9	कर्मचारी उत्पादकता (बस-किमी/स्टाफ/दिन)	64.04	63.26	61.82	1.23	(2.33)
10	वाहन उत्पादकता (बस-किमी/बस/दिन)	298.10	302.11	305.62	(1.33)	(1.15)
ख	**वित्तीय निष्पादन**					
1	कुल राजस्व (करोड़ रुपये में)	6,455,436.47	5,936,521.43	5,590,249.87	8.74	6.19
	जिसमें से यातायात से कुल	5,044,144.27	4,730,534.12	4,517,978.91	14.13	4.92
2	कुल लागत (करोड़ रुपये में)	8,247,828.90	7,967,481.16	7,307,109.97	3.52	9.04
	जिसमें से स्टाफ की लागत	3,504,138.19	3,585,045.45	3,221,707.23	(2.34)	1.37
3	निवल लाभ/हानि (-)# (करोड़ रुपये में)	(1,792,392.43)	(2,030,959.73)	(1,716,860.10)	(11.75)	18.30

पिछले वर्ष के समायोजनों और कुछ राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संबंध में वर्तमान वर्ष की निवल हानि में ब्याज भुगतान वाले हिस्से के स्थगन के कारण कुल लागत में से कुल राजस्व को घटाने से प्राप्त राशि, निवल हानि के बराबर नहीं है।

स्रोतः विभिन्न राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

परिशिष्ट - 16
(पैरा 8.10.5 के तहत)

लंबित सी एंड एजी पैरा की स्थिति

सी एंड एजी पैरा :

सिविल पैरा : एक (विवरण नीचे दिया गया है)

क्र. सं.	पैरा	मंत्रालय की अभ्युक्तियां / वर्तमान स्थिति
1	2020 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा सं. 6.1 - निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापना योजना	एटीएन सी एंड एजी को भेज दी गयी है।

वाणिज्यिक पैरा : विवरण नीचे दिया गया है

सी एंड एजी लेखा परीक्षा पैरा (वाणिज्यिक) की लंबित सूची

क्र. सं.	पैरा	मंत्रालय की अभ्युक्तियां / वर्तमान स्थिति
1	पैरा सं. **2.1,** रिपोर्ट सं. 2016 का 15 - रियायतग्राही को अनुचित लाभ (पीआईयू, बेगूसराय)।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
2	पैरा सं. **2.3,** रिपोर्ट सं. 2016 का 15 - रियायतग्राही को अनुचित लाभ (पीआईयू, दरभंगा)।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
3	पैरा सं. 12.1, रिपोर्ट सं. 2017 का 9 - रियायतग्राही को अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप हानियों का संचयन	मामला मंत्रालय में लंबित है।
4	पैरा सं. 12.3, रिपोर्ट सं. 2017 का 9 - वित्तीय विश्लेषण में अशुद्ध राजस्व पुर्वानुमान	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
5	पैरा सं. 11.1, रिपोर्ट सं. 2018 का 11 - रियायतग्राही से क्षतियों और अनुरक्षण लागत की गैर वसूली।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
6	पैरा सं. 11.4, रिपोर्ट सं. 2018 का 11 - रियायतग्राही को बोनस का अधिक भुगतान	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
7	पैरा सं. 11.5, रिपोर्ट सं. 2018 का 11 - सड़क खंड को डिलिंक करने में विलंब के कारण टोल राजस्व पर ब्याज की हानि ।	एनएचएआई से उत्तर की प्रतीक्षा है।
8	पैरा सं. 11.6, रिपोर्ट सं. 2018 का 11 - रियायग्राही से दावों की गैर वसूली।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
9	पैरा सं. 11.7, रिपोर्ट सं. 2018 का 11 - रियायग्राही पर अनुचित कृपा।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
10	पैरा सं. 11.8, रिपोर्ट सं. 2018 का 11 - टोल का संग्रहण नहीं करने के कारण राजस्व की हानि।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
11	पैरा 8.1 (रिपोर्ट सं. 2019 का 13) - रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया गया।	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
12	पैरा 8.2 (रिपोर्ट सं. 2019 का 13) - परियोजना प्रबंधन में विफलता	एनएचएआई से उत्तर की प्रतीक्षा है।
13	पैरा 8.3 (रिपोर्ट सं. 2019 का 13) - रियायतग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ	कृत कार्रवाई टिप्पणी सीएंडएजी को भेज दी गयी।
14	पैरा 11.1 (2020 की रिपोर्ट सं. 18) - एनएचएआई के अनुचित संविदा प्रबंधन के कारण 20.38 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई	एनएचएआई से उत्तर का इंतजार है।
15	पैरा 11.2 (2020 की रिपोर्ट सं. 18) - संविदाकारों को अनुचित लाभ	एनएचएआई से उत्तर का इंतजार है।
16	पैरा 11.4 (2020 की रिपोर्ट सं. 18) - अतिरिक्त रियायत शुल्क का कम संप्रेषण	एनएचएआई से उत्तर का इंतजार है।

माननीय मंत्री द्वारा दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वेक्षण

सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

www.morth.nic.in